खण्ड-138, अंक-5
शुक्रवार, 5 भाद्रपद, शक संवत् 1876
(27 अगस्त, 1954 ई0)

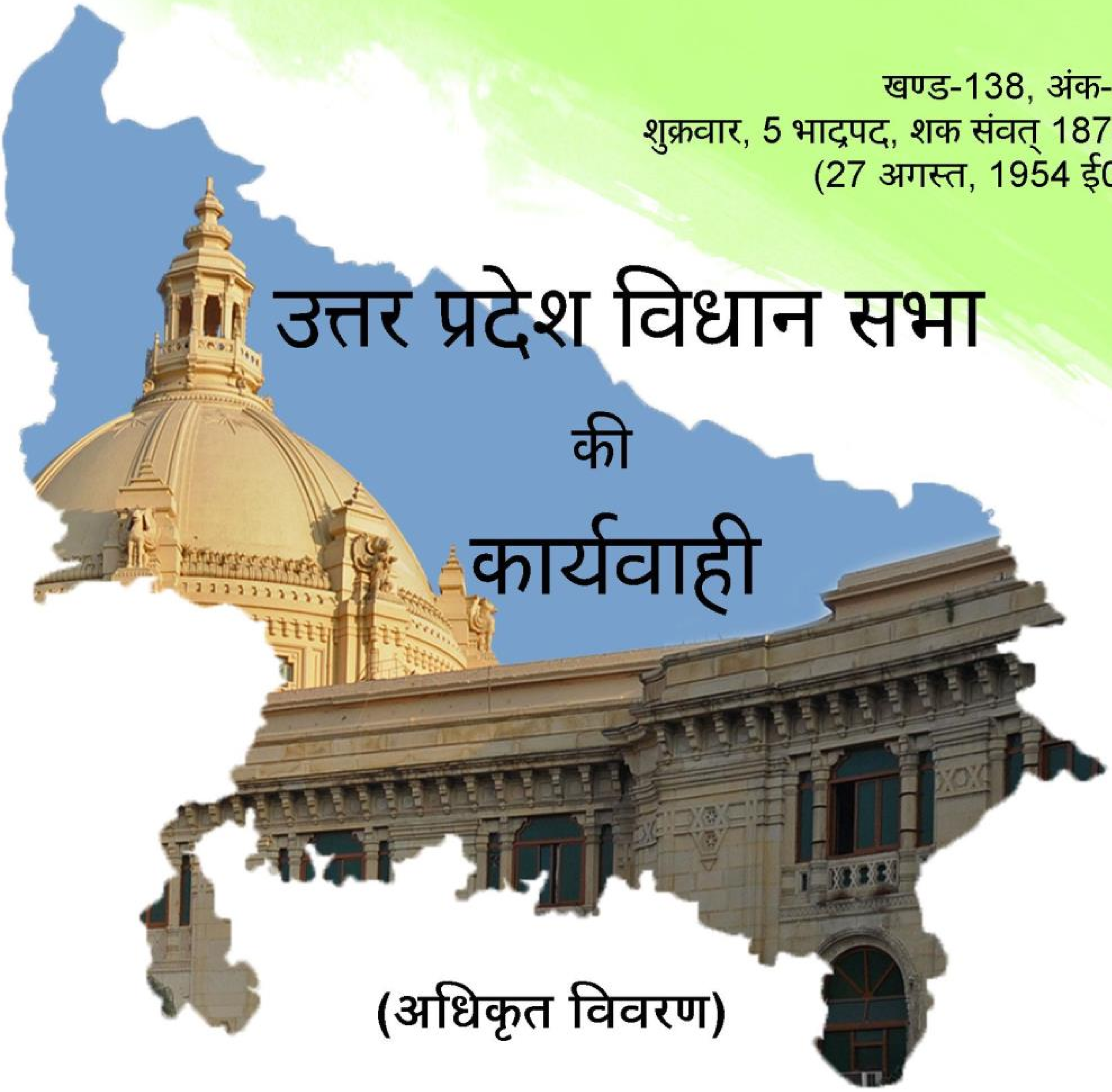

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 138 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २७ अगस्त, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७०)

अक्षयवर सिंह, श्री
अनन्तस्वरूप, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपी नाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्याम दास, श्री

घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदा लाल, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगत नारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवल किशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पाती राम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभू दयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री

बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन, श्री
बाबू राम गुप्त, श्री
बाबू लाल कुसुमेश, श्री
बाबू लाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
विशम्बर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती दीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडे, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फ़रहसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद तक़ीहादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरूल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
राम गुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री

रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय , श्री
राम सहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मण राव क़दम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीर सेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्री
सत्यनारायण, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर

सहदेव सिंह , श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम डाक्टर,
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद सिंह, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

स्पेशल पावर्स ऐक्ट, १९३२ के अन्तर्गत गिरफ्तार बन्दी

*१—**श्री राम नारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक सरकार ने स्पेशल पावर्स ऐक्ट, १९३२ कई जिलों में लागू करने की अपनी आज्ञा को वापस ले ली है ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी नहीं ।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद के कल के फैसले के मुताबिक माननीय गृह मंत्री इस उत्तर में कुछ संशोधन करने के लिये तैयार हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो फैसला हाई कोर्ट का हुआ है उस पर कानूनी तरीके से विचार किया जायगा और उसके बाद जो मुनासिब होगा वह किया जायगा ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—क्या माननीय गृह मंत्री जी जब स्पेशल पावर्स ऐक्ट को कानूनी विचार कर लेने के बाद, अल्ट्रा वायरेस समझ लेंगे तो जिस आंदोलन के सम्बन्ध में स्पेशल पावर्स ऐक्ट लागू किया गया था उससे संबंधित तमाम बन्दी तत्काल छोड़ दिये जावेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय सदस्य को मालूम होगा कि कानून के अनुसार तो प्रत्येक ऐसे आदमी को जिसकी सजा हो चुकी है उसको अपील करनी चाहिये । इस हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार प्रत्येक ऐसे शख्स को जिसके ऊपर मुकद्दमा चल रहा है, इसी आधार पर, अपने मुकद्दमे की पैरवी करनी चाहिये । लेकिन इसमें काफी वक्त लगेगा । हाई कोर्ट के फैसले के बाद गवर्नमेंट ने हुकुम निकाल दिया है कि जितने लोग इस सिलसिले में गिरफ्तार हैं वे सबके सब छोड़ दिये जावें ।

श्री राजनारायण—मैं यह जानना चाहूंगा कि आन्दोलन के सम्बन्ध में उसी स्पेशल पावर्स ऐक्ट के सिलसिले में बहुत से सत्याग्रही गये मगर उनके ऊपर दूसरी दफायें लागू कर दी गयी हैं तो क्या सरकार उस पर भी विचार करेगी कि उन लोगों को भी छोड़ दिया जाय जैसा कि अंग्रेजी सरकार के जमाने में होता था कि हम लोग जेलों में रहते थे और जब कोई ऐसा मामला होता था तो तमाम बन्दी एक साथ छोड़ दिये जाते थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अंग्रेजों के जमाने में क्या होता था, सो तो ग़लत बात है। लेकिन हमने यह आर्डर जारी कर दिया है कि जो इस आंदोलन के सम्बन्ध में चाहे किसी दफा में गिरफ्तार हुआ है, जेल में है छोड़ दिया जावें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय गृह मंत्री जी ने इस बात का भी आदेश दिया है कि इस आंदोलन के सम्बन्ध में जुर्मानों की वसूली तत्काल रोक दी जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उन पर अलग अलग कार्यवाही होगी कानून के अनुसार।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय गृह मंत्री यह बतलावेंगे कि इस ऐक्ट को इस प्रदेश में लागू करने के लिये पहले सरकार ने अपने किन-किन कानूनी सलाहकारों से राय ली थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो भी हमारे कानूनी सलाहकार हैं उनसे राय लेकर ही काम किया जाता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या यह सही है कि इस मामले में माननीय एडवोकेट जनरल से राय नहीं ली गयी थी और बाद में उन्होंने प्रोटेस्ट किया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार अपने किसी अफसर से क्या राय लेती है, उससे क्या चिट्ठी-पत्री होती है, ऐसी बातें तो मैं समझता हूं कि लोकहित में आमतौर से बतलायी नहीं जाती हैं।

श्री राजनारायण—मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जुर्मानों की वसूली के सिलसिले में जो जुल्म और सख्तियां जिलों में हो रही हैं क्या सरकार एक सामान्य आदेश भेजकर सब जिलों को, इस जुल्म को होने से रोक सकती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस प्रश्न में 'जुल्म' शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री राजनारायण—जुर्माने की वसूली में जो किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है, उस परेशानी से सरकार किसानों को रोक सकती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस सम्बन्ध में जो कुछ आवश्यक प्रश्न होंगे सभी पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या स्पेशल पावर्स ऐक्ट के गैरकानूनी हो जाने पर सरकार ऐसे सभी व्यक्तियों को मुआविजा देने की कृपा करेगी जिनका नुकसान इस ऐक्ट के गलत तरीके से लागू हो जाने के कारण हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे दुनिया के और देशों को भी देखें जहां कि ऐसी कानूनी बातें हुआ करती हैं और तब वे इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ऐसे मामलों में क्या किया जाता है सभ्य देशों में।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—कानपुर में फर्रुखाबाद जाने वाले जो १७२ सत्याग्रही १४४ दफा में गिरफ्तार किये गये हैं क्या उनकी रिहाई का आदेश भी यहां से गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां ।

गलत इन्दराज की दुरुस्ती के उपाय

*२—**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)—क्या यह सही है कि गलत इन्दराज की दुरुस्ती के लिये सरकार ने पुनः कोई योजना बनायी है ? अगर हां, तो क्या सरकार उस योजना को पूर्णरूप से सदन की मेज पर रक्खेगी ।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—जी हां, योजना के पूर्ण रूप की एक प्रति संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५८२–५८६ पर)

श्री झारखंडे राय—माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर मुझे एक मिनट पहले ही मिला है, मैं इसको अभी देख नहीं सका हूं । इसीलिये मैं पूछना चाहता हूं कि उस योजना में क्या मोटी मोटी बातें हैं, क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—इस योजना में मोटी-मोटी बातें ये हैं कि लेखपाल पड़ताल तो हर साल करती ही है लेकिन इस साल उसके लिये खास हिदायत की गयी है । वह यह कि सुबह को तो वह खेत पर जाकर पड़ताल करेगा और दोपहर के बाद वह लैंड मैनेजमेंट कमेटी के दफ्तर में या चौपाल या किसी और सार्वजनिक स्थान में लैंड मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान को इत्तिला पहले से दे देगा और वहां किसानों को इकट्ठा कर देगा और फिर जो इन्दराज कागज में है अर्थात् जो उसने सुबह पड़ताल की है उनको वह सुनाएगा और जो गलती उसके नोटिस में आयेगी उनकी एक सूची बनायेगा और जो सूची में ८,१० कालम में है उनमें दर्ज करेगा ।

इसके बाद कानूनगो को भी यह हुक्म है कि वह अपना एक प्रोग्राम बनायेगा और १५ दिन में एक दिन अपने हेडक्वार्टर पर आ सकेगा । कम से कम १४ दिन तो उसको देहात में रहना होगा । वह अपने प्रोग्राम की सूचना भी गांव वालों को दे देगा और उस सूचना में यह भी मिलेगा कि वह किस समय से किस समय तक खेतों में पड़ताल करेगा और किस रात को कहां ठहरेगा ताकि लोगों को उसके आने जाने की पूरी इत्तिला मालूम हो जाये और लोग उससे मिल सकें । वह तसदीक करेगा तथा यह भी देखेगा कि आया लेखपाल ठीक काम कर रहे हैं या नहीं और जो जो काम लेखपाल कर रहे हैं उनकी वेरीफाई भी करेगा और अगर उनकी कोई मिस्टेक आती है तो उनकी फेहरिस्त भी वह अपनी तरफ से एक अलग बनायेगा । इसके साथ ही साथ हर तहसील को तीन हल्के में तकसीम किया गया है । एक हल्का तो एस० डी० ओ० देखेगा, दूसरा हल्का तहसीलदार देखेगा और तीसरा हल्का नायब तहसीलदार देखेगा और एस०डी०ओ० के लिये यह लाजिमी है कि वह तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जिम्मेदारी जो हल्के में रखी गयी है, उनका भी कुछ ज्ञान उसे हो कि आया तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार कैसा काम कर रहे हैं । अब जो मामले गलत हैं उनको तो अफसरान मौके पर ही सही कर देंगे लेकिन चार किस्म की गलतियां जो हैं उनको वे मौके पर सरसरी तौर पर दुरुस्त नहीं कर सकेंगे । वे चार गलतियां ऐसी हैं । मैं आपकी इजाजत से बतला देना जरूरी समझता हूं । (१.) मालगुजारी या दर्जशुदा लगान में तब्दीली, (२.) खातेदारों की दर्जशुदा किस्मों में तब्दीली, (३.) मुद्दत काश्त में तब्दीली, और (४) खाते का बटवारा । उन चारों पर वे कोई आर्डर नहीं दे सकेंगे बल्कि खुद जुडिशियल नोटिस लेकर, जुडिशियल प्रोसीडिंग करके अदालती जाब्ते के अनुसार कार्यवाही करके दोनों फरीक को इत्तला देंगे और तब इन चार तरह की गलतियों पर फैसला करेंगे यह तो मामूली योजना है और बाकी तो तहसील की बहुत सी बातें हैं ।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि आजमगढ़ सत्याग्रह के बाद सरकार को कब पता चला की अभी काफी गलत इन्दराज प्रांत के जिलों में हैं ?

श्री चरण सिंह--आजमगढ़ के सत्याग्रह से पहले ही लेखपालों के कागजात की गल्तियों का सरकार को पता था ।

श्री झारखंडे राय--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह जो कागजात की दुरुस्ती हो रही है वह चकबन्दी कानून के मातहत हो रही है या अलग से कोई आपरेशन सरकार चला रही है ?

श्री चरण सिंह--इस का चकबंदी से कोई वास्ता नहीं है । अगर इस के बाद भी गलतियां रह जायंगी और लोग खुद भी कोई कार्यवाही न करेंगे तो उनकी दुरुस्ती चकबंदी के वक्त भी हो सकती है । जहां भी चकबंदी का कानून लागू होगा वहां पर जरूर इन्टेन्सिव पड़ताल की जायगी ।

श्री राजनारायण--जो परिपत्र रिकार्ड दुरुस्ती के लिये भेजा गया है, क्या उसकी प्रतियां सरकार सदन में रखेगी ?

श्री चरण सिंह--शायद आप परिपत्र चाहते हैं, तो परिपत्र का उल्था तो दो चार सेंन्टेंस छोड़कर वही है जो मैंने अभी झारखंडे राय को दिया है ।

श्री रामनरायण त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी के पास इस बात का सुझाव आया है कि चकबंदी के पहले इस तरह के आपरेशन करने से जो सही इन्द्राज हैं वे भी गलत हो जायेंगे और एक अजीब व्यवस्था उत्पन्न हो जायगी ?

श्री चरण सिंह--जी नहीं, ऐसा कोई रिप्रिजेन्टेशन नहीं आया है कि वह और गलत हो जायेंगे । मैं आपको बतलाऊं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बरेली ने आज खुद इस तरह की इन्टेन्सिव पड़ताल रबी के मौके पर की और उनको ७४ हजार गलतियां खसरा खतौनी और शजरे में मिलीं लेकिन ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि इससे वह और गलत हो गये ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला आजमगढ़)--क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार ने ऐसी कोई हिदायत दी है कि जिन किसानों के पास से कब्जा निकल गया है उनको इन्दराज ठीक कराकर जमीन दिला दी जायगी ?

श्री चरण सिंह--कागजात में ज्यादातर दो गलतियां ऐसी हैं जिनका कब्जे से कोई वास्ता नहीं है । यह माननीय रामकुमार शास्त्री को आशंका है और भ्रम है कि वह कब्जे के मुताल्लिक हैं, वह झगड़े ऐसे हैं कि जैसे कोई मर गया या मफरूर हो गया तो उसके ४ लड़कों की जगह तीन के नाम ही दर्ज हुए हैं या गलत दर्ज हो गए हैं या अभी बाप का ही नाम दर्ज चला आ रहा है, लेकिन वे झगड़े पजेशन के नहीं हैं, वह तो केवल रिकार्ड के झगड़े हैं जो बिना अपोजीशन या झगड़े के वैसे ही सही कर दिये जाते हैं । इन के अलावा बाकी जितने झगड़े हैं वह तो अफसर जुडीशियल प्रोसीडिंग्स के तौर पर करेंगे और बाकायदा नोटिस वगैरह देकर किये जायंगे जैसे अदालत की कार्यवाही होती है ।

श्री राजनारायण--मेरा स्पष्ट प्रश्न यह है कि क्या सरकारी परिपत्र की कापी सदन में रखने में कोई एतराज सरकार को है ?

श्री चरण सिंह--कोई एतराज नहीं है, मैं [उसकी नकल तो करीब-करीब पूरी रख ही चुका हूं ।

श्री राजनारायण--क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि उसको सदन में कब रखा जायगा ?

श्री चरण सिंह---जल्द से जल्द ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को मालूम है कि जो परिपत्र भेजा गया है और लेखपालों को जो अधिकार दिया है उस से पहले के जो सही रिकार्ड थे वह और भी गलत हो गये हैं ?

श्री चरण सिंह---लेखपालों के अधिकार तो तब पहले से (१/१०) रह गये हैं, उनको गलत करने का कोई अधिकार नहीं है ।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कष्ट करेंगे कि कोई इस तरह का आदेश जिला अधिकारियों को दिया गया है कि क्षेत्र विशेष में वहां के किसानों की जो सम्मानित संस्थाएं हैं उनसे भी सहायता ली जाय ?

श्री चरण सिंह---जी नहीं, ऐसे लोगों की सहायता की दरकार इस मामले में नहीं है जो राजनैतिक उद्देश्यों को लेकर कोई काम करते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या यह सही है कि पूर्वी जिलों के बहुत से जिलाधीशों ने सरकार के पास इस तरह के सुझाव भेजे हैं कि बाढ़ और बरसात के जमाने में पूर्वी जिलों में पड़ताल नहीं हो सकती है ?

श्री चरण सिंह---कुछ जिलों के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ने लैंड रिफार्म्स कमिश्नर से यह कहा कि जो हमारे बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां राज्यकर्मचारी इस वक्त दूसरे कामों मे लगे हुए हैं और पड़ताल के काम में इस वक्त नहीं जा सकते । तो ऐसे मौके पहले भी होते थे जब पड़ताल का काम आगे को मुल्तवी हो जाता था । १५, २० दिन के लिये और इसी तरह से अब भी लैंड रिफार्म्स कमिश्नर ने इन कलेक्टरों को अधिकार दे दिया है कि १५ अगस्त से न सही पहली सितम्बर से और अगर जरूरत हो और आगे से भी इसको शुरू कर सकते हैं और दो महीने की उसकी मियाद है तो १५ अक्तूबर न खत्म हो कर ३१ अक्तूबर तक खत्म हो सकता है ।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार संबंधित तहसीलदारों को आदेश भेजेगी कि कागजात दुरुस्ती और पड़ताल करते समय इस सदन के उस इलाके से संबंधित माननीय सदस्यों को उसकी कापियां भेजें ताकि वे भी इस सम्बन्ध में उनकी मालूमात कर सकें ?

श्री चरण सिंह---जी नहीं, मैं जरूरी नहीं समझता, आप लोग उस वक्त यहां होंगे वहां नहीं होंगे । इसलिये आपको तकलीफ देना मुनासिब नहीं है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पड़ताल की अवधि १५ अगस्त से ३१ अगस्त ही है ?

श्री चरण सिंह---१५ अगस्त से १५ अक्तूबर है । दो महीने में हम समझते हैं कि काम पूरा हो जायगा लेकिन कलेक्टर को अख्तियार होता है कि १५ अक्तूबर के बजाय २२ अक्तूबर कर दे या ३१ अक्तूबर कर दे या जितना समय जरूरी समझे कर दे ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किन-किन जिलों से ऐसी खबरें आयी हैं कि पड़ताल का काम अभी शुरू नहीं किया जा सकता है ?

श्री चरण सिंह---मुझे इस वक्त ठीक तो याद नहीं है कि कौन कौन जिले हैं । जो बाढ़ग्रस्त जिले हैं उनके कुछ कलेक्टरों ने लैंड रिफार्म्स कमिश्नर से इस बात को कहा तब उन्होंने मुझे फोन पर बतलाया था । उनमें देवरिया जरूर है ।

श्री दल बहादुर सिंह (जिला रायबरेली)---क्या यह पड़ताल जो हो रही है वह पिछले रिकार्ड में हो रही है इस साल की नहीं हो रही है ?

श्री चरण सिंह---पड़ताल हर साल हुआ करती है। जैसे हर साल होती थी वैसी ही इस साल भी हो रही है जरा ज्यादा इंटेंसिव हो रही है और ज्यादा सख्त निगरानी उस पर की जा रही है।

मध्यवर्तियों को जमींदारी के मुआविजे की दर

***३---श्री अनन्तस्वरूप सिंह** (जिला फतेहपुर)---क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन मध्यवर्ती को उनकी जमींदारियों के मुआवजे के बांड्स अभी तक तैयार होकर नहीं मिल पाये उनको अन्तरकालीन भावजा सन् १३६० फ० में किस हिसाब से दिया गया और सन् १३६१ फ० में किस हिसाब से दिया जा रहा है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जिन मध्यवर्तियों के जमींदारी के बांड्स के मांगपत्र नहीं भेजे जा चुके उन्हें खरीफ तथा रबी १३६० फसली में अंतरिम प्रतिकर पिछले कृषि वर्ष के अधिकार अभिलेख (Record of rights) के आधार पर निम्नलिखित दर से दिया गया :--

(क) इस्तमरारी बन्दोबस्त वाले आस्थानों के सम्बन्ध में फसल की मालगुजारी की धनराशि के (१/१२) गुना के बराबर, और

(ख) अन्य आस्थानों के सम्बन्ध में फसल की मालगुजारी की धनराशि के बराबर।

किन्तु प्रतिबन्ध यह था कि अंतरिम प्रतिकर की कुल धनराशि यदि जमींदारी विनाश आकार पत्र २६ अथवा २७ बन चुके हों, मध्यवर्ती प्रतिकर की कुल अनुमानित धनराशि के ३३ प्रतिशत से अधिक न होगी।

१३६१ फसली में प्रति फसल अंतरिम प्रतिकर मध्यवर्ती के प्रतिकर की कुल अनुमानित धनराशि के २ प्रतिशत के बराबर दिया जा रहा है यदि उसके प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका का प्रकाशन हो चुका है। यदि उक्त तालिका का प्रकाशन नहीं हुआ है तो अंतरिम प्रतिकर १३६० फसली की दर से देय है। विधवाओं और नाबालिगों को अंतरिम प्रतिकर १३६० फसली की दर से दिया जा रहा है। लेकिन किसी भी दशा में अंतरिम प्रतिकर की कुल धनराशि मध्यवर्ती के प्रतिकर की कुल अनुमानित धनराशि के ३३ प्रतिशत से अधिक नहीं दी जा रही है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने कृपा करेंगे उन मध्यवर्तियों को कि जिनके बांड्स इंटेंड हो चुके हैं, कोई इंटेरिम कम्पेंसेशन दिलाया जायगा ?

श्री चरण सिंह---जो जवाब पढ़ कर सुनाया गया है उसमें साफ है कि जिन लोगों के खिलाफ असेसमेंट रोल्स पब्लिश हो चुके हैं उनको जो एमाउण्ट उसमें है उसका दो प्रतिशत दिया जायगा। अगर मैं सवाल सही समझा हूं तो जवाब यह है।

तारांकित प्रश्न

श्री बद्रीनाथ मन्दिर कमेटी के सदस्यों की सूची

***१---श्री भगवानदीन वाल्मीकि** (जिला फतेहपुर)---क्या सरकार उन माननीय सदस्यों के नाम मेज पर रखने की कृपा करेगी जो मौजूदा बद्रीनाथ कमेटी के सदस्य हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--श्री बद्रीनाथ मंदिर कमेटी के उपस्थित सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं :—

(१) श्री हरगोबिन्द पंत, सभापति
(२) श्री सत्य सिंह राना
(३) श्री बी० डी० उन्याल
(४) श्री ब्रजबिहारी मिश्र, सदस्य विधान सभा
(५) श्री राजा राम, सदस्य विधान सभा
(६) श्री जगन्नाथ आचार्य, सदस्य विधान परिषद्
(७) श्री बाल कृष्ण पुरोहित
(८) श्री अचलानन्द डोभाल
(९) श्री गोपाल शास्त्री
(१०) श्री श्रीनिवास जोशी
(११) श्री तिरपन सिंह
(१२) श्री उमानन्द डंगवाल

*२--**श्री भगवानदीन वाल्मीकि**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त कमेटी में विधान सभा का कोई हरिजन सदस्य सन् १९४६ से अब तक सदस्य नियुक्त हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं।

श्री भगवानदीन वाल्मीकि--माननीय मंत्री बतायेंगे कि बद्रीनाथ टेम्पिल कमेटी किन-किन कार्यों की व्यवस्था करती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मुख्य रूप से मंदिर के पूजा-पाठ की व्यवस्था करना उसका काम है।

श्री भगवानदीन वाल्मीकि--क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि अभी हाल ही में श्री प्रागी लाल जयंती जी को बद्रीनाथ जी के दर्शन करने से मौका रोका गया, इस संबंध में सरकार ने व इस कमेटी ने क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं नहीं कह सकता कि जो प्रश्न पूछा गया है उससे इसका कहां तक संबंध है लेकिन जहां तक मैं जानता हूं वह यह कि जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी उसमें श्री प्रागी लाल जी ने स्वयं मंदिर में जाने का विचार छोड़ दिया।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय गृह मंत्री के पास इस बात का सुझाव आया था कि इस कमेटी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य श्री गंगाधर मैठाणी को भी रखा जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, मेरे पास बहुत से सुझाव आये थे उसमें यह भी होगा, लेकिन कमेटी के मेम्बरों का चुनाव किसी राजनैतिक पार्टी में होने के नाते नहीं किया जाता।

श्री गंगाधर मैठाणी--क्या यह सही है कि सरकार इस ऐक्ट को संशोधित करना चाहती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी इसका कोई सवाल नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय गृह मंत्री जी को मालूम है कि श्री गंगाधर मैठाणी इस कमेटी के पहले भी सदस्य रह चुके हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके लिये मुझे सूचना की जरूरत है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह बात सही है कि वहां पर मंदिर में इतनी भीड़ थी इसलिये एम० पी० साहब खुद भीड़ को देखकर लौट आये थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उनके दिल में उस वक्त क्या ख़याल पैदा हुआ, इसका जवाब वही दे सकते हैं।

श्री राजनारायण—क्या माननीय गृह मंत्री जी को याद है कि बद्रीनाथ कमेटी के संबंध में मैंने उनसे कुछ बातें की थीं ?

श्री अध्यक्ष—यह आप लोगों की आपसी बातचीत से संबंध रखता है इसलिये इसका यहां पर प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजनारायण—क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि दूसरे सदस्य जो नियुक्त किये गये हैं वह किस किस आधार पर किये गये हैं और माननीय गंगाधर मैठाणी किस आधार पर नहीं हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—फलां सख्स को क्यों नहीं रखा गया, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मेरे लिये देना कठिन होगा।

श्री भगवानदीन वाल्मीकि—क्या सरकार भविष्य में इस कमेटी में सदन के किसी एक हरिजन सदस्य को नियुक्त करने का विचार करेगी ताकि वहां के पंडे और पुजारियों में छुआछूत के प्रति जो भावनायें हैं उनके बदलने में सहायक हो ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—नियम के अनुसार सदन के सदस्य को सरकार नियुक्त नहीं करती है। सदन स्वयं चुनता है और इसमें जो सदन के २ सदस्य हैं वह सदन द्वारा स्वयं चुने गये हैं और सदन को अधिकार है कि उन्हें भी चुन दे।

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—[१० सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

थाना घोसी, जिला आजमगढ़ में सुअर की हत्या का मुकदमा

*४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या पुलिस मंत्री को ज्ञात है कि घोसी, जिला आजमगढ़ के सामुदायिक विकास क्षेत्र में दो ग्राम सेवकों पर सुअर मार डालने के विषय में चलाये गये मुकदमों में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने पुलिस के विरुद्ध निर्णय और रिमार्क दिया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, थाना घोसी, जिला आजमगढ़ में किसी भी ग्राम सेवक पर सुअर मार डालने के आरोप में मुकदमा नहीं चलाया गया।

*५—श्री रामसुन्दर पांडेय—यदि हां, तो संबंधित पुलिस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतायेंगे कि घोसी थाने में वहां के सामुदायिक विकास क्षेत्र के दो ग्राम सेवकों के विरुद्ध सुअर मार डालने के अपराध में कोई रिपोर्ट लिखी गई है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां। कुछ लोगों ने सुअर मार दिया था और उसमें छूट भी गये। लेकिन यह ग्रामसेवक उसमें एक भी नहीं था।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी को याद है कि सामुदायिक विकास क्षेत्र के दो ग्राम सेवकों पर पुलिस द्वारा मुकदमा चलाया गया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यहां पर सुअर मारने के मुकदमे की बात है। किस पर कैसे और किस वजह से मुकदमा चला, यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो सुअर मारे गये वह देशी थे या विदेशी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

*६---**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** (जिला आगरा)---[१० सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

बटेश्वर, जिला आगरा के मेले में जाली रसीदों के कारण गिरफ्तारी

*७---**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले बटेश्वर (जिला आगरा) के मेले में जाली रसीदों के पकड़े जाने के फलस्वरूप जो गिरफ्तारी और इन्कायरी हुई उसका क्या परिणाम हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जांच के उपरान्त मामला न्यायालय भेज दिया गया जहां वह अब विचाराधीन है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस में जो रिपोर्ट हुई उसमें कितने आदमियों पर आरोप था और कितनों का चालान हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस वक्त तो मैं इतना बतला सकता हूं कि कोई एक सज्जन हैं प्रेम सिंह। उनका नाम है और उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है।

जौनपुर जिला जेल के कैदियों का भोजन तथा कार्य

*८---**श्री बाबूनन्दन** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिला जेल में कैदियों को किस हिसाब से एक समय में भोजन दिया जाता है ?

*९---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जेल के अन्दर कौन कौन सा कार्य कैदियों से कराया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस संबंध का पूरा ब्योरा जेल मैनुएल में दिया हुआ है।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय गृह मंत्री जी बतायेंगे कि जेल में अब पहले की अपेक्षा कैदियों को अधिक सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। यदि हां, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष---यह तो एक अजीब सा सवाल है, मैं इसके लिये इजाजत नहीं दूंगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जेल में राजनैतिक कैदियों से भी कोई काम लिया जाता है?

श्री अध्यक्ष---यह भी इससे पैदा नहीं होता। यह तो जौनपुर के बारे में पूछ रहे हैं।

हरिजन विषयक प्रचार कार्य के लिये धन वितरण

*१०—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरिजनों के बीच प्रचार कार्य करने के लिये कितना कितना रुपया प्रत्येक जिला में सरकार की तरफ से दिया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)—गत वित्तीय वर्ष में हरिजनों के बीच प्रचार करने के लिये जिलों में जो रुपया दिया गया उसका विवरण संलग्न पत्र में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५८७ पर)

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रुपया प्रचार कार्य के लिये दिया गया है वह जिलों में किस प्रकार खर्च किया गया है ?

डाक्टर सीताराम—वह रुपया पब्लिसिटी में इस तरह से खर्च किया जाता है कि हरिजनों के प्रति लोगों के दिल से छुआछात को दूर करने के लिये अच्छा साहित्य छापा जाय, सभायें की जायं, मीटिंग्स की जायं, प्रोपेगंडा किया जाय और साथ साथ हरिजन विद्यार्थियों और सवर्ण विद्यार्थियों का साथ साथ कम्पटीशन रखा जाय जिसमें वह एक दूसरे के साथ खेलें कूदें इस तरह भावनायें जनता में पैदा करने के लिये यह रुपया दिया गया है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रचार कार्य के लिये प्रत्येक जिले में कुछ कर्मचारी भी रखे गये हैं ?

डाक्टर सीताराम—इस फंड से नहीं रखे गये हैं।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक जिले में कितना कितना रुपया दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रत्येक जिले के लिये तो मैं इजाजत नहीं दूंगा क्योंकि यह एक बहुत लम्बी लिस्ट हो जायगी। आप किसी एक जिले के लिये पूछ लें।

श्री रामदास आर्य—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर जिले में कितना रुपया दिया गया है ?

डाक्टर सीताराम—सन् १९५४-५५ में २,००० रुपया दिया गया है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह आदेश जिनकी चर्चा की गई है जिला प्लानिंग कमेटीज को कब भेजे गये ?

डाक्टर सीताराम—यह आदेश २४ मार्च, १९५४ को भेजे गये हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि इस आदेश में जिला प्लानिंग कमेटीज को यह लिखा गया है कि प्रचार के कार्य को बतलायेंगे और उसके मुताबिक रुपया खर्च किया जाय और उसका विवरण अभी तक जिलों को नहीं भेजा गया है?

डाक्टर सीताराम—एक विवरण जैसा कि मैंने अभी बतलाया था इस प्रश्न के संबंध में २४ मार्च के सरक्यूलर में भेज दिया गया है।

जिला कानपुर के गजनेर और शिवली थानों की इमारतें

*११—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या गृह मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि अकबरपुर तहसील, जिला कानपुर के गजनेर और शिवली थानों की कच्ची इमारतें बहुत ही जीर्ण अवस्था में हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*१२—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पहले गजनेर थाने की इसी कच्ची इमारत में नकबें लगाकर हथियार चोरी गये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*१३—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सरकार उपर्युक्त थानों की जीर्ण तथा अरक्षित कच्ची इमारतों को पुख्ता बनवाने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त इमारतों के निर्माण का काम कब तक प्रारम्भ हो जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक गजनेर थाने की बात है उसके लिये जमीन मिल गई है और आशा की जाती है कि अगले बजट में रुपया रखा जा सकेगा। इसका तखमीना करीब एक लाख का है। जहां तक दूसरे थाने शिवली की बात है उसके लिये जमीन प्राप्त करने की कोशिश हो रही है और नोटीफिकेशन गवर्नमेंट ने निकाल दिया है।

श्री व्रजबिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या माननीय गृह मंत्री जी कानपुर जिले की दूसरी इमारतों को भी जिनकी खस्ता हालत है पक्की बनाने की कोशिश करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, लेकिन मंत्री जी को दूसरे जिलों की इमारतों का भी खयाल करना पड़ता है।

सरायमीता, तहसील कानपुर में हरिजनों को कुएं बनाने में सहायता

*१४—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि ग्राम सरायमीता, तहसील कानपुर में हरिजनों को कुआं बनाने की सहायता दी गई थी ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

*१५—श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार को मालूम है कि वहां के कुछ ठाकुरों ने कुआं बनाने में झगड़ा करके कुआं नहीं बनाने दिया है और इसकी सूचना जिलाधीश व परगनाधीश कानपुर को दी गई ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, चूंकि मामला न्यायालय के अधीन था कोई और कार्यवाही नहीं की जा सकती थी।

*१६—श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि ग्राम सरायमीता के हरिजनों के पानी पीने के कष्ट को कुआं बनवा कर कब तक दूर करवा देगी ?

डाक्टर सीताराम—आशा की जाती है कि इस वर्ष सरायमीता में एक कुआं बन जायगा।

श्री मुरलीधर कुरील—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह कुआं सरायमीता में कहां पर बनेगा ?

डाक्टर सीताराम—उसी गांव में जहां भी जगह मिल जायगी बन जायगा।

पाकिस्तान से वापस आने वाले मुसलमानों के संबंध में परिप्रश्न

*१७—**श्री रणजंय सिंह** (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो १,०९६ मुसलमान पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से बसने के लिये लौट रहे हैं वे किस किस जिले के हैं, कब-कब यहां से गये थे और उनमें भूतपूर्व सरकारी कर्मचारी कितने हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पाकिस्तान से १,१२२ मुसलमान मार्च १९५४ में उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से बसने के लिये लौटे हैं। वे हरदोई, खेरी, शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत, मथुरा, नैनीताल, लखनऊ, बुलन्दशहर, मुजफ्फर नगर, बरेली, आजमगढ़, आगरा, मेरठ जिलों के हैं ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये लोग फरवरी १ व ३१ मई, १९५० के बीच में इस प्रदेश से पाकिस्तान चले गये थे। इनमें ५ भूतपूर्व सरकारी कर्मचारी हैं।

*१८—**श्री रणंजय सिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कि वे किस कारण पाकिस्तान चले गये थे और अब क्यों वहां से चले आ रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये लोग सन् १९५० में इस प्रदेश से साम्प्रदायिक झगड़ों के कारण पाकिस्तान चले गये थे।

सन् १९५० में भारतवर्ष के प्रधान मंत्री ने उन मुसलमानों को जो फरवरी १ और मई ३१, सन् १९५० के बीच में पाकिस्तान भाग गये थे पुनः इस प्रदेश में लौटने की सुविधा देने के लिये पाकिस्तान गवर्नमेंट को स्वीकृति दी थी। इसी स्वीकृति के अनुसार ये लोग इस प्रदेश में लौटे हैं।

*१९—**श्री रणंजय सिंह**—क्या सरकार ने इस बात का पता लगा लिया है कि पाकिस्तान में वे किस राजनैतिक दल में सम्मिलित थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रादेशिक सरकार ने इस बात का पता नहीं लगाया कि ये लोग पाकिस्तान में किस राजनैतिक दल में सम्मिलित थे। इसका पता लगाने की न कोई आवश्यकता समझी गई और न उनके पास ऐसे साधन ही थे जिससे इस बात का आसानी से पता लगाया जा सकता।

श्री रणंजय सिंह—क्या माननीय पुलिस मंत्री बतलायेंगे कि जो सरकारी कर्मचारी पाकिस्तान से लौट कर आये हैं उन्हें कोई सरकारी कार्य सौंपा गया है या सौंपने का विचार किया जा रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, न तो सौंपा गया है और न सौंपने का कोई विचार है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान से जो मुसलमान आये हैं उनकी सम्पत्ति जो पहले जब्त की गयी थी वह वापस कर दी गयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उसके लिए आदेश यह है कि अगर उसमें कोई कानूनी अड़चन न हो तो वापस मिल सकती है, लेकिन एवैकुई प्रापर्टी विभाग से उन्हें लिखा पढ़ी करनी होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय गृह मंत्री बतला सकेंगे कि जो सरकारी ४ कर्मचारी वापस आये हैं, क्या उनको कोई काम सुपुर्द कर दिया गया है सरकार की ओर से ?

श्री अध्यक्ष—इसका तो जवाब दे दिया गया है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि भूतपूर्व सरकारी कर्मचारी जो आये हैं वह किस विभाग के थे, किस पद पर थे और उनके नाम क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक तो बिजनौर जिले के रिटायर्ड पोस्ट मास्टर साहब थे, तीन बरेली के रहने वाले रेलवे के छोटे कर्मचारी थे और एक वर्मा पुलिस के सब-इन्सपेक्टर थे।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पाकिस्तान से इस प्रकार लोग हिन्दुस्तान में बराबर आ रहे हैं या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मार्च तक की सूचना तो मेरे पास है। उसके बाद से तो खास तौर से लोग नहीं आये हैं। यह तो स्पेशल ट्रेन से समझौते के अनुसार आये थे। मार्च में इस सम्बन्ध में अन्तिम स्पेशल ट्रेन आई।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय गृह मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जो लोग पाकिस्तान से वापस आ रहे हैं उनके राजनैतिक व सम्प्रदाय सम्बन्धी कार्यों की जांच सरकार ने की है ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब तो दिया जा चुका है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय गृह मंत्री बतायेंगे कि यह जो अफसर यहां से पाकिस्तान चले गये थे वह छुट्टी लेकर गये थे या ऐसे ही भाग कर चले गये ?

श्री अध्यक्ष—इसका भी जवाब उत्तरों में आ चुका है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उनकी ओर से कौन सी कार्यवाही की गई है इस बात का पता लगाने के लिए कि जो लोग पाकिस्तान से लौट कर आये हैं उनमें से कोई मौजूदा पाकिस्तान सरकार का एजेंट नहीं है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रदेश की सुरक्षा और सेक्योरिटी के लिए जो तरीके हैं उन तरीकों से जैसे हम और लोगों के विचार और उनकी गतिविधियों को जानने का प्रयत्न करते हैं, वैसे ही इन लोगों की बाबत भी करते हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस प्रकार जो लोग हिन्दुस्तान से पाकिस्तान गये थे, और जो प्रापर्टी उनकी इवेकुई प्रापर्टी डिक्लेअर हो गई थी, उनके लौट आने पर क्या उस प्रापर्टी की वापसी का अधिकार होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने अभी निवेदन किया कि जो भारत सरकार की ओर से उनको आश्वासन दिया गया था उसके अन्दर यह है कि उन लोगों को इवेकुई प्रापर्टी विभाग से लिखा-पढ़ी करनी होगी और अगर कोई कानूनी अड़चन न होगी तो उनकी जायदाद वापस कर दी जायगी।

*२०—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)— [१० सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड में हरिजन बच्चों को अनिवार्य शिक्षा

*२१--श्री पातीराम (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड में अनिवार्य शिक्षा योजना के अन्तर्गत कितने बच्चे शिक्षा पा रहे हैं और उनमें हरिजनों की संख्या क्या है और शिक्षा प्राप्त न करने के अन्तर्गत कितनों पर कानूनी कार्यवाहियां की गयीं ?

डाक्टर सीताराम--इस योजना के अन्तर्गत इस नगरपालिका में कुल ३,५५२ बालक शिक्षा पा रहे हैं। इनमें से हरिजन बालकों की संख्या ५०४ है।

२३८ बालकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाहियां की गयीं।

श्री रामदास आर्य--क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस नगरपालिका में ६ वर्ष से ११ वर्ष के कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक स्कूलों में प्रवेश नहीं कर सके हैं ?

डाक्टर सीताराम--६ वर्ष से ११ वर्ष तक की उम्र के कुल ३,७०५ बच्चे हैं। १५३ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं।

श्री पातीराम--क्या सरकार के पास वहां के कुछ संरक्षकों के पास से ऐसे भी आवेदन-पत्र आये हैं कि थोड़ी सी गैरहाजिरी के बाद भी उन पर कानूनी कार्यवाही की जाती है ?

डाक्टर सीताराम--ऐसी कोई सूचना नहीं आयी है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो २३८ के प्रति कानूनी कार्यवाही की गई हैं उनमें हरिजनों की कितनी संख्या है ?

डाक्टर सीताराम--उनमें हरिजनों की संख्या ३३ है।

श्री रामदास आर्य--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो लड़के स्कूल में नहीं जा सके हैं उनके स्कूल में न जाने का कोई विशेष कारण है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--इसका जवाब तो उन बच्चों के माता-पिता दे सकते हैं।

अध्यापक संघ चन्दौसी द्वारा स्थानीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों के मैनेजरों के विरुद्ध स्मृति-पत्र

*२२--श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि अध्यापक, संघ चन्दौसी ने स्थानीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों के मैनेजरों के विरुद्ध एक स्मृति-पत्र जिला शिक्षा, निरीक्षक, मुरादाबाद को दिया था ?

डाक्टर सीताराम--जी हां।

*२३--श्री महीलाल--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त स्मृति-पत्र की प्रतिलिपियां शिक्षा संचालक व उप-शिक्षा संचालक महोदय को भी भेजी गई थीं ?

डाक्टर सीताराम-- जी हां।

*२४—श्री महीलाल—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त स्मृति-पत्र की जांच की कोई व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो उसका क्या फल रहा ?

डाक्टर सीताराम—जी हां । ठीक समय पर वेतन न मिलने तथा प्राविडेंट फन्ड का रुपया नई स्कीम चालू होने पर न मिलने तथा छात्र कोष से धन लेने के आरोप ठीक पाये गये थे और प्रबन्धकों को इस विषय में उचित आदेश शिक्षा संचालक ने दे दिये हैं।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि किन किन शिक्षा संस्थाओं के प्रबन्धकों को इस विषय में आदेश दिये गये हैं ?

डाक्टर सीताराम—चन्दौसी में तीन इंटरमीडिएट कालेज हैं और तीनों इंटर-मीडिएट कालेजों के मैनेजरों को आर्डर दिया गया है ।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा संचालक महोदय ने इन प्रबन्धकों को क्या आदेश दिये हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—वह तो उत्तर में दे दिया गया है ।

श्री महीलाल—उत्तर में केवल उचित आदेश के सम्बन्ध में लिखा है । मैं उसको विवरण के साथ जानना चाहता हूं क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—भविष्य में अध्यापकों को वेतन यथा समय दिया जाया करे । प्रबन्धकों को यह भी आदेश दिया गया है कि भविष्य में जिला शिक्षा निरीक्षक की आज्ञा बिना छात्र कोष से रुपया न निकाला जाय ।

बकरीद के मौके पर मुसलमानों द्वारा दंगे का प्रयत्न

*२५—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले बकरीद के मौके पर साम्प्रदायिक मुसलमानों द्वारा कहां-कहां गड़बड़ करने की कोशिश की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिला कानपुर, हरदोई, बस्ती, रामपुर तथा गोंडा से। यह उत्तर इस आधार पर दिया गया है कि पिछले से तात्पर्य १९५३ से है ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय गृह मंत्री बतायेंगे कि पिछली बकरीद पर भी कुछ दंगे हुए हैं और हुए हैं तो कहां-कहां ? मेरा मतलब १९५४ से है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। कहीं कोई उपद्रव नहीं हुआ है ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि यह जो दंगे या झगड़े हुए हैं जिनका जिक्र इस जवाब में है उसमें कितने धन-जन की हानि हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इसका ब्योरा है । यदि आप समझें कि एक साल पुराने साम्प्रदायिक गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ना ठीक होगा तो मैं बता सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष—टोटल बता दीजिये ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—टोटल जोड़ कर नहीं दिया हुआ है ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इन झगड़ों के पीछे किन्हीं संगठित संस्थाओं का हाथ था या स्वयं स्फूट थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—किसी एक संस्था का इनमें हाथ नहीं था।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री महोदय को इसकी सूचना या शिकायत मिली है कि इन झगड़ों के पीछे हमारे प्रदेश में जमायत इस्लामी का हाथ था, जिसको हमारे देश में काम करने वाली अमेरिकन एजेंसियों से सहायता प्राप्त होती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके अन्दर कई बातें हैं। जमायत इस्लामी एक संस्था जरूर है। उसको कैसे सहायता प्राप्त होती है इसकी सूचना माननीय सदस्य को होगी, हमें नहीं है। उन दंगों से जमायत इस्लामी का सम्बन्ध था यह भी मैं नहीं कह सकता।

*२६—**श्री रामनारायण त्रिपाठी**—[१७ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

नैनीताल तहसील में पानी का कष्ट

*२७—**श्री नारायण दत्त तिवारी**—क्या सरकार को मालूम है कि नैनीताल तहसील के बहुसंख्यक पर्वतीय ग्रामों में पानी के अभाव के कारण अत्यन्त कष्ट है ? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, नैनीताल तहसील के कुछ ग्रामों में पीने के पानी का कष्ट है। इस असुविधा को दूर करने के लिये जिले की हरिजन सहायक उपसमिति निधि का एक बड़ा भाग अपने पास निहित धनराशि का एक बड़ा भाग वहां जलपूर्ति की योजना पर व्यय कर रही है। इसके अतिरिक्त सरकार लगभग एक लाख रुपये का अनुदान नैनीताल जिले में जल योजना के लिये देने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार नैनीताल तहसील के पर्वतीय ग्रामों का पानी पीने का इन्तजाम हरिजन सहायक समिति और हरिजन सहायक विभाग के द्वारा रखती है ?

डाक्टर सीताराम—जिले की प्लानिंग कमेटी करती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि अब तक जो उपसमिति ने खर्च किया है वह किन योजनाओं में किया है ?

डाक्टर सीताराम—नैनीताल तहसील में ४२ गांवों के लिये एक योजना बनाई गई है, जिसमें २३,५०० रु० खर्च किया जायगा। इन ४२ गांवों में से १५ गांवों में बहुत तकलीफ पानी की है और इन १५ गांवों में से ११ गांवों में यह योजना चालू कर दी गई है जिसमें २१ हजार रुपये खर्च हो चुके हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी उन गांवों के नाम पढ़ देने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—जिन गांवों में काम शुरू हो गया है उनके नाम इस प्रकार हैं—ओड़ा, बासोट, जोशीखोला, बजून, भुयालगांव, कूरटा, लग्गा, बेलुवाखान, गेठियातल्ला चोरसा, सलियादवैल, ओखलटूंगा, ओड़ावासोट, रियाड़तल्ला, सुनस्यादी।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार को मालूम है कि हल्द्वानी कस्बे के हरिजन बहती हुई नालियों का पानी पीते हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसका इन प्रश्नों से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

केसर शुगर वर्क्स, बहेड़ी, जिला बरेली के मजदूरों का बोनस

*२८—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि केसर शुगर वर्क्स, बहेड़ी, जिला बरेली में सन् १९५१-५२ के सीजन का बोनस सरकारी आदेशानुसार मिल मजदूरों को नहीं बांटा है? अगर हां, तो क्यों और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, प्रबन्धकों ने हाई कोर्ट में श्रमायुक्त के आदेश के विरुद्ध रिटायर कर दी थी जिस पर हाई कोर्ट ने उक्त आदेश को रद्द कर दिया। ऐसी स्थिति में सरकार समुचित कार्यवाही कर रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इसकी जाने वाली समुचित कार्यवाही का क्या स्वरूप है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सच तो यह है कि बड़े जोरों से दिमाग लड़ रहे हैं और किसी जगह पहुंच नहीं पाये हैं और इसका कारण यह है कि हाई कोर्ट ने उस रिट का फैसला लिखते हुए यह लिखा है कि गवर्नमेंट को बोनस देने का अधिकार तो है लेकिन सीजन बीत जाने पर बोनस देने का अधिकार नहीं है और जो हमारे यहां बोनस दिया जाता है वह सीजन के बाद ही दिया जा सकता है क्योंकि सीजन के अन्दर यह मुमकिन नहीं है पता लगाना कि किस कारखाने में कितने मन गन्ना क्रश किया गया, सीजन बीत जाने के बाद ही इसका पता लगा सकता है। सीजन के अन्दर ही आदेश निकल जाय यह बात समझ में नहीं आ रही है या कोई और फार्मूला गन्ने के क्रशिंग का निकाला जाय यह कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम गौर कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकल आये। इसके साथ इतना और कह दूं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रोप्राइटर्स हैं वे किसी तरह से राजी हो सकें कुछ देने के लिये तो अच्छा है। यह दिक्कत केवल इसी मिल के लिये नहीं बल्कि सभी मिलों के लिये हो जायगी क्योंकि सीजन बीत जाने पर बोनस आर्डर नहीं हो सकता।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि मजदूरों को समय पर बोनस मिल सके इसके लिये अब सरकार क्या नई व्यवस्था कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जैसा कि मैंने बतलाया समय पर बोनस मिल सकना तो दूर की बात है। अगर हाई कोर्ट के निर्णय का यही रूप रहा तो बोनस मिल सके इसमें ही सन्देह है। कोई और कानूनी तरीका हो सकता है इस पर गौर किया जा रहा है ताकि बोनस मिल सके।

जिला फर्रुखाबाद में राहजनी, डकैती तथा कत्ल

*२९—श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला फर्रुखाबाद के प्रत्येक थाने के अन्तर्गत सन् १९५३ और ३० अप्रैल, १९५४ तक हर साल अलग-अलग कत्ल, डकैती, राहजनी तथा चोरी की संख्या क्या रही? कितने मुकदमें सरकार द्वारा चलाये गये और कितने केस कामयाब हुये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मांगी हुई सूचना साथ में नत्थी नक्शे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५८८-५९१ पर)

श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी——क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि एक जनवरी, सन् १९५३ से ३० मार्च, १९५४ तक १६ महीनों में जिला फर्रुखाबाद में ५५ कत्ल की रिपोर्ट हुयीं और ४२ चालान किये गये। उनमें केवल ७ सजायाब हुये और डकैती की ५४ रिपोर्ट की गयी और ३० चालान हुये और उनमें २ सजायाब हुये। चोरी के सम्बन्ध में ४१६ रिपोर्ट की गयीं.....

श्री अध्यक्ष——यह तो आप ब्योरा पेश कर रहे हैं, यह उनको मालूम है।

श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी——तो सजा और चालान इस कदर कम हुये इसका क्या कारण है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——चालान कम होने का कारण तो जो कुछ भी रहा हो लेकिन यह तो प्रत्यक्ष है कि काफी सबूत नहीं मिले होंगे जिसकी वजह से नहीं हो सके। जहां तक सजा कम हुयी तो उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि कई मुकदमे ऐसे हैं जो अभी खत्म नहीं हुये हैं।

श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी——क्या माननीय गृह मंत्री जो इस कदर कम चालान और सजा हुई उसका कारण ब्योरेवार मालूम करके सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——कारण तो मैंने ब्योरेवार निवेदन किया वह यही है और किसी खास मुकदमे की बाबत हो या माननीय सदस्य यह जानना चाहते हों कि कितने मुकदमे चल रहे हैं और कितने खत्म नहीं हुये तो इसकी सूचना दी जा सकती है।

लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों पर ऋण

*३०——**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)——लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों पर कितना-कितना ऋण है और उसमें से कितना-कितना ऋण सरकार द्वारा अदा किया गया है?

डाक्टर सीताराम——लखनऊ विश्वविद्यालय पर १८,६७,७५७ रु० का ऋण था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर १९,४२,६७६ रु० का ऋण था। इन दोनों विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक को उनके ऋण की पूर्ति हेतु ७५,००० रु० का अतिरिक्त अनुदान दिया गया।

श्री देवकीनन्दन विभव——क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह ऋण इन विश्वविद्यालयों ने क्यों लिये थे और कब लिये थे?

डाक्टर सीताराम——यह तो बड़े ब्योरे में आपके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा आप वैसे इसकी सूचना मालूम कर सकते हैं।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)——क्या माननीय मंत्री जी ने ऋण की तादाद जो बतलायी वह १८ लाख और अनुदान जो दिया गया वह ७५ रुपया था?

श्री अध्यक्ष——वह संख्या ७५ हजार है।

श्री देवकीनन्दन विभव——क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि उन्होंने क्या कदम उठाया है जिससे यह यूनिवर्सिटियां अपने को इन लोन्स से इतना ओवर बर्डन न कर सकें?

श्री हर गोविन्द सिंह——वह बिल आपके सामने थोड़े दिन के बाद ही आ जायगा।

शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देने के हेतु कमेटी की रिपोर्ट

*३१—**श्री कैलाश प्रकाश** (जिला मेरठ)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देने पर विचार करने के लिये जो कमेटी नियुक्त हुई थी उसकी रिपोर्ट कब प्राप्त हुई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जून, १९५१ में।

भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना में शिक्षा सम्बन्धी अनुदान

*३२—**श्री गेंदासिंह**—क्या भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना में शिक्षा संबंधी अनुदान देने के विषय में गत वर्ष राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने कोई योजना उसके सामने पेश की थी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां।

देवरिया जिले में चीनी मिल मजदूरों के लिये भवनों का निर्माण

*३३—**श्री गेंदासिंह**—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि देवरिया जिले की चीनी मिलों में कहां-कहां मजदूर के लिये सीरेवाले कोष से कितने कितने मकान बन रहे हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—देवरिया जिले के सभी चीनी मिलों में शीरे वाले कोष से मजदूरों के लिये मकान बनाने की योजना है। इन मकानों की संख्या संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५९२ पर)

यूनाइटेड प्राविंसेज कम्पनी लिमिटेड सेवरही, जिला देवरिया के फार्म पर मजदूरों की छटनी

*३४—**श्री गेंदासिंह**—क्या यह सच है कि जब से यूनाइटेड प्राविंसेज कम्पनी लिमिटेड सेवरही, जिला देवरिया के फार्म में ट्रेड यूनियन संगठित हुई तब से कई किस्तों में मजदूरों को निकाल दिया गया ? यदि हां, तो कितने मजदूर निकाले गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक बार ९६ और दूसरी बार ३७ मजदूर निकाले गये।

पुलिस लाइन, जिला देवरिया में मंदिर निर्माण

*३५—**श्री गंगा प्रसाद** (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया में पुलिस लाइन में कोई मंदिर बन रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*३६—**श्री गंगा प्रसाद**—क्या यह सत्य है कि पुलिस लाइन देवरिया में मंदिर बनवाने के लिये राज्य सरकार ने कोई अनुदान दिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

आगरे में उत्तर प्रदेश सप्रेशन आफ इम्मोरेल ट्रैफिक ऐक्ट, १९३९ का लागू होना

*३७—**श्री देवकीनन्दन विभव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि Uttar Pradesh Suppression of Immoral Traffic Act, १९३९, प्रदेश की किन-किन नगरपालिकाओं में पूरा लागू किया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—Uttar Pradesh Suppression of Immoral Traffic Act, १९३३ केवल कुमायूं डिविजन में पूरा लागू किया गया है जिसमें म्युनिसिपल बोर्ड अल्मोड़ा व नैनीताल शामिल हैं।

*३८—**श्री देवकीनन्दन विभव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त कानून आगरा में कब से लागू है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आगरा में इस कानून की धारा ११ मार्च १५ सन् ३७ तथा धारा १० जून ६ सन् ३७ से लागू है।

श्री कृष्ण ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम (संस्कृत) विद्यालय कछला, बदायूं को राजकीय सहायता

*३९—**श्री नेकराम शर्मा**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष श्री कृष्ण ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम (संस्कृत) विद्यालय कछला, बदायूं को कितनी राजकीय सहायता मिली ?

श्री हर गोविन्द सिंह—इस वर्ष अनुदान निर्धारण अभी नहीं हुआ है। गत वर्ष ६००रु० अनुपालन अनुदान दिया गया जिसके अनुसार दो खंडिका के अनुदान भुगतान करने के आदेश दे दिये गये हैं।

संस्कृत पाठशालाओं को सहायता देने का आधार

*४०—**श्री नागेश्वर द्विवेदी** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बतानेकी कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में गत वर्ष किस किस संस्कृत पाठशाला को, कितनी कितनी आर्थिक सहायता, किस किस कार्य के लिये दी गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इस संबंध में एक तालिका सदस्य महोदय के सूचनार्थ मेज पर रखी जाती है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५९३ पर।)

*४१—**श्री नागेश्वर द्विवेदी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संस्कृत पाठशालाओं को सहायता देने का आधार क्या होता है ?

श्री हरगोविंद सिंह—शिक्षा संहिता के अनुच्छेद ३९१ के आधार पर उन्हें सहायता दी जाती है।

*४२-४३—**श्री खुशीराम** (जिला अल्मोड़ा)—[३ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

मुसहर जाति में शिक्षा की कमी

*४४—**श्री कमला सिंह** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुसहर जाति जो गोरखपुर जिले में अधिकतर पाई जाती है वह हरिजन है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं।

*४५—**श्री कमला सिंह**—क्या यह सत्य है कि इस जाति के लोग उच्छिष्ट (जूठा) भोजन पर अपना गुजर करते हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मुसहर जाति के लोग ब्राह्मण, क्षत्री आदि सवर्ण लोगों का जूठा भोजन खाते हुए कभी-कभी देखे जाते हैं। परन्तु ये लोग हरिजनों का छुआ पानी भी नहीं पीते हैं।

*४६—**श्री कमला सिंह**—क्या सरकार इस कौम को शिक्षित बनाने के हेतु इनके पढ़ने लिखने तथा गाजीपुर की सैदपुर तहसील में उनकी कोई कालोनी बनाने पर विचार कर रही है?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं।

*४७-४८—**श्री रामहेत सिंह** (जिला मथुरा)—[१० सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

अलीगढ़ में दंगे से हानि

*४९—**श्री नेकराम शर्मा**—क्या यह सही है कि तारीख ६ तथा ७ जून, १९५४ को अलीगढ़ में कोई दंगा हुआ? यदि हां, तो कितने पुलिस कर्मचारी घायल हुये तथा कितने अन्य व्यक्ति घायल हुये या मरे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—५ जून, १९५४ को एक दंगा हुआ था जिसमें ९ पुलिस कर्मचारी और २३ अन्य व्यक्ति घायल हुये थे। मरा कोई नहीं।

*५०—**श्री नेकराम शर्मा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस झगड़े में कितनी माली हानि हुई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—लगभग १६,००० रुपया की।

*५१—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—[१० सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*५२—**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)—[१० सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

१९५४-५५ में शिक्षा विभाग के अधिकारों के सेवा काल में वृद्धि

*५३—**श्री भगवान सहाय** (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस साल १९५४-५५ में शिक्षा विभाग के कितने गजटेड आफ़िसर्स को एक्सटेंशन दिया गया है?

श्री हरगोविन्द सिंह—केवल एक श्री पन्ना लाल लाईवाल।

*५४—**श्री भगवान सहाय**—क्या सरकार उक्त गजेटेड आफिसर्स के सबंध में यह बताने की कृपा करेगी कि वे किन-किन पदों पर कार्य कर रहे हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली।

पिछड़ी जाति कमीशन

*५५—**श्री रामचन्द्र विकल**—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उसने पिछड़ी जाति कमीशन के पास पिछड़ी जातियों से संबंधित कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं।

*५६—**श्री रामचन्द्र विकल**—क्या सरकार इस कमेटी के उन सदस्यों के नाम बतायेगी जिनके द्वारा उपर्युक्त रिपोर्ट तैयार की गई है ?

श्री हर गोविन्द सिंह—प्रश्न नहीं उठता।

*५७—**श्री झारखंडेराय**—[९ सितम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

झांसी में गजरा के मकबरे का रख रखाव तथा महारानी लक्ष्मी बाई के राज मन्दिर की मरम्मत

*५८—**श्री लक्ष्मण राव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि झांसी की महरानी लक्ष्मी बाई के पूज्य पति राजा गंगाधर राव की नाट्यशाला की नर्तकी गजरा के उस कमकबरे का जो झांसी सिविल अस्पताल के हाते में है सरकार वार्षिक रखाव करती है ?

श्री हर गोविन्द सिंह—जी हां।

*५९—**श्री लक्ष्मण राव कदम**—क्या सरकार झांसी में लक्ष्मी जी के उस राज्य मंदिर की जिसमें महरानी लक्ष्मी बाई नित्यप्रति पूजा करने जाती थीं मरम्मत करने का विचार रखती है ?

श्री हर गोविन्द सिंह—जी हां।

*६०—**श्री लक्ष्मण राव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने गत वर्ष निर्माण विभाग के डिप्टी मिनिस्टर श्री चतुर्भुज शर्मा को उसका निरीक्षण करने भेजा था और उसकी मरम्मत के लिये एस्टीमेट तैयार कराया था ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां।

*६१—**श्री देव दत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)—[१७ सितम्बर १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

अमिला पुलिस चौकी (आजमगढ़) की स्थापना

१—**श्री झारखंडे राय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अमिला पुलिस चौकी (आजमगढ) कब से कायम है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अमिला पुलिस चौकी १ सितम्बर, १९५० से कायम है।

खरीदारों से लिये जाने वाले धर्मादा के विषय में जांच

२—**श्री राम दुलारे मिश्र**—क्या सरकार १२ दिसम्बर, सन् ५२ के प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के संबंध में यह बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार ने खरीदारों से लिये जाने वाले धर्मादा के लिये विषय में जो जांच कराई है उसका क्या परिणाम निकला ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जांच करने पर जो सूचनायें अब तक प्राप्त हुई है उस पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

३--श्री राम दुलारे मिश्र--क्या सरकार इस विषय में कोई कानून बनाना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, निश्चित समय तो नहीं बतलाया जा सकता पर इस संबंध में ड्राफ्ट बिल तैयार किया जा रहा है जो जल्दी ही विधान सभा के सामने प्रस्तुत किया जावेगा।

४--श्री राम दुलारे मिश्र--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रदेश के बाजारों में व्यापारियों द्वारा जो पैसा धर्मादा के नाम पर कटता है उसका हिसाब कौन रखता है और वह धन किस प्रकार व्यय किया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सरकार ने जिन विशेष कार्याधिकारी को इस संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिये नियुक्त किया था उनकी रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि इस प्रदेश के बाजारों में व्यापारियों द्वारा जो पैसा धर्मादा के नाम पर कटता है उसका हिसाब व्यापारी ही रखते हैं जिसके लिये वे एक अलग खाता धर्मादा खाता के नाम रखते हैं। यह रुपया सार्वजनिक कामों में व्यय करने के उद्देश्य से जमा होता है।

५--श्री भगवान सहाय--[१० सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

प्रश्न संख्या २७ के एक अनपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)-- श्रीमन् मैंने एक प्रश्न किया था कि हल्द्वानी में हरिजनों के लिये पीने का पानी नहीं मिल रहा है उनको बड़ा कष्ट है। तो वह प्रश्न नैनीताल जिले का था...

श्री अध्यक्ष--उस तहसील में वह नहीं है। वह तहसील का प्रश्न था लेकिन फिर भी मैंने इजाजत दे दी थी।

शिक्षा मंत्री (श्री हर गोविन्द सिंह)--इसकी सूचना भी मेरे पास आयी थी।

श्री अध्यक्ष--नैनीताल के पास हल्द्वानी होने की वजह से यह भ्रम हो सकता है।

सिंचाई कर आन्दोलन सम्बन्धी भाषण के, परिवर्तित रूप में समाचार-पत्रों को देने के सम्बन्ध में सूचना मन्त्री द्वारा खेद प्रकाशन

*सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--मान्यवर ! परसों सिंचाई रेट के विषय में जो विवाद यहां पर हुआ उसको प्रारम्भ करते हुये मैंने श्रीमान् की सेवा में अपना एक वक्तव्य प्रस्तुत किया था। मुझे उसी सिलसिले में कुछ निवेदन करना है। उस विषय की जो रिपोर्ट पत्रों में प्रकाशित हुई है, वह मैंने देखी। उसमें कहीं-कहीं ऐसी बातें निकल आयीं और मुझे इस भवन में आने का अवसर नहीं मिला। मैंने वक्तव्य देने के लिये जो नोट तैयार किया था उसमें उन बातों का समावेश था और विशेषकर कुछ आंकड़े थे जो उन्हीं विषयों की पुष्टि में मैंने संग्रह किये थे। जब मैं यहां वक्तव्य दे रहा था तो उसमें कुछ बातों का उल्लेख करना रह गया था और आंकड़ों का उल्लेख करना भी रह गया था। समय की भी कमी थी। जो रिपोर्ट समाचारपत्रों को दी गई उसमें से बहुत से अंश मैंने काट दिये थे जिनको मैं यहां नहीं कह सका था परन्तु कुछ अंश रह गये थे। जो बात यहां नहीं कही गई वही पत्रों में छपी। यह बात उचित नहीं थी और इसका मुझे बड़ा खेद है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—माननीय राजनारायण जी ने इस विषय में कुछ कहा था।

***श्री राजनारायण** (जिला बनारस)—मैंने यही कहा था कि समाचार पत्रों में वह भाषण जो यहां नहीं किया गया था वह भी दे दिया गया था और छप गया। तो उस पर मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने वाला था। मुझे मंगलाप्रसाद जी मिले, चीफ ह्विप कांग्रेस पार्टी के, और उन्होंने भी कहा कि माननीय सिंचाई मंत्री को काफी दुख है और माननीय मंत्री जी ने यहां खुद कह ही दिया है। इस सम्बन्ध में हम अब इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि यदि टाइप्ड भाषण को देख कर पत्रकारों को दिया जाय तो ऐसी गड़बड़ी न हो। मंत्री जी ने अब खेद प्रकट कर दिया है और हम इस सवाल को नहीं उठाना चाहते हैं। और आज तो मैं और भी नहीं उठाना चाहता क्योंकि मंगला प्रसाद जी ने कह दिया था और ऐसी गल्तियां ३, ४ बार हो चुकी हैं, यह मैं अवश्य कहूंगा। मुझे आज अभी-अभी फोन द्वारा यह खबर मिली कि जब डाक्टर राम मनोहर लोहिया...

श्री अध्यक्ष—आप उस बात को इस प्रश्न में न लावें।

श्री राजनारायण—तो उसकी प्रसन्नता में आज मैं इस प्रश्न को और भी नहीं उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—कल इस प्रश्न की सूचना माननीय राजनारायण जी ने सदन में दी थी। उस समय माननीय कमलापति यहां मौजूद नहीं थे। बाद में उनको यह पता लगा कि यह ऐसी बात हो गई है कि अखबारों में वह अंश छप गये जो उन्होंने यहां भाषण में नहीं कहे थे। उन्होंने सदन में खेद प्रकट किया है। यह एक अनुकरणीय उदाहरण है, बहुत उच्च आदर्श का। मैं समझता हूं कि इससे सदन की और जिस मंत्रिगण के वे सदस्य हैं उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि इसी उदाहरण को सामने रख कर अगर हम अपने कार्य को चलाते रहेंगे और जब कभी किसी से गलती हो तो वह अपनी गलती को कबूल कर लेंगे तो यह आदर्श हमारा और भी पार्लियामेंटरी संस्थाओं के लिये अनुकरणीय होगा।

नेता विरोधी दल को सुविधाएं देने के विधेयक के सम्बन्ध में परिप्रश्न

***श्री रामनारायण त्रिपाठी**—आज के अजेंडे के बारे में एक सूचना देना चाहता हूं। करीब ८ महीने पहले हमारी तरफ से नेता विरोधी दल की सुविधाओं के लिये एक विधेयक पेश किया गया था। वह उस समय भी इलाका में आ गया था लेकिन प्रान्तीय सरकार के कानूनी विभाग ने उसे ६ महीने तक अपने पास रखा और कोई सूचना नहीं दी। एक सूचना यह दी गई कि सरकार इस बात का पता लगा रही है कि और सूबों में इस तरह की सुविधायें दी जा रही हैं या नहीं। इस कारण माननीय राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो रही है।

मैं समझता हूं कि यह कोई कारण नहीं हो सकता। सरकार का कानूनी विभाग सिर्फ वैधानिक है या अवैधानिक इसी दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार कर सकता है। फिर भी सदन के सत्रावसान के बाद उसकी इलाका आयी और आज उसका दिवस था लेकिन कानूनी सलाहकारों ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। संयोग से आज वहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी भी मौजूद हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस सम्बन्ध में सख्त से सख्त हिदायत माननीय मुख्य मंत्री के जरिये कानूनी सलाहकारों को दें ताकि भविष्य में इस तरह की असावधानी न हो।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कह सकता हूं कि मेरे पास जो खबर आयी है वह यह है कि अभी उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हुआ है। जहां तक निर्णय करने का अधिकार है पूर्णतया उनको अधिकार है। वे इंकार भी कर सकते हैं तो ऐसी अवस्था में, मैं औचित्य के ऊपर कोई इशारा नहीं करना चाहता। माननीय मुख्य मंत्री जी इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालना चाहें तो डाल सकते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)---इस बारे में सेंटर से भी तथा और सब प्रदेशों से भी जानकारी की गयी, तो मालूम हुआ कि इस किस्म का कानून कहीं नहीं है, लिहाजा राज्यपाल ने यह फैसला किया है, कि इसकी इजाजत न दी जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--- श्रीमन्, मैं एक बात जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---किस सम्बन्ध में ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---इसी सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष---मैं इस सम्बन्ध में और कोई बहस उठाने की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि आज असरकारी दिन है जिसके लिये दूसरे मामले पेश हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं सिर्फ एक प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---आप लिखकर भेज दें, मैं उसकी जांच कर लूंगा और आपको सूचना मिल जायगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---किस सम्बन्ध में।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---इसी सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष---जो प्रश्न आप करना चाहते हैं उसको लिख कर भेज दें। मुझे तो इस समय तक यही सूचना मिली थी कि अभी यह प्रश्न विचाराधीन है। और माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी आपके सामने कह ही दिया है कि राज्यपाल ने उसकी इजाजत नहीं दी। ऐसी अवस्था में मैंने पहले ही व्यवस्था दे दी है कि मुझे इसके औचित्य के बारे में कोई अधिकार नहीं है कि उसका जिक्र कर सकूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने राज्यपाल की अस्वीकृति की घोषणा करके प्रजातंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध अनुचित कार्य किया है।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---आपका पूछना अनुचित था।

श्री अध्यक्ष---(श्री राजनारायण जी से) उसके बारे में जो कुछ आपको लिखना हो, आप लिख कर दें, तो मैं देख लूंगा। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पीकर की हैसियत से राज्यपाल की घोषणा से सदन को अवगत कराने का आपको पूरा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष---मेरे पास अभी इस निर्णय का पत्र आया नहीं है। जब वह मेरे पास आयेगा तो उस पर विचार कर लिया जायगा। इसमें कौन सी बात है।

*भूमि के उचित बटवारे के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--अब श्री गेंदा सिंह जी के संकल्प पर विचार जारी रहेगा। श्री बलवन्त सिंह, आप उस दिन बोल रहे थे, आप जारी रखेंगे। आप पहले ८ मिनट बोल चुके हैं, आपका केवल ७ मिनट समय बाकी है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, संकल्प जो माननीय गेंदा सिंह जी ने पेश किया है, इसके दो भाग हैं। एक भाग तो यह है कि जो ३० एकड़ भूमि की मियाद मुकर्रर करता है, यानी अगर हम इस बात को मानें कि ३० एकड़ से जो ज्यादा जमीन हो वह कुछ ऐसे लोगों को दें, जिसके पास जीविका का कोई साधन नहीं है। और दूसरा हिस्सा यह है कि हम इस चीज की सिफारिश अपनी केन्द्रीय सरकार से करें कि वह आजकल जो हमारा विधान है उसमें इस तरह का परिवर्तन करे जिससे यह हो सके। मैं जहां तक इस ३० एकड़ का प्रश्न है, इसमें कोई शक नहीं है कि यह बात मानी जा सकती है कि ३० एकड़ से अधिक भूमि उसके पास न रहने दें और अतिरिक्त भूमि हम ऐसे लोगों को दें जिनके पास जीवन का साधन नहीं है तो हमें सोचना पड़ेगा कि वह आदमी जिसके पास जीविका का कोई साधन नहीं है वह उस भूमि में क्या कर सकेगा, क्योंकि जहां तक खेती करने का प्रश्न है उसे ऐसा आदमी नहीं कर सकता जिसके पास खेती के साधन, हल, बैल, बीज आदि का इन्तजाम नहीं है और पैसा नहीं है। खेती तो वही कर सकता है जिसके पास पहले से खेती के साधन हों। इसलिए इस संकल्प का जो यह भाग है कि "जिनके पास जीविका न हो उनको भूमि दे दी जाय और वह उस पर खेती करें" यह न तो किसी तरह से कार्य रूप में परिणत हो सकता है और न यह मुनासिब ही है। यह हो सकता है कि ऐसे लोगों को जिनके पास जीविका के साधन नहीं हैं उनको ऐसे साधन दिये जायं जिनसे वे अपना कारबार चला सकें लेकिन मैं समझता हूं कि वह साधन कम से कम भूमि नहीं हो सकता। हम उन्हें मजदूरी या ऐसे काम दें कि जिनसे वे जीविका कमा सकें और रह सकें, लेकिन अगर हम उनको जमीन देते हैं तो उनके लिए राज्य सरकार को तमाम साधनों को जुटाना पड़ेगा जिससे उसके ऊपर और बोझ बढ़ेगा। दूसरे हमें यह भी देखना होगा कि हमारे सूबे में ऐसी कितनी भूमि है जो ३० एकड़ से अधिक होलडिंग्ज में है। जहां तक मैं समझता हूं ऐसी भूमि ८ लाख एकड़ के करीब है जिसको हम ऐसे भूमिहीन किसानों में वितरण कर सकते हैं। यह लोग जो खेती करते हैं, लेकिन जिनके पास अपनी खेती की जमीन नहीं है वह भूमिहीन ३६ लाख हैं और यह वह लोग हैं जिनके पास खेती करने के कोई साधन नहीं हैं। तो अगर हम इस भूमि का वितरण करते हैं तो एक के पास चौथाई एकड़ के करीब जमीन पड़ती है, तो अगर आपने उन साधनहीनों को खेती की इतनी सी जमीन दे भी दी तो उससे उनका क्या काम चलेगा और क्या लाभ होगा? क्योंकि अगर एक आदमी को भूमि उपयुक्त मात्रा में दी गई तो वह लाभप्रद न होकर हानिकारक होगी। जब कोई आदमी खेती करता है तो उसका सारा समय उसी में लग जता है चाहे उसके पास खेती कम हो या अधिक हो, इसलिये इतनी भूमि अवश्य होनी चाहिए जिससे वह उसकी उपज से अच्छी जिन्दगी बिता सके। यह हम जानते हैं कि एक आदमी जिसको ५० रुपया माहवार मासिक वेतन मिलता है वह आजकल के ३० एकड़ के काश्तकार से कहीं अच्छा है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह जो संकल्प लाया गया है कि हम ऐसे लोगों को भूमि दें, जो भूमिहीन हैं, इससे तो उपज भी गिरेगी और सरकार के ऊपर भी एक नया बोझ आ जायगा।

दूसरी बात मैंने पहले बताई कि जहां इसमें यह रखा गया है कि हम अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रार्थना करें कि वह संविधान में तब्दीली करे, यह हो सकता है, कि वह हमारी बात को न माने तो हम ऐसा काम क्यों करें, जो दूसरों के अधीन हो

---

*२३ अप्रैल, १९५४ को प्रस्तुत किया गया।

और जिसको कोई न माने या न मानें और बहरहाल इन बातों पर दूसरे राज्यों के लोगों की भी राय ली जायगी और यह उनके ऊपर मुनहसिर है कि वह हमारी राय को पसन्द करें या न करें। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर हम इसको आज मान भी लेते हैं तो यह ऐसी चीज है कि जो कार्यरूप में परिणत होने वाली नहीं है। इसलिए इन सशब्दों के साथ मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन् मैंने एक संशोधन आपके पास भेजा था।

श्री अध्यक्ष--आप उसको पेश कर दीजिये।

***श्री राजनारायण**--श्रीमन्, हमारा संशोधन यह है कि जहां 'तीस एकड़' शब्द संकल्प में है उसके आगे 'या पांच व्यक्तियों के परिवार पर एक परिवार एक हल बैल से स्वतः जितनी खेती कर सकता है उससे तीन गुना या दोनों में से जो कम हो' शब्द रख दिये जायं।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--आपका यह संशोधन एजेंडे पर तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष--आपको कोई आपत्ति है क्या ?

श्री चरण सिंह--जी नहीं आपत्ति नहीं है। लेकिन यह अभी पेश कर दिया है।

श्री राजनारायण--नकल भेज दूंगा।

श्री अध्यक्ष--आप उसकी नकल भेज दीजिये और एक नकल श्री गेंदा सिंह जी के पास भी भेजना चाहिये।

श्री राजनारायण--जी, अच्छा

तो श्रीमन् जो संशोधन मैंने जो गेंदा सिंह जी के संकल्प में प्रस्तुत किया है वह कोई संशोधन के रूप में ऐसा संशोधन नहीं है जिससे गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव में कुछ विरोध हो। यह तो उसको एक तरीके से और स्पष्ट कर दिया है। मेरे संशोधन का मतलब केवल इतना है कि तीस एकड़ भूमि भी इतनी ज्यादा है कि अगर हम अपने प्रदेश में तीस एकड़ जमीन भी लोगों के पास छोड़े तो इतनी कम जमीन रह जायगी कि जिसके पास जमीन नहीं है या जिनके पास बहुत कम जमीन है उनको देना कठिन हो जायगा। इसलिये श्रीमन् मैंने और बढ़ाया और साफ किया कि एक किसान ५ आदमी का जो परिवार रखता है एक हल और बैल से, बिला हार्ड लेबरके, बिला किसी मैकेनाइज्ड तरीके के जितनी खेती कर सकता है

श्री अध्यक्ष--आपका मतलब एक बैल की जोड़ी से है ?

श्री राजनारायण--श्रीमन्, उसीसे तो हमको लड़ना है। मगर श्रीमन्, हमारी जो जोड़ी बैल की है वह हल के साथ है। खैर, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक हल और एक जोड़ी बैल के साथ एक किसान जो पांच आदमी का परिवार रखता हो जितनी जमीन जोत सकता है उससे तीन गुना से ज्यादा जमीन उसके पास किसी भी हालत में न छोड़ी जाय और यदि उसकी तीन गुना जमीन तीस एकड़ से ज्यादा हो तो तीस एकड़ ही रहे और तीस एकड़ से कम है तो तीन गुना ही रहे मतलब यह है कि तीन गुना और तीस एकड़ में जो कम हो वही माना जाय। अब श्रीमन् गेंदा सिंह जी का जो प्रस्ताव है वह इतना निर्दोष है उस पर भी सदन में जो वादविवाद हो रहा है उससे हमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कुछ भ्रम में बहुत से सम्मानित सदस्य और हमारे माननीय राजस्व मंत्री अटक रहे हैं। वह भ्रम क्या है ? जब-जब इस सदन में जमीन के बटवारे का सवाल उठा है ऐसा लगता है कि वह बहुत ही बड़ी चीज है जिसका विरोध करना माननीय राजस्व मंत्री अपना कर्त्तव्य समझते हैं। मैं उनसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

निवेदन करूंगा कि जमीन का बटवारा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि जमीन का बटवारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है जिसको प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बिलकुल मजबूती से पकड़े हुये हैं और जिसके लिये कांग्रेस को खवाहमख्वाह विरोध करना है। जमीन का बटवारा एक साधन है जिसको अख्तियार करके हम अपने मुल्क के गरीबी के मसले को हल करने का प्रयत्न कर सकते है और इसीलिये हम जमीन के बटवारे पर इतना जोर देते हैं।

श्रीमन्, सरकारी पक्ष की तरफ से बराबर यह कहा जाता है कि जमीन है कहां कि उसका बटवारा हो। मेरा कहना यह है कि आपको देखना चाहिये कि आज अपने प्रदेश में आबादी है उसमें से कितने लोग ऐसे हैं अपने प्रदेश में जितनी आबादी है उसमें से कितने लोग ऐसे है जो इस साधन से अपना जीवन निर्वाह करते हैं कितने लोग खेती के साधन से जीवन निर्वाह कर रहे हैं, कितने लोगों के पास कितनी खेती है और मान लीजिये कि कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा खेती है और उनकी संख्या बहुत कम है तो माननीय राजस्व मंत्री को बार-बार यह नहीं कहना चाहिये कि यह बहुत नगण्य है। कारण यह कि यदि आदमियों के पास ५० लाख एकड़ जमीन है तो क्या कारण है कि उसे हम न लेलें। मैं समझता हूं कि यह बात जो बार-बार सरकारी पक्ष से उठती है, नहीं उठना चाहिये क्योंकि सवाल तो यह है कि हम सूबे की गरीबी को मिटाना चाहते हैं। इस संबंध में, श्रीमन्, मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करदूं और माननीय राजस्व मंत्री से डरते हुये यह निवेदन करदूं कि वह इस बात को मान लेंगे कि यह आंकड़े।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यहां डरने का कोई काम नहीं है।

श्री राजनारायण--मैंने यह डरना इसलिये कहा कि माननीय राजस्व मंत्री आज बहुत प्रसन्न हैं।

श्री चरण सिंह--डरता तो मैं आपसे हूं, क्योंकि आप जबरदस्ती स्टेज पर जा कर माइक्रोफोन छीन सकते हैं।

श्री राजनारायण--यह पर्सनल बात आ गई और इसके लिये मैं कुछ अर्ज करूंगा। मैं समझता हूं कि आप मेरी बात को स्वीकार करेंगे कि मैं कतई मंच पर नहीं गया और कतई अपने हाथ में माइक नहीं लिया। माननीय सदस्यों को चरण सिंह जी की बात से कुछ भ्रम हो गया है उसको मिटाना आवश्यक है। वहां मीटिंग में चरण सिंह जी को किसानों ने घेर लिया था और जब उन्होंने मुझे देखा तो शायद सोचा कि चलो, मुझे बचाने वाला एक आदमी तो आ गया। उन्होंने अपना माइक खुद मुझे दिया और मुझ से कहा कि इसका प्रयोग करके आप लोगों को शांत करिये। जिस तख्त पर वह बैठे थे उस पर जब मैं चढ़ा तो वह हिला, हिलने लगा तो मैंने कहा कि अब आप ऐसे हिलते हुये तख्ते पर बैठे हैं और सरकार के मिनिस्टर हैं तो ऐसे सरकार कैसे चलेगी। यह बात सुन कर उनका पारा चढ़ गया और उन्होंने कहा कि आप दूसरी मीटिंग में चले जाइये। माननीय चरण सिंह जी चूंकि मेरठ के रहने वाले हैं और यहां पूर्वी जिले और पश्चिमी जिलों में बड़ा मतभेद सा रहता है इसलिये मैं चाहता हूं कि आप शांति से बाद में बैठें और १०, १५ मिनट राजस्व मंत्री की बात सुनें और उसके बाद मेरी। मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि आपको अगर कुछ कहना हो तो आप अलग जा कर कहिये तो उस समय मैंने कहा कि जो जनता मुझे सुनने आई है वह खड़ी हो जाय। उस समय करीब दो सौ आदमियों को छोड़ कर जो वहीं के पटवारी व लेखपाल आदि थे, सारी जनता खड़ी हो गई और उनको, श्रीमन्, मैंने अलग ले जा कर अपना भाषण शुरू किया।

अब, श्रीमान मैं यह आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं और अभी मेरा भाषण शुरू हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--मैंने यह वक्त आपके समय में से काट दिया है।

श्री राजनारायण--अपनी जमीन पर खेती करने वाले कितने लोग हैं और पराई जमीन पर खेती करने वाले कितने लोग हैं उनके आंकड़े मैं देना चाहता हूं। अपनी जमीन पर खेती करने वालों की जनसंख्या है ३,९३,६१,०३५ और, अगर पांच आदमी का एक परिवार मानते हैं तो अपनी जमीन पर खेती करने वाले परिवारों की संख्या आती है ७८,७२,२०७। इसी तरह से जो पराई जमीन पर खेती करने वाले हैं उनकी जनसंख्या है ३१,५५,८२५ और पांच आदमियों के परिवार के हिसाब से परिवारों की संख्या होती है ६,३१,१६५।

खेतिहर मजदूरों की जनसंख्या ३६ लाख १२ हजार २०९ है और अपने देहातों में श्रीमान् एक करोड़ ७६ हजार ३४६ की जनसंख्या ऐसी है जिनके पास जमीन नहीं है। अब अगर हम देखें तो इनको कुछ रोजगार देंगे या इनका जीवन यों ही बीतेगा। इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि इनको जिनके पास जमीन नहीं है और जिनके पास कम जमीन है उनको भी हमें जमीन देना चाहिये और अगर वह जमीन हमको देना है तो वह कहीं आसमान से तो आयेगी नहीं, जो हमारे प्रांत में उपलब्ध है और जिनके पास अधिक जमीन है उन्हीं से लेकर हम उनको दे सकते हैं। ऐसी व्यवस्था हमको करनी है कि उनकी गरीबी दूर हो। अब श्रीमन्, अगर देखें तो हमको वह जमीन भी शामिल करनी होगी जो ऊसर है, बंजर है या तराई के इलाके में है। अगर इन जमीनों को हम लें तो प्रांतीय सरकार केन्द्रीय सरकार और पंच वर्षीय योजना के तमाम आंकड़ों को ले करके, अंदाज लगाया है तो हमको करीब ५० लाख एकड़ से ऊपर ही जमीन निकलती है, जो खेती के रूप में बदली जा सकती है। और श्रीमन्, हमारी जो तमाम परती भूमि १ करोड़ २२ लाख ९१ हजार ४९४ एकड़ है इसको ले करके तथा इसको आधी से भी कम कर देते हैं तो इतनी जमीन जो है उसकी आधी तो कम से कम खेती में आ ही सकती है। तो इन सब को मिला करके देखें कि कितनों को दे सकते हैं और कितनों को नहीं दे सकते हैं, तो इनके लिये दूसरे रोजगार का बन्दोबस्त हो। तो सारी जोत, परिवार और आबादी तीनों का संतुलित हिसाब निकालते हुये हमने यह हिसाब निकाला है कि अगर हम ढाई एकड़ तक जमीन सब किसानों को दे दें जो खेती करते हैं तो हमको ३६ लाख एकड़ जमीन उन किसानों को देने के लिये चाहिये जिनके पास आधा एकड़ ही जमीन है। उसी तरह से श्रीमन्, आधा एकड़ एक एकड़, दो एकड़ का हमने यह हिसाब निकाला कि ढाई एकड़ जो अपने प्रान्त के किसानों के दे दें तो कहां से निकले। तो आधे एकड़ के लिये हमने ३६ लाख निकाल और १३ लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक एकड़ जमीन है तो उनके लिये २० लाख एकड़ जमीन चाहिये और दो एकड़ वाले जो १५ लाख परिवार हैं उनके लिये साढे सात लाख एकड़ जमीन चाहिये। इस तरह ३६ लाख, २० लाख और साढ़े सात लाख को जोड़ दिया जाय तो यह उनको दी जायगी जिन के पास ढाई एकड़ से कम है।

जो मजदूर हैं उनके लिये भी कोई इंतजाम करना है। इसके लिये भी हिसाब लगाया है। वह यह है कि ३० एकड़ से ऊपर वाले जो हैं उनको अगर ३० एकड़ तक जमीन छोड़ दें तो २७ लाख एकड़ जमीन श्रीमन्, कम से कम बचती है। मुमकिन है इससे और ज्यादा हो। मैं तो इसको ३०, ३५ लाख एकड़ तक ले जा सकता हूं। फिर श्रीमन् अगर २० एकड़ जमीन छोड़ देंगे तो उसके लिये.....

श्री चरणसिंह--मैं सिर्फ एक दरख्वास्त करना चाहता था और वह यह कि अगर आप मेहरबानी करके इन आंकड़ों को भेज दें तो अच्छा हो।

श्री राजनारायण--जी अवश्य भेज दूंगा। तो श्रीमन् २० एकड़ से ऊपर जोत की जो संख्या है अगर उसमें से २० एकड़ तक जमीन छोड़ दें तो हमको ४४ लाख १३ हजार

[श्री राजनारायण]

४८५ एकड़ जमीन बांटने को मिले और अगर १६ एकड़ तक छोड़ें तो हमको ५७ लाख ५६ हजार ८८५ एकड़ जमीन मिलेगी। और अगर १० एकड़ तक छोड़ दें तो हमको ९५ लाख १३ हजार ४८४ एकड़ जमीन बांटने को मिलेगी। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हम उनको समझा भी देंगे। इसलिये श्रीमन्, मेरे कहने का मतलब यह है कि हमको जमीन करीब-करीब एक एकड़ चाहिये। यह जमीन कहां से आये। हम उनसे यह जमीन लेंगे जिनके पास काफी जमीन है और जिसको वह जोत नहीं सकते हैं, दूसरों के जरिये जुतवाते हैं और जिनके लिये बार-बार कई करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं इस जमींदारी उन्मूलन कानून को बनाने और उसमें परिवर्तन करने में।

अब मैं श्रीमन्, बाहर की फीगर्स देता हूं। अमेरिका की खेती कैसे चलती है, रूस की खेती कैसे चलती है, हिन्दुस्तान की कैसे चले, इसको मैं एक वाक्य में निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की खेती हो या हिन्दुस्तान की इंडस्ट्री हो मुझे माफ करेंगे वह लोग जो यहां अमेरिका पैटर्न हैं, मुझे तो यह मालूम होता है कि यहां की खेती न तो अमेरिका के माडेल पर चल सकती है और न रूस के ही माडल पर चल सकती है। अमेरिका में एक वर्ग मील पीछे ५० आदमी, रूस में एक वर्ग मील पीछे २० आदमी भारत में एक वर्ग मील पीछे ३०० आदमी बसते हैं और जापान में एक वर्ग मील पीछे १५० आदमी बसते हैं। इससे पता चता है कि कितनी घनी आबादी हमारे यहां है। अब आप बतलाइये कि किस माडल पर आप खेती करेंगे। अमेरिका के बारे में यदि आप सोचें तो मैं आपको बतला दूं कि वहां पर एक खेतिहर के पीछे ७० एकड़ भूमि पड़ती है, रूस में ३० एकड़ भूमि पड़ती है, और हमारे भारत में एक खेतिहर के पीछे सवा एकड़ भूमि मुश्किल से पड़ती है। जिस मुल्क में एक परिवार के पीछे मुश्किल से सवा एकड़ भूमि पड़े उसके लिये आप गरीबी मिटाने का प्रबंध कैसे करेंगे?

जब हमारे साथी श्री गेंदा सिंह जी ने अपना प्रस्ताव रखा था तो हमारे मंत्री जी कुछ इस तरह से बोल रहे थे जैसे वह इसको लाइटली ले रहे हों। कल जो उन्होंने भाषण किया वह यह था कि जमींदारी उन्मूलन कानून में बार-बार परिवर्तन कराकर जमीन के बटवारे की बात कर रहा हूं। हमारे प्रांत में श्रीमन् इस समय वह लोग भूखे हैं जिनके पास जमीन नहीं है, उनको जमीन चाहिये। उनको जमीन कैसे मिले। इसके लिये हमने बतलाया है कि आप कोई भी माडल ले लीजिये। चाहे आप १० एकड़ छोड़िये, चाहे २० एकड़ छोड़िये और चाहे ३० एकड़ छोड़िये, लेकिन आप का उद्देश्य साफ होना चाहिये कि आप क्या कर रहे हैं। जापान में ढाई एकड़ की जोतों की संख्या ९० तथा ९५ प्रतिशत है और उसी से वहां खेतिहर परिवार अपने जीवन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लेकिन हमारे यहां राजस्व मंत्री और सरकार की ओर से कहा जाता है कि शीघ्र ही हमारी भूमि जल-सिंचित हो जायगी, शीघ्र ही हमारी भूमि जल-प्लवित हो जायगी, तो इन तमाम चीजों को लेकर जमीन का बंटवारा होना चाहिये और यदि हम इस सिद्धांत को मानकर हर एक के पास ढाई एकड़ या तीन एकड़ भूमि कर दें तो हमारे यहां के किसान अपने जीवन का अच्छी तरह से निर्वाह कर सकते हैं और आज एक करोड़ ७ लाख किसान हमारे यहां बिना जमीन के हैं। उनके लिये क्या है? अगर उनको ढाई एकड़ जमीन दे दी जाय तो क्या वह अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकते हैं, जरूर बना सकते हैं। लाल बत्ती हो गयी है, श्रीमन्, मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री जी जमीन बंटवारे के सिद्धान्त को ज्यादा दिन तक टाले नहीं। अगर वह टालेंगे तो श्रीमन्, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इतना हम कह देना चाहते हैं कि यदि जनता हमारा साथ देगी तो मैं दिखला दूंगा कि जमीन का बंटवारा कैसे हो सकता है और हमने बार-बार कहा है कि एक जिले को ले लें और अगर उनके सरकारी कर्मचारी नहीं करते हैं तो वह हमें मौका दे दें तो हम साबित कर सकते हैं। ऐसी योग्यता को सक्रिय रूप प्रदान करने के लिये हम सदन में कई बार कह चुके हैं मगर हमारे राजस्व मंत्री जी नहीं मानते हैं। मैं साफ कहूंगा कि हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि जमीन का बंटवारा हो बल्कि गरीबी को मिटाने

का है, बेकारों को काम देने का है, जो अन्नावश्यकता से पीड़ित हैं, जो मुसीबतों से पीड़ित है, जो नेसेसिटीज फुलफिल नहीं कर सकते, उनको रेल्म आफ नेसेसिटीज टु दि रेल्स आफ फ्रीडम (विवशता के क्षेत्र से स्वच्छंद और स्वाधीन वातावरण) में लाने के लिए बिला जमीन के बटवारे के काम नहीं हो सकता। इसलिये मंत्री जी से निवेदन है कि इस निर्दोष प्रस्ताव और संशोधन को अवश्य कृपा करके मानें।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)--मान्यवर, मुझे बड़ा खेद है होता है जब मैं अपने मित्र माननीय राजनारायण जी की किसी बात का खंडन करने के लिये आपकी सेवा में उपस्थित होता हूं। इसलिये श्रीमन्, कि चाहे जो कुछ भी हो, हम लोग तो इस सिद्धांत को मानते हैं कि "न सौ गोती, न एक पड़ोसी। वह हमारे पड़ोसी हैं, हम चाहते नहीं कि उनकी बात का खंडन करें, लेकिन मुझे दुःख होता है, कि राजनारायण जी को जल्दी तो बहुत है वह जा भी सकते हैं लेकिन दुःख होता है जब बिना आंकड़ों को समझे हुए इस सदनके सम्मुख आंकड़े उपस्थित कर दिया करते हैं। अभी उन्होंने एक परिवार के बटवारे और खेती के एकड़ों के आकड़े सदन के सम्मुख रखे। मैं उस पर तो बाद में विचार प्रगट करूंगा, पहले मैं यह निवेदन कर दूं अपने मित्र माननीय गेंदा सिंह जी से कि जहां तक सामाजवादी सिद्धान्त का सम्बन्ध है, समाजवादी हित की बात है, भूमि के बटवारे की बात, करना उनके लिये बहुत ज्यादा खतरनाक सिद्ध होगा, और उनके लिये खासतौर से जो किसी जमाने में समाजवादी शासन की व्यवस्था इस देश में स्थापित करना चाहते हों, मैं उन्हें पुनः स्मरण दिलाऊंगा और बड़े अदब के साथ याद दिलाऊंगा कि एक बार इसी सदन के सम्मुख मैंने निवेदन किया था कि इस सम्बन्ध में काफी छान-बीन करने के बाद हमारे एक बड़े सम्भ्रांत समाजवादी श्री अशोक मेहता इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि समाजवादी शासन व्यवस्था में भूमि के बटवारे की बात करना समाजवादी दल के हित के प्रतिकूल चीज हुआ करती है और इसकी जीती जागती मिसाल, हमारे अशोक मेहता जी, ने गवर्नमेंट आफ इंडिया द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र में अपना लेख न्यूजीलैण्ड के विषय में दिया था। जब न्यूजीलैन्ड की मजदूर दल की सरकार चुनाव में हार गयी, तब उसके बाद विश्व-दर्शन में सन् १९५२ में शायद उनका एक लेख प्रकाशित हुआ था, इसी न्यूजीलैण्ड और आस्ट्रेलिया में मजदूर दल की पराजय के सम्बन्ध में और उस लेख में उन्होंने यह लिखा था कि बड़ी भारी गलती, जो न्यूजीलैण्ड के मजदूर दल ने की वह यह कि किसानों की उस वक्त में जो संख्या थी, उस संख्या के अनुपात से भूमि का वितरण कर दिया और चूंकि उन्होंने किसानों की संख्या का अनुपात लेकर भूमि का वितरण कर दिया इसके बाद जब उसी मजदूर सरकार ने ७-८ वर्ष बाद यह देख कर कि अब किसानों की आबादी बढ़ गयी है, भूमि का वितरण फिर से करना चाहिये, तो वही किसान उसी मजदूर सरकार के खिलाफ हो गये और उन्होंने उसे हरा दिया। यह श्री अशोक मेहता का विश्लेषण है और उन्होंने यह कहा कि किसान को जब तक जमीन नहीं मिलती तबतक तो वहजमीन के मामले में हमारे संगहैं, लेकिन जब जैसे ही उसेजमीन का एक टुकड़ा दे दीजिये तो वह उस से वैसे ही चिपट कर बैठना चाहता है जैसे कि जमींदार जमींदारी के साथ और उसका उसमें वेस्टेडइंटरेस्ट हो जाता है। यह उनका विश्लेषण था और मैं आप से निवेदन करूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में आज यह तो मालूम है कि करीब ६० मिलियन, या ६ एकड़ करोड़ भूमि है और उस ६ करोड़ एकड़ के क्षेत्र फल में हमारे उत्तर प्रदेश में यह भी मालूम है कि करीब २९ लाख एकड़ भूमि में जंगल है। उसके बाद यह भी मालूम है और माननीय सिंचाई मंत्री भी इसका समर्थन करेंगे कि सवा चार करोड़ एकड़ भूमि में खेती होती है और उत्तर प्रदेश के जो खेती करने वाले किसान हैं जिनके पास निज की जमीन है उनकी संख्या मुझे खेद है माननीय राजनारायण जी ने आंकड़ों को जरा गलत ढंग से समझा पढ़ा होगा, तो समझा नहीं होगा, उनकी संख्या करीब माननीय चरण सिंह जी भी समर्थन करेंगे ६२ फीसदी है, ऐसे किसानों की जिनके पास की अपनी भूमि है। यानी करीब ३ करोड़ ६० लाख ऐसे किसान हुए। तो यदि उनका यह हिसाब लगाया जाय कि एक किसान परिवार में ५ व्यक्ति होते हैं, तो उससे परिवार संख्या ७८ लाखके करीब आती है। यह हिसाब भी गलत

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

है । श्रीमन्, इसलिए कि जो हिसाब इधर लगाया गया इसका कि एक किसान परिवार कितने का भरण पोषण करता है तो इसका औसत ३ निकला । इसका आज तक खंडन नहीं किया गया । मध्यम श्रेणी के परिवार में ५ व्यक्ति होते हैं और किसान परिवार में ३ होते हैं ।

बहरहाल एक बात मैं निवेदन करूं कि आज बहुत आसान है भूमि के बटवारे की बात करना । लेकिन समूचे भारतवर्ष को दृष्टि में रखकर हमारे समाजवादी भाइयों को उस पर विचार करना होगा । समूचे भारतवर्ष में करीब ३० करोड़ एकड़ भूमि है और ३० करोड़ एकड़ भूमि में समूचा भारतवर्ष बंटा हुआ है । ३० करोड़ एकड़ भूमि में ३६ करोड़ की आबादी बंटी हुयी है। एकड़ का औसत भी गलत पड़ता है। लेकिन इसके साथ ही एक बात और ध्यान में रखें कि हमारी आबादी का विस्तार किस गति से होता जा रहा है । भारतवर्ष की आबादी तो साल भर एक प्रतिशत बढ़ने का अन्दाजा लगाया जाता है और इसके बारे में काफी लिखापढ़ी की जा चुकी है, मगर उत्तर प्रदेश की आबादी श्रीमन्, एक मिनट में ३२ बढ़ती जा रही है, जिस प्रदेश की आबादी एक मिनट में ३२ बढ़ती चली जा रही है उस प्रदेश में महज इस बात की वजह से कि कुछ थोड़े से जमींदारों के पास जमीन ज्यादा है, या कुछ काश्तकारों के पास जमीन ज्यादा है । इस प्रकार के गलत नारे लगाना और आबादी को अपने ध्यान से हटा देना, यह बड़ी गलत बात है । यह इसलिये कि हमारे सेंसस कमिश्नर श्री आर० ए० गोपालन ने एक हिसाब लगाया और उनका कहना यह है कि सन् १९६१ में भारत की आबादी ४१करोड़ हो जायगी और सन् १९८१ तक यह आबादी ५२ करोड़ हो जायगी । तो जिस देश की आबादी ५२ करोड सन् १९८१ तक हो जाने वाली हो, उस देश में आज हम बैठकर जमीनें के बटवारे का एक अन्दाज लगा लें । मैं समझता हूं कि शायद यह बड़ी अवांछनीय बात होगी और गलत अन्दाजा लगाना होगा । इसके बाद कुछ जापान की बात कही गयी,बहुत कुछ अन्दाज भी लगाया गया और उसके सिलसिले में मैं गेंदा सिंह जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, उनका ध्यान मैं एक लेख की ओर आकर्षित करना चाहता हूं रूस का जिक्र करना अनावश्यक सा है। इसलिये कि हमारे कुछ लोग जो बाहर चले जाते हैं उनको रूस की कोई चीजें बहुत चमकती हुयी नजर आने लगती हैं । लेकिन अगर वह अपने देश में आकर अपने घर में देखें तो उन्हें मालूम पड़ेगा कि उनको गलत बात बतायी जाती है । चीन सरकार की हिम्मत नहीं हुयी कि वह जमीन का बटवारा करा सके । उन्होंने कहा है कि जमीन के बटवारे के काम को तो, छोड़ दो, यह एक काम जरूर करो कि २०० फीसदी ब्याज के ऊपर जो कर्ज दे रखा है उसको घटाकर १२ से ३२ फीसदी कर दो । बस यही वह कर सके । रूस के विषय में मैं क्या निवेदन करूं, मैंने यहां के एक दैनिक पत्र में बाहर से लौटे हुए लोगों के लेखों को पढ़ा । उन लेखों को जब मैं पढ़ता हूं और प्रावदा में प्रकाशित विज्ञप्तियों से जब मिलान करता हूं तो ऐसा मालूम होता है कि तो प्रावदा झूठ बोलता है या वह लेख लिखने वाले झूठ बोलते हैं । रूस में लेनिन ने जो पालिसी प्राइवेट ऐग्रीकल्चरल इंटर प्राइज की निश्चित की थी, २७ मार्च सन् १९२९ को स्टालिन ने लेनिन की उस पालिसी को उलट-पुलट दिया और यह रखा कि प्राइवेट पजेशन के माने यह हैं कि इससे ज्यादा अगर किसी के पास हो तो यह मान लेना पड़ेगा कि वह पूंजीपति है और वही रूस है, माननीय झारखंडे राय जी को मालूम होगा कि मई, १९३० में स्टालिन ने उस पालिसी को बदल दिया और बड़े-बड़े खेतीदारों और बड़े काश्तकारों की प्रथा रूस में पुनः चालू की गयी । अनुभव के बाद ही ऐसा हुआ । एक चीज को उलटफेर करने से कुछ होता नहीं । पढ़ लिख करके ही बातों को मैं भी जानता हूं । मैंने भी पढ़ा था कि रूस में हर एक किसान बहुत शिक्षित है, वहां शिक्षा का राज है । लेकिन यह भी जानता हूं कि प्रावदा में जून, १९५३ में यह निकला था कि अफसोस है कि हमारे यहां अध्यापकों को इतना कम वेतन मिलता है कि जितने अध्यापक एक साल में नियुक्त किये जाते हैं उसके दो तिहाई अपना पद त्याग कर चले जाते हैं । इसलिये अगर कोई अध्यापक रहता है तो उसकी बीबी को जरूर मजदूरी करनी पड़ती है । जब किस्तान में शिक्षा की इतनी कमी है कि लगभग ७० फीसदी आदमी वहां अशिक्षित हैं । हमारे यहां लेखों और समाचार पत्रों में वक्तव्य देने का एक फैशन

सा हो गया है। मैं गेंदा सिंह जी से अर्ज करना चाहता हूं कि यदि उनको वास्तव में किसानों की भलाई करनी है, वास्तव में भूमि के वितरण के इच्छुक हैं, तो एक बात को ध्यान में रखना चाहिए। तीस एकड़ की बात लाकर जो कुछ फार्म्स वाले खेती करके कुछ पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, उनके दिल में एक डर पैदा हो जाता है। वह विलियम बर्न्स के सिद्धांत को पढ़ लें कि हमारे भारत वर्ष में करीब ४० फीसदी जमीन पर खेती नहीं होती। उसमें खेती का प्रबन्ध करना चाहिये। हमारे उत्तर प्रदेश में करीब १५ लाख एकड़ भूमि में नयी खेती हुयी है और वह लैंडलेस लेबरर को मिली। समूचे भारतवर्ष में उनकी संख्या साढ़े पांच करोड़ है। तो इस प्रकार ४० फीसदी जो फैलो लैंड है उसमें खेती बढ़ानी चाहिये। विलियम बर्न्स का एक बहुत अच्छा अनुमान है कि हमारे यहां खेती में प्रगति हो रही है, दस वर्ष में उसकी पैदावार में ४० फीसदी वृद्धि हो जायगी। पांच फीसदी तो वृद्धि इसलिये होगी की कीड़ों द्वारा जो हानि होती है उसको रोक देंगे। उन्होंने यह भी अनुमान लगाया है कि खाद के मामले को लेकर अगर सरकार अधिक सतर्क हो जाय तो उससे २० फीसदी पैदावार बढ़ जायगी। फ्रांस और विदेशों के आंकड़ों हमारे मित्र ने पेश किये उनमें बहुत त्रुटियां हैं। समूचे देश के लिये पांच व्यक्तियों के परिवार का अन्दाज लगाना गलत होगा, इसलिये कि ट्रावनकोर कोचीन में समाजवादी सरकार है और अगर उत्तर प्रदेश के एक किसान परिवार में पांच व्यक्ति होते होंगे तो ट्रावनकोर कोचीन में मेरे ख्याल से १६ मार्च, १९५४ के अंक में मैंने नेशनल हेराल्ड पढ़ा था कि ४५ वर्ष तक स्त्रियां ऐसी हैं जिनके ६–६ बच्चे होते हैं और ४.७ बच्चे उसके जीवित रह जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जब पांच का औसत बैठता है वही ट्रावन्कोर कोचीन में ८, ९ का औसत बैठेगा। तो औसत से कोई फायदा नहीं है, इंगलैन्ड में भूमि कम है, अमेरिका की बात छोड़ दीजिये क्योंकि अमेरिका की बात कहने से अमेरिकनवाद आ जाता है लेकिन रूस की बात कहने से रूसवाद नहीं आता। लेकिन उसकी बात छोड़ दीजिये। इंगलैन्ड की बात कीजिये। वहां एक किसान औसत पैदावार जितनी करता है वह पचास आदमियों के खाने के बराबर होती है। वही फ्रांस में जहां कम्युनिस्टों और समाजवादियों का जोर है, उस फ्रांस में बहुत चेष्टा करने पर भी किसान ६ से अधिक व्यक्तियों का भोजन पैदा नहीं कर सका। तो यह सब तो कृषि में उन्नति करने से होता है। खेती की पैदावार बढ़ाने से, खेती के साधनों में उन्नति करने से, खेती का विकास होगा और उन किसानों का जिनके पास भूमि नहीं है, कल्याण होगा।

मैं फिर निवेदन करूंगा कि हमारे समाजवादी भाई खेती के वितरण में पड़ेंगे तो कल उनका कल्याण ही होगा, लेकिन उनके दल का कल्याण कतई नहीं होगा। इसके विषय में माननीय अशोक मेहता का दिया उद्धरण मैं पुनः उन्हें स्मरण दिलाता हूं।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन के विरोध में खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष––आप संशोधन के ही विरोध में बोलेंगे, संकल्प के नहीं?

श्री अवधेश प्रताप सिंह––मैं संकल्प और संशोधन दोनों का एक साथ विरोध कर रहा हूं। गेंदा सिंह जी ने कहा कि उनको अवधेश प्रताप सिंह को बनाना बहुत दुष्कर प्रतीत होता है। मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं उनको हर प्रकार से खुश करने की कोशिश करूंगा, लेकिन राजनारायण जी को ऐसा कार्य नहीं करने दूंगा जिससे उनकी बौद्धिक शक्ति पर कोई आघात पहुंचे। श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प पढ़ना चाहता हूं, वह इस प्रकार है––"उत्तर प्रदेश की विधान सभा केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करती है कि वह भूमि के बटवारे को उचित रूप से करने के लिये भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिये संसद में नियमानुसार ऐसा विधेयक प्रस्तुत करे कि किसी परिवार के पास तीस एकड़ (और संशोधन इसमें इस प्रकार है––या ५ व्यक्तियों के परिवार पर एक परिवार एक हल बैल से स्वतः जितनी खेती कर सकता है उसके तीन गुना में दोनों में से जो कम हो) से अधिक भूमि न रह सके और इससे अधिक भूमि रखने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

वाले परिवारों से अतिरिक्त भूमि बिना प्रतिकर अर्जित करके ऐसे व्यक्तियों को दी जा सके जिनके पास जीविका के अन्य साधन नहीं हैं।

श्रीमन्, जहां तक इस संकल्प का प्रश्न उठता है इसके पढ़ने से यह आशय निकलता है कि इस विधान सभा से यह सिफारिश कराना चाहता है केन्द्रीय सरकार को उन खेतिहर के पास जिनके पास तीस एकड़ से अधिक भूमि हो वह ले ली जाय और तत्पश्चात् वह यह भी चाहता है कि भारतीय संविधान में ऐसा संशोधन लाया जाय जिससे बिना किसी प्रतिकर के वह भूमि ली जा सके।

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां तक ऐग्रीकल्चरल भूमि का प्रश्न है वह भारतीय संविधान के अनुसार स्टेट लिस्ट में आता है। संविधान में तीन तरह की अनुसूचियां हैं, कानकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। ऐग्रीकल्चर का प्रश्न स्टेट लिस्ट में है। संविधान में संशोधन का प्रश्न यूनियन लिस्ट में आता है और बहुत से ऐसे विषय हैं जो कानकरेंट लिस्ट में आते हैं। क्या मैं यह समझूं कि इस सम्मानित सदन से ऐसी सिफारिश कराने का विचार है माननीय गेंदा सिंह जी का जिसमें हमारे अधिकारों का हनन हो और दुनिया यह समझे कि जिन चीजों को हम स्वयं कर सकते हैं उनको हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज रहे हैं। अगर यह विषय कांनकरेंट लिस्ट में होता तब भी यह माना जा सकता था कि सेंटर भी इस पर कुछ आक्षेप कर सकता है। श्रीमन्, इस कारण कि हमारे सम्मानित सदन का अपमान न हो और दुनिया यह न समझे कि हम अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं और हम अपने अधिकारों को भलीभांति नहीं समझते, मैं श्रीमन् का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह स्टेट लिस्ट का विषय है, इसलिये इस विषय पर सेंटर से सिफारिश करना सर्वथा अनुचित होगा। यह भी श्रीमन् आप को देखना होगा कि इस प्रकार का संशोधन इस विधान से पास करना उचित भी होगा या नहीं और इसमें कोई वैधानिक आपत्ति तो उत्पन्न नहीं हो जायगी। यह हो सकता है कि किसी भी देश में हरएक विधान मंडल अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहता है। उसके जो अधिकार हैं उनको वह दूसरों के हाथ में सौंपना नहीं उचित समझता परन्तु आज हमारे गेंदा सिंह जी और उनके दल वाले, सम्भवतः उनके दल में इनके पक्षपाती निकले, इस विधान सभा से ऐसी वस्तु कराना चाहते हैं, जो कि मैं समझता हूं कि इस सदन के लिये हितकर प्रतीत नहीं होगी।

अब श्रीमन्, प्रतिकर का प्रश्न आता है। यह तो जब तक भारतीय संविधान है और उसका आर्टिकिल १९ और आर्टिकिल ३१ है तब तक यह किसी के अन्दर शक्ति नहीं है कि बिना प्रतिकर के दिये हुए किसी की भूमि पर अधिकार कर सके और उसको अर्जित कर सके। मैं यह जानता हूं कि यदि कांग्रेस पार्टी भी चाहे और विधान सभा भी चाहे तब भी उसमें कुछ कठिनाई आ सकती है। मैं आप के द्वारा सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसे स्थान पर जब कि जमीन वालों की जमीन के अर्जन का प्रश्न हो और उसके अपहरण का प्रश्न हो तो उस समय संशोधन करना तो अच्छा लग सकता है, किन्तु यदि वही प्रश्न उसी संविधान के आधार पर स्पेशल पावर ऐक्ट की धारा ३ जो रद्द कर दी गयी है अगर उसके लिये भी यह कहा जाय तो क्या उनको यह चीज हितकर प्रतीत हो सकती है? यदि इस प्रकार से संविधान में संशोधन होता चले और इस पक्ष के द्वारा इसके लिये प्रोत्साहन मिलता रहे तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि यह भारतीय संविधान नहीं रहेगा और यह पुनीत, जो नियम हैं और जितनी भी धारायें हैं जिनके अन्तर्गत अधिकारों की रक्षा होती है वह एक उपहास की चीज रह जायगी। भारतीय संविधान में संशोधन करना या परिवर्तन करना बहुत सरल सा प्रतीत होता है, किन्तु बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर संशोधन की आवश्यकता २० साल तक नहीं होती है। यदि इस अनुपात से

देखा जाय कि संविधान में कहां पर ज्यादा संशोधन हुये हैं तो वह भारत के संविधान में ही आप को ऐसा मिलेगा कि जहां पर ज्यादा संशोधन हुए हैं। ऐसी मिसाल सम्भवतः दूसरी जगह नहीं मिलेगी। संविधान में इस बात को भलीभांति देख लिया जाता है कि विधान-मंडल में कोई ऐसी परिस्थिति तो उत्पन्न नहीं होगी जब कि संविधान के किसी नियम के विपरीत होकर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिये और अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिये कोई ऐसे कुमार्ग पर अग्रसर हो सके और जिससे देश में ऐसा विप्लव पैदा हो जाय, जो कि लोगों को संभाल न सकें। जो संविधान आज इस भारत में चल रहा है इस तरह से यह बहुत दिनों नहीं चल सकता है।

श्रीमन्, आज मैंने देखा कि माननीय राजनारायण जी आंकड़ों पर भरोसा लेते रहे, और श्री परिपूर्णानन्द जी भी शुरू में कुछ आंकड़े देते रहे, किन्तु मैं नहीं समझ पाया कि यह सरल मोटी बात दोनों महानुभाव नहीं समझ पाये। आज पापुलेशन को देखते हुये जितनी जमीन हमारे पास इस प्रदेश में है आप उसका बटवारा कल ही कर दें लेकिन वह भूमि पर्याप्त नहीं होगी और वह इतनी मात्रा में नहीं रह जायगी जिसको कि इकनामिक यूनिट कहा जा सकता हो। माननीय नरेन्द्र देव जी ने भी अपनी रिपोर्ट में इस प्रदेश के लिये ६। एकड़ जमीन को इकनामिक यूनिट माना है। जहां तक खेती का प्रश्न है और उसी के आधार पर जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में भी भूमि संबंधी जितने नियम हैं उनमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि भूमि सवा ६ एकड़ से कम न हो। यह सोचना कि भूतपूर्व जमींदार अभी भी जीवित हैं, खाना खा रहे हैं और उनके यहां २, ४ मवेशी हैं, अगर यह भी उनकी सहनशक्ति से बाहर है तो मैं क्या कह सकता हूं सिवाय इसके कि यह उन जमींदारों का दुर्भाग्य है। मैं माननीय राजनारायण जी से पूछना चाहूंगा कि वे कितने लोगों को जमीन दे पावेंगे। जब हमारे देश में अन्न के लिये त्राहि-त्राहि थी तो यह कोशिश की गई थी कि उत्पादन बढ़ाया जाय। इसके लिये बहुत से लोगों ने ऊसर और बांगड़ जमीन तोड़ी। श्रीमन्, आप स्वयं जमींदार हैं, रह चुके हैं, आप समझ सकते हैं कि वह काम किसी लेबर के बस का तो था नहीं लोगों ने रुपया इनवेस्ट किया और मैकेनाइज्ड फार्मिंग का आश्रय लिया। राजनारायण जी के हिसाब में सवा ६ एकड़, या २ एकड़ या सवा एकड़ में क्या, मैं तो कहता हूं कि ३० एकड़ में भी इकनामिक होल्डिंग होना मुश्किल है। ३० एकड़ भी सीलिंग निश्चित करते हैं तो उन्हें यह सोचना पड़ेगा कि अगर वह उत्पादन चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं क्योंकि जिनके ऊपर शासन का भार नहीं है वे सिद्धांतों के पीछे बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर जिनके ऊपर शासन का भार है और इस नौका को पार लगाना है, उन्हें यह सोचना होगा कि अगर सरकार यह भूल करे और सीलिंग इतनी कम रखे तो उत्पादन को नुक्सान पहुंचेगा और जो कुछ किया कराया है उसका फल यह लोग भोग लेंगे। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर उनकी सोशलिस्टों की अपीजमेंट की पालीसी चलती रहेगी तो वह बहुत दिनों तक सफलीभूत नहीं हो सकती है और उसका नतीजा उन्हीं को भोगना पड़ेगा।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प उपस्थित हुआ है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं इस संकल्प को अव्यवहारिक और जिनके हित के लिये कहा जाता है उनके लिये हानिकारक समझता हूं। हमारे प्रदेश में खेती योग्य भूमि क़रीबन साढ़े चार करोड़ एकड़ है। यहां की जो जनसंख्या गांवों में रहती है, शहर की निकाल कर, वह साढ़े पांच करोड़ है,। अगर एक परीवार में ४ आदमी मान लिये जावें तो एक परिवार के पास ३ एकड़ भूमि आती है, जो बिलकुल अनइकनामिक है। उसमें कोई परिवार अच्छी तरह से रह नहीं सकता। हमारे समाजवादी भाइयों के नेता आचार्य नरेन्द्र देव ने जब कमेटी बनी थी तो उसमें खुद यह रिपोर्ट की थी कि सवा ६ एकड़ जमीन इकानामिक होल्डिंग है। अगर ३ एकड़ जमीन आती है तो वह अनउपजाऊ हो जाती है। उसमें कोई भी आदमी, कोई भी परिवार अच्छीतरह से गुजारा नहीं कर सकता है। यदि कृषि योग्य भूमि का बटवारा हो जावे तो उसका अर्थ यह होता कि जिनकी आज अच्छी

[श्री रतनलाल जैन]

अवस्था है उनकी तो गिर जायगी। और जिनकी गिरी हुई है वह तो गिरी हुई रहेगी ही। इसलिये देश के लिये भी यह हानिकारक है।

यह संकल्प जो अब आया है उसमें यह कहा जाता है कि ३० एकड़ से ऊपर वाली जमीन ले ली जाय। हमारे प्रान्त में जब कमेटी बैठी थी तो उस कमेटी ने यह रिपोर्ट की थी कि २५ एकड़ से ऊपर जिनके खाते हैं उनकी जमीन कुल यहां की जमीन के रकबे का १२ प्रतिशत है। १२ परसेंट तो २५ एकड़ के खाते वाले हैं और अगर ३० एकड़ के निकालें तो मेरा अन्दाजा है १० परसेंट आवेगा। और अगर हम इसमें यह देखें कि ये जो खातेदार हैं उनमें कितने शरीक हैं, तो मालूम होगा कि एक-एक खाते में चार-चार, छः-छः भाई शरीक होंगे और बहुत से रिश्तेदार शरीक होंगे। अगर हम उसका भी अन्दाजा लगावें तो मैं समझता हूं कि सिर्फ ५ परसेंट ऐसे रह जावेंगे जिनके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन आवेगी। अब ५ परसेंट के ऊपर ये तमाम झगड़े हैं।

अब एक बात मैं इस सदन के सामने कह देना चाहता हूं कि जहां पर ये बड़े-बड़े फार्म्स हैं वे किस जगह पर हैं। मुझे अपने जिले बिजनौर का अनुभव है, उसके पास ही नैनीताल और मेरठ जिले का अनुभव है। मेरठ जिले में गंगा खादर तोड़ कर खेती की गयी है और नैनीताल जिले में काशीपुर के पास बन साफ कर के खेती की गयी है। हमारे जिले में गंगाखादर और रामगंगा खादर में खेती की गयी है। ये फार्म्स सिर्फ उसी जगह पर हैं जहां पहले सैकड़ों, लाखों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई थी और जहां कोई किसान जाता नहीं था। आज भी जो छोटे-छोटे किसान हैं वहां जाने को तैयार नहीं हैं। मुझे मालूम है कि काशीपुर जहां सरकार की ओर से जमीनें दी गयी हैं, वहां से छोटे-छोटे किसान भाग रहे हैं। वहां पर अगर कोई जम सकता है तो वह ट्रैक्टर वाला ही जम सकता है, क्योंकि वहां पर मजदूरों की कमी है, वहां पर साधनों की कमी है, वहां पर इन्हीं ट्रैक्टरों के जरिये ही खेती होती है। आमतौर से वहां पर छोटे किसान खेती नहीं कर सकते हैं। न तो उनके पास साधन हैं अगर न वे जाना चाहते हैं। अगर हम आज अपने समाजवादी भाइयों की बात को मान लें तो उसका नतीजा यही होगा कि उनसे तो जमीन छिन जायगी और जो काम कर रहे थे उनका भी काम आप पट कर देंगे और हमारे भाई जिनके लिये यह कहा जाता है कि वहां पर जायेंगे नहीं। मैं जानता हूं कि उनमें से बहुत से भाई कभी नहीं जायेंगे। नतीजा यह होगा कि इससे हमारे देश को हानि पहुंचेगी। इसमें सब से ज्यादा हानि यह है कि समाजवादी भाई जमीन का अन्दाजा ठीक से नहीं लगा पाते हैं। हमारे देश का लाभ तभी हो सकता है जब कि इसका झुकाव घरेलू उद्योग-धंधों की तरफ हो। हमारे यहां घरेलू उद्योग-धंधों को बहुत बड़ी तादाद में बढ़ाना चाहिये तभी इस प्रश्न का असली समाधान हो सकता है। जहां पर घरेलू उद्योग-धंधे नहीं हों उसके लिये सरकार योजना बना कर दूसरे देशों की हालतों का अध्ययन करे और अध्ययन कर के अपने देश में इस चीज को बढ़ावे। जो यहां पर माल बनता है उसको कोआपरेटिव सोसाईटीज के द्वारा निकालें जिससे माल की ज्यादा खपत हो। इससे बेरोजगारी की समस्या भी बहुत हद तक हल हो जायगी। लेकिन अगर आज समाजवादी भाइयों की बात मान ली जाय, तो नतीजा यह होगा कि आज जिनकी अच्छी हालत है उनकी तो खराब हो ही जायगी और जिनकी हालत खराब है उनकी तो खराब रहेगी ही। मुझे खुद अनुभव है कि जिनके कई छोटे-छोटे खाते हैं उनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। हमारे प्रदेश की ऐसी हालत है कि हमारे यहां अगर लोगों को थोड़ा सा मिल जाता है तो वह अधिक मेहनत करने की कोशिश नहीं करते और हमारा किसान थोड़े में ही संतुष्ट रहता है। नतीजा यह होता है कि वह भी ग़रीब रहता है और साथ ही सारा देश भी ग़रीब रहता है। कोई देश हो वह धनवान तो तभी हो सकता है जब उसके रहने वाले भी धनवान हों, अगर उसके रहने वाले भूखे हों तो वह देश धनवान नहीं हो सकता। इसलिये मैं समझता हूं कि किसी भी परिवार के पास ६ एकड़ से कम जमीन न हो। इसीलिये पहले यह

६ १/४ एकड़ रख गया था कि इससे कम का बटवारा न हो क्योंकि छोटे-छोटे खाते जमीन का बटवारा देश के लिये हानिकारक है। हमारी यह कोशिश होना चाहिये कि यहां अधिक से अधिक घरेलू उद्योग-धंधे हों जिससे ग़रीब जनता अपना निर्वाह कर सके। गरीबी दूर करने का यह इलाज बताना कि इस तरह से थोड़ी-थोड़ी जमीन छीन लो या ले लो, बिना पैसे के ले लो, यह ठीक नहीं है। जो वह कह रहे हैं, कल उन्हीं के पास अगर जिम्मेदारी आये तो वह ऐसा कहने के लिये झिझकेंगे क्योंकि जहां उनके पास जिम्मेदारी है ट्रावनकोर कोचीन में वहां उसके विपरीत ही करते हैं क्योंकि दुनिया के काम इस तरह से नहीं चला करते। संसार में व्यावहारिक तरीके से ही काम चल सकता है, अव्यावहारिक तौर से काम नहीं चल सकता। वह ऐसी अव्यावहारिक बातें सामने रखते हैं कि जिनसे न समाज का ही लाभ है और न देश को ही फायदा पहुंच सकता है और गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं अपने भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि वे वस्तुस्थिति का अध्ययन करें और पार्टी के मामले में पड़कर ग़लत सलाह न दें और न जनता के हित के विरुद्ध बातें सदन में ला कर सदन का समय नष्ट करें।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा अपने प्रदेश की जो दशा है उसकी ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता और न अपने ही घर में आग लगाना चाहता हूं। एक काम आप ने किया, आपने जमींदारी अबालिशन किया, लेकिन उससे किसी ग़रीब को खेत नहीं मिला। आज भी कुछ लोग आपस में ऐसी बातें करते रहे हैं लेकिन हम रात दिन आग नहीं लगाते। हमारे प्रदेश की आबादी ६ करोड़ ३२ लाख के करीब है और यहां ५४ लाख एकड़ टोटल लैंड है कि जिस पर खेत, बंजर, पहाड़, नदी सब कुछ हैं और उसमें से ५.४५ एकड़ जमीन ऐसी है जिस पर खेती हो सकती है, बाग़ कर सकते हैं, बंजर वगैरा सब है...

श्री अध्यक्ष—अब आप लंच के बाद बोलें।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शिवनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, लंच के पहले मैं कह रहा था कि ५.४ एकड़ जमीन हमारे प्रान्त में है जिसपर खेती की जा सकती है और उस हिसाब से १.००१ फी हेड पड़ता है। उसके बाद असली खेती करने वाली जमीन ३.५ एकड़ हमारे पास है जिसके हिसाब से लगभग १७ बिस्वा प्रति व्यक्ति पर खेत पड़ता है। हमारे माननीय विरोधी दल के नेता ने बताया कि प्रति परिवार के पांच व्यक्ति हो तो इस हिसाब से १७×५ = ८५ बिस्वा खेत अर्थात् लगभग ३ एकड़ के लगभग आता है। हमारे माननीय सदस्य जिनका यह संकल्प है वह तीस एकड़ चाहते हैं। तो उन्हीं के दल के अन्दर मतभेद है। एक तीन और दूसरा तीस, एक और दस का अन्तर है। मालथ्यूजियन थ्योरी के हिसाब से संसार में प्रति दिन ७४ आदमी बढ़ते हैं और इस प्रकार १९७१ में संसार की आबादी लगभग साढ़े बारह फीसदी बढ़ जायगी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो जमीन हमारे पास है हमने बांट कर किसी पैमाने पर अलग-अलग कर दिया, तो आये दिन बढ़ोत्तरी आबादी में होती जायगी और रात दिन झगड़े खड़े होंगे। आज बांट दी जायगी तो कल जो पैदा होंगे वह भी कहेंगे कि हमारा हिस्सा बांट दो। तो इस प्रकार रात दिन जमीन बांटने के झगड़े में पड़े रहेंगे और देश का हित नहीं हो सकेगा। यह मानने की बात है कि प्रदेश में कुछ लोगों के पास अधिक जमीनें हैं जिनको वह स्वयं नहीं जानते हैं दो-दो सौ और चार-चार सौ एकड़ जमीन जिनके पास है और नतीजा यह है कि वे उसको मैनेज नहीं कर पाते, ठीक से पैदावार नहीं कर पाते। मैं एक मिसाल बताऊं। आज जो कुंजड़े बाजारों में तरकारी बेचते हैं जिनके पास १० बिस्वा खेत हैं। वे अपने खेतों में मैले की खाद से नाना प्रकार की खेती करते हैं और दुगुना और चौगुना तक पैदा करते हैं और तीन-तीन चार-चार फसलें साल भर में पैदा कर लेते हैं। लेकिन यह जो सफेदपोश बाबू बैठे हुये हैं यह गांवों में जाते नहीं हैं। यहां से आलू खरीद कर खाते

[श्री शिवनारायण]

हैं जिनके यहां २० एकड़ ५० एकड़ तक खेती होती है लेकिन उसमें एक सेर भी आलू नहीं होता है, १० पेड़ गोभी भी नहीं होती है। क्या बात है? वे ऐग्रीकल्चरिस्ट नहीं हैं। अमेरिकन किसान जो है वह रात दिन मेहनत कर के अपने खेत में इतनी पैदावार करता है। वह जो नहीं चुराता, लेकिन हमारे यह हैं कि हमारे बाबू साहब तो घरों में बैठ रहते हैं, उनका चरवाहा हल चलाता है और वह पैदावार करता है। बाबू साहब उसको १० सेर बीज देते हैं वह पांच सेर बोता है, पांच सेर अपने घर रखता है और इसका नतीजा यह होता है कि क्राप नहीं होती। खेती उनको करनी चाहिये जो खेती करते हैं। वकील साहब, प्रोफेसर साहब, बाबू साहब यहां शहर में भी काम करें वहां देहात में खेती भी करें, 'इट इज इम्पासिबिल,' नहीं हो सकता। तो उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प है इस पर विचार करने की जरूरत है। यह प्रस्ताव अधूरा दिखाई देता है। हम आप को बताते हैं कि देश में गांधी जी के अग्रदूत तो बिनोवा भावे हैं। बिनोवा भावे तो गांव-गांव घूम कर आये। हमारे गेंदा सिंह जी या राजनारायण जी तो गांव-गांव नहीं घूमे। बिनोवा भावे जी गांव-गांव हो आये हैं बिनोवा भावे आये हैं और एक काम उन्होंने किया है कि १६ एकड़ की एक सीलिंग उन्होंने मुकर्रर की है। उस प्रस्ताव को तो आप ने रखा नहीं और यह प्रस्ताव रख दिया जिसमें कि आप का एक बड़प्पन छलकता है, दिखाई देता है। लेकिन मैं कहता हूं कि इस प्रस्ताव के हिसाब से हजारों को खेती नहीं मिल सकेगी। अगर हम एक कायदे की हद मुकर्रर कर दें तभी हम इस बात का कोई फैसला कर सकते हैं और इस सम्बन्ध में कोई क़दम उठा सकते हैं।

हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साधु।
हद बेहद दोनों तजे ताको मतागाधु॥

एक हद होनी चाहिये, यदि हद नहीं होगी तो उससे आप का कल्याण नहीं होगा। देश का हर आदमी खेती करना चाहता है आप के मत से लेकिन पंडित और रईस हरगिज-हरगिज खेती नहीं कर सकते, वह खेती को चला नहीं सकते, लेकिन मैं कहता हूं कि किसी किसान को खेत पर भेज दीजिये, वह हल ठीक कर लेगा, खेत की देख-भाल कर लेगा, खेती किस तरह पर होती है वह जानता है और कर सकता है। उसने छुटपन से वह सब सीखा है। उसको आदत है बैलों की सानी करने की, उनका गोबर उठाने की खेत में हल चलाने की, हालांकि उसने भी चाहे हाई स्कूल पास किया हो या कहीं तक पढ़ा हो, लेकिन अगर एक राजा साहब है या कोई पंडित है तो उनको यह सब काम करने में एक हिचक होती है, इसलिये कि उन्होंने कभी यह सब काम किया नहीं। उन्होंने कहीं हल चलाया नहीं, उसके खराब हो जाने पर उसे कभी ठीक नहीं किया। हमारे चौधरी चरण सिंह ने हल चलाया है, वह किसान हैं। उन्होंने खेती की और देखी है। उनको नर्व में है कि खेती कैसे की जाती है। उन्होंने सिर्फ पढ़ा ही नहीं है कि खेती कैसी होनी चाहिये बल्कि उनके परिवार ने, उनके गांव ने, खेती की है और उसमें उनका भी हिस्सा रहा है। तो इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सीलिंग की जरूरत है, एक हद की जरूरत है। बिनोवा भावे जैसे संत की बात जिस राष्ट्र ने नहीं मानी, जिस समाज ने नहीं मानी, उसका कल्याण नहीं हो सकता। हर आदमी को आगे देखना है, पीछे नहीं देखना है। आज देखना है कि समाज की क्या डिमांड है। हमने जमींदारी एबालिशन किया, लेकिन अभी भी जनता में असंतोष है, अभी तक समाज का काम पूरा नहीं हुआ। जो गरीब हैं वह आज भी वैसे ही हैं। लेकिन जिन गरीबों की तरफ से आज का यह प्रस्ताव आया है, उससे उनका कल्याण नहीं हो सकता। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन कर नहीं सकता, इसलिये कि यह प्रस्ताव ठीक नहीं है। इसमें हमको उनका बड़प्पन दिखाई देता है कि वह ठाकुर हैं और वह पंडित हैं। मेरा ख्याल है कि लाल टोपी वाले सदस्य व्यक्तिगतरूप से सोशलिस्ट नहीं हैं, अगर वह व्यक्तिगत रूप से सोशलिस्ट होते तो ऐसा प्रस्ताव वह न लाते, सोशलिस्ट तो कहता है कि समाज में समता लाने के लिए काम करो, डु आर डाई,

मैंने कल भी कहा था और आज भी कहता हूं कि हमारा एक मिशन है, कांग्रेस का एक मिशन है। हमें उसे एक झंडे के नीचे एक कायदे से मिल कर पूरा करना है, देश का कल्याण करना है। हम प्रोग्रेसिव हैं और आगे बढ़ना हमारा काम है। आप लोगों ने नारा लगाया कि गरीबों को मिले रोटी, तो हमारी जान सस्ती है। हम इसमें पीछे नहीं हैं, हमें भी उनसे पूरी हमदर्दी है लेकिन सिर्फ १००, ५० आदमी जमा करके नारे लगाने से ही काम नहीं चलेगा, या असेम्बली के सामने हुल्लड़ करने से काम नहीं चलने वाला है। आप हमें क्रिटिसाइज करिये, हम आपके साथ काम करने वाले हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि उनकी मांग पूरी करने से ही देश का कल्याण होगा, उनका काम चलेगा, सिर्फ आंकड़े दे देने से, क्रिटिसाइज करने से या प्रस्ताव पास कर देने से नहीं। खेती अगर आप देखिये तो वास्तव में इंगलैन्ड या अमेरिका में होती है। वहां वाले खेती करने में एक्सपर्ट होते हैं। जो जिस चीज का स्पेशलिस्ट होता है वह उसको भेज दी जाती है। हम लोग बहुत पिछड़े हुए आदमी हैं। हमारे अध्यापक लोग सेलेक्ट नहीं कर पाते कि यह लड़का इंजीनियर होगा या ऐग्रीकल्चरिस्ट होगा या पार्लियामेंटरियन होगा, मगर अमेरिका वगैरह में सेलेक्शन करके जो जिस लायक है उसको उसी लाइन में ट्रेण्ड करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं गेंदा सिंह से कि मैं उनके आगे हूं और चाहता हूं कि गरीबों को जमीन मिले और धन दौलत मिले, सब कुछ मिले। इसके लिये एक जो स्कीम है मैं उसका पालन करता हूं और चाहता हूं कि हमारे भाई लोग उसको माने और गांव-गांव में चल करके प्रचार किया जाय। भारत में फ्रांस जैसे रिवोल्यूशन की जड़ न पैदा की जाय। अगर रिवोल्यूशन चला तो, जो १,४०० वर्ष तक भारत मुसलमानों और अंग्रेजों का गुलाम रहा वह फिर झगड़े में पड़ जायगा और कोई प्रगति नहीं हो पायगी। भारत नेता रहा है, और रहेगा। देश को सही मानों में ले चलने की कोशिश की जाय। हम तो कहते हैं कि जो गरीब हैं उनको एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग में भेजिये, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भेजिये। हम को हर तरह के आदमियों की जरूरत है। हर एक विभाग में जरूरत है। जितने और जैसे आदमी हमको चाहिये वैसे नहीं मिल पा रहे हैं।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके द्वारा मैं अपने साथियों से, जो हमारे कांग्रेसी भाई नहीं हैं उनसे कहना चाहता हूं कि गांवों में हम लोग चलें और उनको बतायें कि हम यह करने जा रहे हैं। हम लोगों का मिशन सही है और हम गांधी जी की शपथ खाकर कहते हैं कि हम लोग जनता का सच्चे मानों में कल्याण करना चाहते हैं। और संसार को दिखाना चाहते कि जो बात सही है वही रखी जाय। आपकी जो डिमांड है, मुझे रहीम की एक-एक कविता याद आती है :

रहिमन वे नर मर चुके जे कहूं मांगन जाहिं।
उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाहिं ।।

हम केन्द्रीय सरकार से कहें, हम क्यों भीख मांगने जायं। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो संकल्प है मैं समझता हूं कि इसकी भाषा को देखते हुए तो यह उचित सा मालूम होता है। परन्तु स्थिति को देखते हुए मुझे संदेह होता है कि यदि इस पर कार्यवाही की जाय तो यह जितनी भी भूमि ३० एकड़ से अधिक होगी मैं समझता हूं कि उसका पूर्ण रूप से लाभ उठाने में वे सज्जन, जिनके पास इससे अधिक भूमि है, असमर्थ से रहते हैं और देश की अधिक हानि हो रही है। साथ ही साथ वह भूमि अहितकर भी है। मैं समझता हूं कि यदि वह भूमि दूसरे किसानों को दे दी जाय तो सम्भव है कि अधिक लाभ हो। एक ओर यह चीज है और दूसरी ओर हम देखते हैं कि भमि जो थोड़ी-थोड़ी काश्तकारों पर है और सवा छै एकड़ से कम है। वह अधिक किसानों के पास है साथ-साथ वह भूमि भी ऐसी है कि जिसमें हमारे देश के किसान का अधिक लाभ नहीं है।

[श्री श्रीचन्द]

अगर ३० एकड़ से अधिक भूमि का वितरण हम करते हैं तो सवा छै एकड़ से कम भूमि को भी हमें किसानों से छीन लेना चाहिये। इस प्रकार से अगर करते हैं तो किसानों की एक बहुत बड़ी संख्या बेकार हो जायगी। परन्तु इस समय हमारे प्रदेश में इस स्थिति का सामना करना हमारी सरकार के लिये एक असम्भव सी बात हो जायगी। इसलिये यह आवश्यक है कि जब तक हमारे प्रदेश में दूसरे व्यवसाय ऐसे न हों कि छोटी-छोटी जितनी जोत हैं उनसे थोड़ा लाभ होता है और वह हानिकर काश्तकारों के लिये है। जब तक काश्तकार यह न समझें कि दूसरा व्यवसाय ऐसा है जो इस भूमि को छोड़ देने से अधिक लाभप्रद है तब तक हम इस चीज को नहीं कर सकते हैं। अतः दोनों तरफ से हम देखते हैं कि ३० एकड़ से भूमि अधिक है वह भी और सवा छै एकड़ से भूमि कम है जिनके पास उनसे हम भूमि नहीं ले सकते हैं जब तक कि वे स्वयं न समझें कि इससे ज्यादा लाभदायक दूसरे व्यवसाय हैं और वह स्वयं ही भूमि को छोड़ न दें। इसलिये मैं समझता हूं कि हमारे लिये इसको लागू करना एक असम्भव सी बात है।

हमारी सरकार का भी ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है और हम भी चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में हरेक काश्तकार को अधिक से अधिक लाभ हो और कम से कम परिश्रम खेती में करना पड़े। इसके लिये सब प्रकार से प्रयत्न किये जा रहे हैं और दूसरे अन्य व्यवसाय भी प्रचलित किये जा रहे हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि हम यह व्यवसाय बहुत थोड़े समय में सारे प्रांत में फैला दें तो हमारे लिये यह असम्भव सी बात है। इसके लिये काफी समय चाहिये। न तो यही सम्भव हो सकता है कि ३० एकड़ से जिसके पास अधिक भूमि है उससे लेकर वितरण कर दी जाय और न यही हो सकता है कि सवा छै एकड़ से कम वाली भूमि का वितरण किया जाय। जब सवा छै एकड़ से कम या ३० एकड़ से अधिक भूमि वाले काश्तकार यह न समझ लें कि इस काम को करने से हमें हानि पहुंचेगी। इसलिये हमारी सरकार ने बहुत से कार्य ऐसे कर रखे हैं कानून द्वारा और वैसे भी ३० एकड़ से अधिक भूमि जिसके पास है उसे हानि पहुंचती है और थोड़ी भूमि जिसके पास है उसका परिश्रम बेकार जाता है। इसके लिये सरकार सोच रही है और आपके सामने कानून भी मौजूद है। एक कानून ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स का है। इसका तात्पर्य यही है कि बड़े-बड़े जमींदार या तो पूरे परिश्रम से लाभ उठायें और नहीं उठा सकते हैं तो इतना बड़ा टैक्स है जिसे उचित समझता हूं कि दूसरे रूप में वह भूमि को ही छोड़ दें तो वह छोटे काश्तकारों में स्वयं ही वितरण हो जायगी। इसके लिये हमारे कानून में यह चीज रखी हुयी है गांव समाज मैनुअल में जिक्र आया है कि और माननीय सदस्यों को भी यह मिली होगी और आपने उसको पढ़ा होगा कि जो बेकार भूमि है उसका वितरण करना गांव समाज को दे दिया गया है, चाहे उसकी कोई भी नौइयत हो।

इस समय जो हमारे देश में वातावरण फैला हुआ है वह कुछ ऐसा है कि हर मनुष्य कहता है कि थोड़ी भूमि रखना अहितकर है और ३० एकड़ से अधिक भूमि का रखना भी अहितकर है परन्तु मैं कहता हूं कि यह करना हमारे लिये सम्भव नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसके लिये एक तो बड़ा भारी स्टाफ चाहिये और दूसरे एक बड़ी कार्यवाही करनी पड़ेगी जैसा कि जमींदारी समाप्त करते समय किया गया। इस तरह से तमाम रिकार्ड वगैरह के लिये स्टाफ रखना पड़ेगा, जबकि पंचवर्षीय योजना या आबपाशी के साधन काश्तकारों के लिये सरकार कर रही है। इसी के साथ-साथ दूसरी बात यह है कि हमें काफी रुपया देना पड़ेगा। अतः यह संभव नहीं है कि ऐसी स्थिति में जबकि निर्माण कार्य चल रहे हों दूसरी ओर हम रुपया दें।

भूमिधर बनाना या जमींदारी खत्म करना तो दूसरी सूरत थी क्योंकि किसानों से लेकर मुआविजा देने का सवाल था। लेकिन यहां हम बिना मुआविजे के भूमि नहीं ले सकते हैं क्योंकि जब किसी से भूमि ली जाय तो उसे कुछ न कुछ तो अवश्य देना चाहिये और यह एक प्राकृतिक बात है कि मुफ्त में जमीन लेना बुरी चीज है और बदनामी का कारण है। फिर भी चाहे थोड़ी मात्रा में ही दे लेकिन दिया जरूर जाय। फिर भी यदि हम थोड़ी रकम स्थिर

कर दें, मुकर्रर कर दें। एक इतनी बड़ी रकम हो जायगी कि हमारे प्रदेश में मुआविजा देना कठिन हो जायगा। मुआविजा इसी सूरत से अदा किया जा सकता है जबकि काश्तकारों पर, जिनको जमीन दी जायगी हम फिर टैक्स बढ़ावें, आबपाशी महसूल या लगान बढ़ावें। किसी सूरत से टैक्स बढ़ा करके ही मुआविजा दिया जा सकता है। मैं समझता हूं कि मौजूदा टैक्स जो इस समय लगे हुए हैं, हमारी जनता उनको सहने के योग्य नहीं है और विवशता यह है कि निर्माण कार्य जितने भी चल रहे हैं वह हमें पूरे करने है, चाहे उसके लिये इससे भी अधिक टैक्स बढ़ाने पड़ें। थोड़े समय के लिये, मैं समझता हूं, ये टैक्स हैं और यह आबपाशी महसूल थोड़े समय के लिये है। एक डेढ़ साल बीत गया। मुझे आशा है कि एक डेढ़ साल के बाद तीसरे साल यह अवश्य घटाना होगा और घटाना पड़ेगा। यह नहीं, बल्कि दूसरे टैक्सेज भी हमें घटाने होंगे और यदि हम इस समय टैक्स बढ़ाने का प्रश्न उठाते हैं तो हमारे लिये एक बड़े दुर्भाग्य की और बदनामी की और बहुत ही बुरी से बरी चीज है। अतः मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कह देना चाहता हूं कि यह जो प्रस्ताव है, यदि इसमें यह भी होता कि ३० एकड़ से अधिक भूमि का वितरण या साथ ही साथ सवा छः एकड़ से जितनी कम भूमि है वह काश्तकारों से लेकर दूसरे काश्तकारों को दे दी जाय। जिनके पास ३० एकड़ से कम भूमि है, तो यह उस समय के लिए लागू हो सकता था जबकि हमारे पास इतना व्यवसाय हो, काम करने के लिये इतने स्थान हों कि इस खेती करने के कार्य को एक किसान यह समझे कि दूसरे व्यवसाय में पहुंचकर बजाय एक दो रुपया प्रतिदिन के पांच रुपये प्रतिदिन पैदा कर लेगा। ऐसी स्थिति जब हो जायगी तो स्वयं ही छोटा काश्तकार इस जमीन को छोड़ देगा और बड़े काश्तकार भी स्वयं छोड़ देंगे।

इस समय हमें बड़ी विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे रास्ते से हम गुजर रहे हैं कि इन बातों का जिक्र करना किसी भी प्रकार से हमारे लिये उचित नहीं है। हर तरह से हमको देखना है। अपने छोटे भाइयों को भी साथ में ले जाना है, बड़े भाइयों को भी ले जाना है, सब का ख्याल करना है। यदि हम एक तरफ को सोचेंगे तो हमारे लिये अधिक उन्नति का कारण या अधिक उचित बात न होगी। चाहे किसी भी प्रकार का पेशेवर हो, कोई हो, हमें सबका ध्यान रखना है। अगर केवल उन्हीं का ध्यान रखेंगे और ३० एकड़ से जितनी अधिक जमीन है वह छोटे काश्तकारों को देंगे तो टैक्सेज हमें दूसरे व्यवसाय वालों पर भी लगाने पड़ेंगे। जब सेल टैक्स इत्यादि अनेक टैक्सेज लगे हुए हैं तो यह उचित नहीं कि उन लोगों पर यह टैक्स बढ़ाये जायं। इसलिये मैं अपना सुझाव इस सम्बन्ध में पेश करता हूं कि इस समय यह प्रस्ताव लाना उचित नहीं है और यह सम्भव है कि १० वर्ष पश्चात् या अधिक समय के पश्चात् यह अधिक उचित साबित हो। उस समय मैं समझता हूं कि इसको लागू करना अत्यन्त आसान होगा। उस समय हमारी जनता सबकी सब इसके पक्ष में होगी और सरकार को कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।

श्री नारायण दास पासी (जिला फैजाबाद)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री गेंदा सिंह के प्रस्ताव में निम्न संशोधन पेश करना चाहता हूं:--

संकल्प की पंक्ति २ में शब्द "बटवारे" के आगे के सभी शब्द निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द "कि समस्या इस आधार पर हल करें कि भूमि भगवान की दी हुयी सम्पत्ति है और इस पर प्राणीमात्र का समान अधिकार है। अतः कम से कम एक खेतिहर परिवार के लिये उनके भरण-पोषण को जितनी भूमि की आवश्यकता है इसका हल होना जरूरी है ताकि गरीबों और भूमिहीनों की रोजी की समस्या हल की जा सके। इस उद्देश्य के हेतु यदि संविधान में भी संशोधन करना आवश्यक हो तो वह भी करना चाहिये", जोड़ दिये जायं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे इस संशोधन का मतलब यह है, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बतलाया कि सवा छः एकड़ जमीन से कम की जोत जो है वह भी कम ही है और ३० एकड़ से अधिक की जोत जो है वह इतनी है कि वह संभाली नहीं जा सकती। तो ऐसी शक्ल में जो स्थिति पैदा होती है, उससे हम इस अन्जाम पर पहुंचते हैं कि अभी यह अनिश्चित सी बात है कि जोत कितनी होनी चाहिये

[श्री नारायण दास पासी]

और जैसा कि प्रयास हो रहा है, हमारे बड़े-बड़े नेता इसमें जुटे हुए हैं कि आखिर एक परिवार के लिये कितनी जमीन की जरूरत है, उसका निर्णय कर दिया जाय। इसमें हमारी आल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी है और आदरणीय नेहरूजी भी हैं जो इस प्रश्न पर प्रकाश डाल चुके हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ? उपाध्यक्ष महोदय, यह सोचने की बात है कि आज हिन्दुस्तान सैकड़ों वर्षों के बाद आजाद हुआ है और आजादी होने के बाद अहिंसा की या बापू की जो देन मिली वह अद्वितीय है। इतिहास में भारत एक झंडे के नीचे जैसा कि अब है कभी भी शासित नहीं हुआ, न इतना बड़ा अधिकार जनता को मिला जितना भारतीय संविधान में मिला। इससे हमारे राष्ट्र के कर्णधारों ने सबसे पहले जिस बात पर दृष्टि डाली है वह है भोजन और वस्त्र की समस्या। भोजन जो है, मानव समाज या जीवमात्र की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है और हमारा देश जो है उसके रहने वाले ९० फीसदी खेतिहर हैं। ऐसी दशा में खेती के ऊपर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक था। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा बतलाना चाहता हूं कि इसी लक्ष्य को लेकर के हमारी सरकार ने बड़े-बड़े राज्यों, ताल्लुकेदारियों और जमींदारियों तक को खत्म कर दिया और इनके खत्म करने के बाद आज वह इस नतीजे पर पहुंची है कि जो भी किसानों के हित में बात हो सकती है वह ज्यादा से ज्यादा की जाय और कर भी रही है। यहां तक कि जो शिकमी काश्तकार हैं उनको भी अधिकार देकर के चकबंदी में लाया जा रहा है। यह प्रशंसनीय बात है और यह सरकार के लिये धन्यवाद की बात है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। मैं आपका ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जब इसी सरकार द्वारा टेनेंसी ऐक्ट बना, उस वक्त दफा १७१, १७५ और १८० में बहुत से किसान बेदखल किये गये। फिर जमींदारी अबालिशन ऐक्ट जिस वक्त बना उस वत वक्ह किसान गरीब हरिजन जिनका नाम कि कहीं लिखा-पढ़ा नहीं था, वह सब अपने आप बेदखल हो गये और उसका कोई रेकर्ड हमारे माल मंत्री महोदय के पास नहीं है। ऐसी दशा में वे काश्तकार जो थे जिनका कि कोई रेकर्ड नहीं था, जिनकी कि कहीं लिखा-पढ़ी नहीं थी और यह स्वाभाविक बात थी क्योंकि हमारे हिन्दोस्तान के अन्दर लिखे पढ़े लोग बहुत कम थे और जो जमींदार थे वह लिखने पढ़ने नहीं देते थे, बल्कि जबरन बेदखली, गलत इंदराज, धोखाधड़ी से या जबरन इस्तीफे करवाकर जिन गरीब लोगों ने इस आशा में कि वे सुखी होंगे और भयंकर संघर्ष करके कांग्रेस सरकार अपने भताधिकर द्वारा बनायी वे निराश हुए। वह भी बेदखल हो गये ऐसी दशा में खेतिहर मजदूरों के रूप में वह तो गये। उन खेतिहर मजदूरों की तादाद हमारे सूबे में ३६ लाख से अधिक है। यहां पर जो आंकड़े इस वक्त इस सूबे के हैं वह मैं बतलाना चाहता हूं। हमारे सूबे में उपाध्यक्ष महोदय, खेतिहर मजदूरों की तादाद ३६ लाख ११ हजार दो सौ नौ है और खेती पर जो निर्भर लोग हैं उनकी संख्या है ४,६८,९६,६७१। कुल जमीन जो जोत में आती है वह है ४,२३,३१,००० एकड़ और प्रांत की कुल संख्या ६ करोड़ ३२ लाख १५ हजार २ सौ बयालिस है आप श्रीमन्, देखिये कि यह तो है हमारी जनसंख्या और जोता जो है वह यह भूमि है। लेकिन इसका प्रतिशत जो पड़ता है वह यह है ५ एकड़ से कम जमीन वाली जो रैयत हैं। कुल जनसंख्या में वह है ८१ फीसदी और उनकी कुल जोत जो है वह ५ एकड़ से कम वालों की मैं कह रहा हूं, वह है ३९ फीसदी कुल जोत की। ५ एकड़ से १६ एकड़ जोत वाले जो किसान हैं उनकी आबादी है साढ़े १६ फीसदी और उनकी जोत जो है वह ३९ फीसदी है कुल जोत की। इसके अलावा १६ एकड़ से ज्यादा जमीन वाले जो हैं, उनकी आबादी ढाई फीसदी है और जो जोत उनके पास है वह २२ फीसदी है कुल जोत की, ऐसी दशा में जब हम देखते हैं तो ढाई फीसदी लोग २२ फीसदी जोत को अपने कब्जे में किये हुए हैं। जिससे न सिर्फ बेकारी बढ़ी बल्कि गरीब लोग अर्ध गुलाम हो गये। इससे, भूमि भगवान की संपत्ति है, उस पर समान अधिकार सबका है, इसी आधार पर पुनर्भूमि बटवारे के हेतु पूज्य बिनोवा जी ने १६ एकड़ की ज्यादा से ज्यादा जो जोत रखी थी वह इस बिना पर रखी थी कि इससे ज्यादा जोत किसान बिना मजदूर रखे हुए जोत नहीं सकता। श्रीमन्, यह जो आंकड़े हैं वह आपके सामने हैं इसलिये समस्या पैदा होती है कि जमीन की जो जोत है वह कम से

कम एक परिवार के लिये क्या हो, इसका निश्चय होना जरूरी है। यही दशा श्रीमन्, हमारे पूरे हिन्दोस्तान की है। पूरे हिन्दोस्तान की जो जोत है वह २६ करोड़ ६३ लाख ७३ हजार एकड़ है और ५ करोड़ ८१ लाख ७१ हजार एकड़ जमीन परती और जोत दोनों को मिलाकर है। इस प्रकार से ३२ करोड़ ४५ लाख ४८ हजार एकड़ जमीन कुल मिलाकर हिन्दोस्तान के अन्दर है, जिस पर खेती होती है और कुल आबादी जो है वह ३५ करोड़ ६६ लाख ९४ हजार ३ सौ ७९ है। इस तरीके से हम देखते हैं कि लगभग एक एकड़ फी आदमी हमारे यहां भूमि पड़ती है। इनमें ४ करोड़ ४८ लाख ११ हजार ९८८ खेतिहर मजदूर पूरे हिन्दोस्तान में हैं उनकी भी रोजी की समस्या हल हो सकती है। हिन्दोस्तान में खेती की समस्या जो इतनी जटिल है उसको इस प्रकार से हल करना चाहिये जिसमें हिन्दोस्तान की पूरी समस्या हर स्तर पर एकसां रहे।

श्रीमन्, मेरे इस प्रस्ताव का केवल इतना मतलब था कि मैं सदन के अन्दर प्रार्थना कर सकूं कि यह जमीन की समस्या हल करना बहुत जरूरी है। इसको हल करना हमारे राष्ट्र का काम करने वाले नेताओं का काम है जो शांतिमय महान परिवर्तन कर रहे हैं।

अंत में मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

श्री चरणसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिस पर इस सदन को विचार करते हुए आज दूसरा दिन बीतने को जा रहा है। इसीलिये जानबूझ कर अब तक मैंने इस बहस में हिस्सा नहीं लिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को मौका मिल जाय कि अपनी बात कह सकें और बजाय इसके कि मैं अन्त में खड़ा होता इसीलिये बीच में खड़ा हो गया, ताकि मैं माननीय नारायण दत्त तिवारी और दूसरे मित्र जिनको मेरी बात पर कुछ कहना है, उन्हें अपनी बात कहने का मौका मिल जाय।

मैं यह चाहता हूं कि आपके जरिये सदन के माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूं कि यह प्रस्ताव यों तो जो मसले रोज हमारे सामने पेश होते हैं, वह साधारण नहीं होते, सारी जनता से वास्ता रखते हैं और जनता की आबादी हमारे प्रदेश में लगभग साढ़े ६ करोड़ है। ऐसा है कि जो कुछ प्रस्ताव या सुझाव या संकल्प या और जो विचारणीय विषय विचारार्थ पेश होते हैं उनकी अपेक्षा अधिक महत्व रखता है, विशेष इसलिये कि जब मौका मिलता है तब तो खैर कोई शिकायत ही नहीं, लेकिन जब मौका नहीं मिलता है, संबंधित हो या गैर संबंधित हो माननीय गेंदा सिंह और उनके हमख्याल दोस्त उस मसले के ऊपर अपना ख्याल इजहार किये बगैर चूकते ही नहीं। तो यह मसला ऐसा मसला हो गया है कि बार-बार हमारे सामने आता है इसलिये चाहिये कि हम जरा गम्भीरतापूर्वक उस पर विचार करें। जहां तक इस बात का वास्ता है कि भूमि सारे राष्ट्र की सम्पत्ति है, जिस राजनैतिक दल से सम्बन्ध रखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है उस दल की नीति और उसके विचार इस सम्बन्ध में सभी पर जाहिर हैं और वे इस बात से साबित हो चुके हैं कि आचार्य विनोबा भावे का जो आंदोलन है उसको आशिर्वाद दिया है हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने भी। जहां तक सिद्धांत की बात है कि भूमि राष्ट्र की सम्पत्ति है, सृष्टि की रची हुयी है इसमें भी दो राय नहीं और यह कि अधिक से अधिक लाभ हमारे राष्ट्र को पहुंचना चाहिये। किस प्रकार उसका प्रबंध और इन्तजाम होना चाहिये यह तो रही एक आम बात लेकिन जहां तक हमारे देश विशेष की बात है हमारे देश विशेष में जहां तक कि आबादी का सम्बन्ध है, आबादी की अपेक्षा इस संसार में बहुत से मुल्कों में जो जमीन है आबादी को देखते हुए वह हमारे यहां बहुत कम है। इसलिये हमारे इस भारतवर्ष में जो बड़े-बड़े खाते हैं, वे बहुत उपयोगी नहीं हैं हमारे राष्ट्र के लिये। मैं इस बात से भी इंकार नहीं करता, बल्कि मुझे यह भी तसलीम है। लेकिन इसके साथ-साथ हमको कुछ और बातों पर भी विचार करना है। इस संसार में और हमारे जीवन में कोई भी चीज एब्सोलूट नहीं होती जिसको एब्सोलूट अनक्वालिफाइड ट्रुथ कहा जा सके हर स्थिति और हर स्थान में जो सत्य हो, ऐसी चीजें बहुत कम होती हैं। लिहाजा जहां मैं यह मानता

[श्री चरण सिंह]

हूं कि भूमि भगवान की बनायी हुयी है और बड़ी होल्डिंग्स हमारे देश के हित में नहीं हैं और भूमि ज्यादा से ज्यादा लोगों में तकसीम हो जाय, इसमें कोई बुराई नहीं है वहीं साथ ही साथ दूसरे भी पहलू हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा कि वे बातें भी काबिले गौर हैं। आज दुनियां भर में चीन, रूमानिया को छोड़ कर हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है कि जहां अधिक से अधिक आदमी कृषि पर लगे हुए हैं। सारे हिन्दुस्तान में ७० फीसदी आदमी कृषि पर लगे हुए हैं। चीन में ७३ फीसदी और रूमानिया में ७२ फीसदी आदमी कृषि पर लगे हुए हैं। मैं ये आंकड़े जो वर्ल्ड आर्गनाइजेशन एफ० ए० ओ० हैं, उसकी १९५२ में जो किताब प्रकाशित हुयी है उसके आधार पर ही सदन के सामने रख रहा हूं। तो हमारे यहां दुनियां भर में तीसरे नम्बर पर आदमी अधिक से अधिक संख्या में भूमि पर लगे हुए हैं। और जहां तक हमारे प्रदेश का सम्बन्ध है वह शायद दुनियां भर में सबसे ज्यादा है उसका भूमि पर औसत जो आता है वह प्रतिशत ७४.२ है। हमारे इस देश का औसत ७० फीसदी है लेकिन उत्तर प्रदेश का औसत ७४.२ प्रतिशत है। इस तरह उत्तर प्रदेश को छोड़ कर जो हमारे देश का बाकी हिस्सा है वहां का ६८-६९ प्रतिशत औसत बैठता है। हमारा प्रदेश चूंकि एक बहुत बड़ा प्रदेश है इसलिये शेष भाग का प्रतिशत कम पड़ जाता है। तो हमारे यहां इतनी संख्या आज खेती में लगी हुयी है। अब देखना यह है कि यह जो भूमि पर आश्रित लोग हैं इनमें भूमिहीन लोग भी शामिल हैं और सीधे खेती पर मेहनत करके या जमीन पर जिनका स्वत्व है, किसी प्रकार का अधिकार है वह लोग भी इसमें शामिल हैं अर्थात् किसान लोग। अब जहां तक किसानों का सम्बन्ध है हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर सारी आबादी में ६७।। फीसदी के पास जमीन है ख्वाह वह भूमिधर हों, सीरदार हों, अधिवासी हों या असामी हों, लेकिन दूसरे भागों में भारतवर्ष के ५४.२ प्रतिशत लोगों के पास जमीन है। अब आप विचार करें कि क्या यह कृषि की जमीन और दूसरे लोगों को भी दी जाय और बजाय ६७ के ८० या ९० प्रतिशत को और अगर हो सके तो १०० आदमियों को ही दे दी जाय। इस सिलसिले में उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये अपने मित्रों से यह कहना चाहता हूं कि यह बात बहुत आकर्षक लगती है और जिन भाइयों के पास या जिस तबके के पास या जिनके पड़ोस में लोगों के पास जमीन नहीं है और वहां से हमारे कुछ मित्र यहां पर सदस्य हैं या जिनको उस चीज का तजुर्बा है चाहे वह यहां के सदस्य हों या न हों। उन गरीब आदमियों की तकलीफ देखकर उनको यह ख्याल आता है कि जमीन परमात्मा की बनायी हुयी है और कुदरत की बनायी हुयी है। इस बात को सभी हमारे नेता मानते हैं मानें या न मानें यह बात ऐसी है जो आंखों से दिखायी देती है कि जब जमीन राष्ट्र की है तो वह जमीन क्यों न सब में तकसीम कर दी जाय। मैं उनकी इस भावना की कदर करता हूं। मैं उनकी उस तकलीफ को समझता हूं, लेकिन यह देश के हित में है या नहीं इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मैं उनसे यह अपील करना चाहता हूं कि वह ठंडे दिल से इसके ऊपर विचार करें।

मेरा अपना मत यह है और जो मेरा मत है वह अर्थशास्त्रियों का भी मत है कि जिस देश में खेती पर बसर करने वालों की संख्या ज्यादा होगी वह देश गरीब होगा। जितने भी संसार के मुल्क हैं उनमें से जिसमें खेती करने वालों की संख्या अधिक है वह गरीब हैं। लिहाजा जितने भी आज उन्नतिशील देश दिखायी देते हैं और जब से उन्होंने उन्नति करना शुरू किया, पिछले ६०, ७० वर्ष के अन्दर तब से ही उनके नेता और उनकी गवर्नमेंट की यह कोशिश रही है कि खेती के पेशे को छोड़कर दूसरे व्यवसाय में वह लगें। एक अर्थशास्त्री ने एक पुस्तक १९२७ ई० में लिखी है और उसने २२ देशों के आंकड़े इकट्ठे किये कि खेती करने वाले कितने आदमी हैं, तिजारत, गैरजराअत वाले कितने आदमी हैं वह इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर कोई मनुष्य १ घंटे खेत पर मेहनत करता है और उसको १ रुपया की आमदनी होती है तो गैरजराअत पेशों में औसतन ४ रुपए ५ आने की आमदनी होती है। इसलिये सभी मुल्कों में सभी गवर्नमेंटों ने कोशिश यह की कि लोग-बाग खेती से हटकर दूसरे रोजगारों में लगें और इसके सबूत में मैं माननीय सदन के सामने कुछ, केवल ५,६ देशों के, आंकड़े रखना चाहता हूं। सन् १९२३ में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ट्रिब्यूनल बैठाया था।

उसकी एक रिपोर्ट निकली । लार्ड बालफोर गालिबन उसके प्रेसीडेंट थे। तो वहां से यह उद्धरण है। वह था ऐग्रीकल्चरल ट्रिब्यूनल आफ इनवेस्टीगेशन । मैं आपकी इजाजत से अंग्रेजी में पढ़ देना चाहता हूं। "In all countries, even the most agricultural, rural population has, in the last 50 years, become a constantly smaller proportion of the whole population. In Denmark between 1880 and 1921 it fell from 71 to 57 %. In France between 1875 and 1921 from 67. 6 to 53.6 per cent. In Germany between 1875 and 1921 from 61 to 37.8 %. In England and Wales between 1871 ann 1921 from 38. 2 to 20. 7 %." इसका अर्थ यह हुआ कि सब देशों में, यहां तक कि जिनमें कृषि करने वालों की संख्या बहुत अधिक थी, उन सब में गांवों में रहने वालों की संख्या बराबर घटती गयी । जिन देशों को हम उन्नतिशील मानते हैं उनमें खेती करने वालों की तादाद बराबर घटती गयी जहां तक जापान का सम्बन्ध है १८७३ में वहां ७८ फीसदी आदमी खेती करते थे और १९२४ में केवल ४३ फीसदी आदमी खेती करते थे। अमरीका में पहले कितने आदमी खेती करते थे, इसके आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं लेकिन सन् १९२६ में वहां खेती करने वालों की संख्या २२ फीसदी थी और १९३९ से १९५१ के एक जगह के आंकड़े दिये हैं, वह १५ फीसदी है। वह अमरीका जो दुनियां के बहुत देशों को अन्न खिलाता है, वहां खेती करने वालों की संख्या केवल १५ फीसदी है। सबसे मालदार देश है। तो अगर मुल्क को मालदार बनाना है तो हमारी और इस गवर्नमेंट की, कोशिश यह होनी चाहिये कि खेती से हटकर लोगबाग दूसरे धंधों में लगें ताकि देश की दौलत बढ़े और लोगों की आमदनी ज्यादा हो।

मैं आपके द्वारा फिर दोहराना चाहता हूं कि मैं उस भावना की कद्र करता हूं और उसके लिये जितनी इस सरकार ने कोशिश की है वह आप सब लोगों पर जाहिर है कि जो गरीब किसान हैं उनके हक में कानून बनाये गये और जिनके पास भूमि नहीं है उनको जहां तक हो सका भूमि देने की कोशिश की गयी । मैं इस बात को मानता हूं और उसके साथ ही साथ इस बात को भी मानता हूं कि हमको एक संतुलन रखना है। आचार्य बिनोबा भावे ने जो यज्ञ किया उसमें जितनी भी बड़ी से बड़ी आहुति डाल सकते थे वह हमने डाली और सबसे पहले उनके काम को सहायता पहुंचाने के लिये कानून बनाया । हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उस कमेटी के मेम्बर हैं। हमारे एक और सहयोगी श्री विचित्र नारायण उसमें अपना बहुत समय लगाते हैं। इससे हमारी प्रतिक्रिया, मनोवृत्ति और विचारधारा प्रकट होती है। मैं जो अपील करना चाहता हूं वह यह है कि इन सब बातों के अतिरिक्त हमको यह भी याद रखना चाहिये कि आदर्श स्थिति वह नहीं होगी कि २–२ एकड़ भूमि बंट जाय, ऐसी स्थिति तो देश के लिये बुरा जमाना होगा । हमारे पूर्वी जिलों में ८५ प्रतिशत आदमियों के पास भूमि है, हमारे माननीय गेंदा सिंह जिस जिले से आते हैं वहां ७५ प्रतिशत आदमियों के पास जमीन है।

उपाध्यक्ष महोदय, ताकि माननीय गेंदा सिंह जी को वह शिकायत न हो कि मैं जबानी कह रहा हूं कहीं मेरी याददाश्त धोखा तो नहीं दे रही, मैं फाइल में से इसको पढ़े देता हूं । देवरिया में खेती करने वालों की तादाद ८७.४६% है और ऐग्रीकल्चरल लेबरर की तादाद ५.९२% है यानी साढ़े तिरानबे प्रतिशत लोगों का गुजारा जमीन पर होता है। अब उनके ऊपर जो जमींन का औसत आता है वह २.९७ प्रतिशत है यानी ३ एकड़ से कम है। हमारे जितने भी सूबे हैं, पहाड़ी जिलों को छोड़कर तथा ४ जिले बुन्देलखंड को छोड़कर ४३ जिलों की अगर पर केपिटा जमींन का औसत लगाया जाय तो सहारनपुर से लेकर बलिया तक लगभग बराबर आती है। अगर पूर्व के जिलों में केवल खेती करने वाले परिवारों के पास जो जमीनें हैं उसको देखा जाय तो उसका औसत ३ से साढ़े तीन एकड़ आता है। देवरिया के इलाके में वह २.९७ एकड़ ही आता है। पश्चिम के १०–१२ जिलों में जिनमें ४ जिले मेरठ के, ३ आगरा के और २–३ रुहेलखंड के इन जिलों का औसत ६–७ अथवा ८ एकड़ फी किसान परिवार बैठता है। पश्चिमी जिले एटा, इटावा, फर्रुखाबाद और मैनपुरी जिनमें भूमि व्यवस्था और आर्थिक अवस्था बिलकुल यकसां है, औसत साढ़े तीन एकड़ के करीब पड़ता है। अतः मैं यह कहना चाहता था कि जिन जिलों

[श्री चरण सिंह]

के किसानों की हालत अपेक्षतया अच्छी है वहां फी व्यक्ति जमीन ज्यादा है, वहां किसान परिवार जमीन पूर्वी हिस्से के किसान परिवारों की अपेक्षा दुगनी है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या उन लोगों का परिवार बड़ा है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, परिवार बराबर है। वहां ८०–८७ प्रतिशत लोग खेती करते हैं और पश्चिम में खेती करने वालों की संख्या ३७ से ४७ प्रतिशत है। मैंने शुरू में ही यह अर्ज किया था कि जिस देश या प्रदेश के इलाके में खेती करने वालों की तादाद अपेक्षतया कम होगी वह उसी कदर मालदार होगा और जहां खेती करने वालों की तादाद ज्यादा होगी वह उसी कदर गरीब होगा। तो गोरखपुर डिवीजन और और जो दो चार जिले हमारे इधर के हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति अपेक्षतया बहुत खराब है उसका प्रधान कारण यह है कि जमीन ज्यादा आदमियों में बंटी हुयी है, न कि यह कि जमीन सब में बंटी हुयी नहीं है। अगर आज देवरिया में ८७ फीसदी आदमियों के पास जमीन है तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर १०० फीसदी के पास जमीन कर दी जाय तो क्या अमीर हो जायगा। देवरिया या गोरखपुर या आजमगढ़ या और हमारे जिले नहीं, बल्कि कोशिश वहां यह होनी चाहिये कि हम दूसरे रोजगार धंधे कायम करें और इस गवर्नमेंट का यह फर्ज होना चाहिये कि दूसरे रोजगार धंधे कायम करें। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप सब की कोशिश आप सब का दबाव और सुझाव होना चाहिये इस गवर्नमेंट के ऊपर कि वह कोई दूसरा पेशा इन जिलों के अन्दर खोले। न कि यह कि भूमि ८७ फीसदी के बजाय १०० फीसदी आदमियों में तकसीम की जाय। मैं यह मानता हूं कि हमारे पूरब के जो जिले हैं उनमें गरीबी के कुछ और कारण हैं जैसा कि श्री शिवनारायण जी ने कहा कि वहां किसान खुद अपनी भूमि में खेती न करके और मजदूरों के भरोसे पर काम को छोड़ देते हैं। इसके अलावा दो तीन और कारण हैं जैसे आबपाशी का न होना, आबहवा का खराब होना, कभी सूखा पड़ जाना कभी बाढ़ का आ जाना, इस तरह से दैवी विपत्ति तथा जलवायु आदि चार पांच कारण हैं। इन सब कारणों में जो प्रधान कारण है वह यह है कि ज्यादा आदमी भूमि में लगे हुए हैं इसलिये हमारा यह इलाका गरीब है। तो माननीय गेंदा सिंह यदि यह चाहते हैं कि ८७ फीसदी के बजाय १०० फीसदी आदमियों को जमीन मिल जाय तो यह उनको मुबारक हो। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे देश की गरीबी दूर नहीं होगी।

अब इस सिलसिले में यह देखना है कि यह भूमिहीनों की समस्या और अधिक जमीन के होने की समस्या, बड़े-बड़े खातों की समस्या जिस प्रकार से हममें से बहुत से समझते हैं यह उस तरह की एक हवा बह गयी है कि माननीय गेंदा सिंह तथा उनके मित्र बार-बार वक्त बेवक्त इस मसले पर जोर देते हैं। क्या यह समस्या ऐसी है इस सूबे में। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि समस्या इस डाइमेंशन और इस रूप में नहीं है जिस तरीके से बतलायी जाती है। चूंकि हमारे प्रदेश में सवा ६७ फीसदी आदमी ५४ के मुकाबिले में जमीन में लगे हुए हैं इसलिये भूमिहीनों की समस्या हमारे सूबे में सारे प्रदेश के मुकाबिले में सबसे कम है। इसके लिये मैं अपने माननीय मित्र का ध्यान सन् १९५१ के सेंसेस रिपोर्ट के आंकड़ों की ओर आकर्षित करूंगा। ऐग्रीकल्चरल लेबरर्स में उत्तर प्रदेश में भूमिहीन मजदूरों की संख्या ५.७ है। हिन्दुस्तान में यह प्रतिशत १२.५ है और उत्तर प्रदेश के अलावा बकिया प्रदेशों में १३.७ यानी यहां से ठीक ढाई गुना है। ६७ में १३.७ के पास भूमि नहीं है और ५४ के पास भूमि है तथा हमारे प्रदेश के अलावा भारतवर्ष के दूसरे प्रदेशों में २२ फीसदी के करीब भूमिहीन हैं। हमारे यहां साढ़े ६७ और पौने ६ यानी कुल ७३ के करीब उनकी तादाद है और उन में से भूमिहीन मजदूरों की संख्या ५.७ यानी ८ फीसदी या साढ़े ७ फीसदी भूमिहीन हैं और बहुत ज्यादा अन्तर नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि वहां समस्या नहीं है। श्री राम दास जी, श्री जयपाल सिंह जी भी बैठे हैं और इधर श्री शिवनारायण जी भी हैं जो मेरे पीछे बैठे हैं मैं उन से फिर कहता हूं और दोहराता हूं और मैं कोई समस्या से इन्कार नहीं करता और वह दृष्टिकोण मेरी आंखों से ओझल

नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जिन डाइमेंशंश में समस्या दूसरी जगह पर है वह हमारे सूबे में उस रूप में उस विकराल रूप में लागू नहीं है।

जहां तक जमीन तकसीम करने की बात आती है तो उस में हमारे सूबे की स्थिति दूसरी है और दूसरे सूबों से बिलकुल भिन्न है और सर्वथा भिन्न है और उपाध्यक्ष महोदय, यह तो इसी से जाहिर है कि वहां ५४ फीसदी लोग खेती करते हैं और यहां साढ़े ६७ फीसदी। एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं जिस को मैं भूल गया था, वह यह है कि जब कभी यह बात कही जाती है कि भूमिहीनों को जमीन बांट दी जाय और कुछ मित्र यह समझते हैं कि कुछ वर्ग विशेष ऐसे हैं जिन के पास भूमि नहीं है और दूसरे वर्ग विशेष हैं जिन के पास है। यह ख्याल गलत है और बिल्कुल गलत है। इत्तिफाक से अभी मार्च के महीने की बात है मैं सेंसेस रिपोर्ट के वरक़ उलट रहा था तो उस में मैंने यह पाया कि यह वाल्यूम २ पार्ट १.ए के पेज ४४४ और ४४५ पर जो तालिका दी है उस से जाहिर है कि हमारे शिड्ल्ड कास्ट के जो भाई हैं या हरिजन हैं जिनके मुताल्लिक लोगों का ख़याल है कि वह बिलकुल भूमिहीन हैं. . . . .

श्री राजनारायण---आप 'वर्ण' कह रहे हैं ?

श्री चरण सिंह---नहीं मैं 'वर्ण' नहीं कह रहा हूं बल्कि 'वर्ग' मैंने कहा है 'क्लास' कह रहा हूं आप ही जरा बतला दें कि 'क्लास' को क्या कहेंगे आप ने तो वेद तक का हवाला दिया था, हमारे दलित वर्ग हमारी अनुसूचित जातियां, हमारी शिड्यूल्ड कास्ट्स हमारे हरिजन भाइयों के बारे में कुछ लोगों का ऐसा खयाल है कि उन के पास जमीन कम है। (लाल रोशनी के जलने पर) मैं उपाध्यक्ष महोदय आप से अर्ज करूंगा कि अभी मुझे समय कुछ और दे दिया जाय। यह मेरी दरख्वास्त है।

तो मैं यह कह रहा था कि यह ख्याल कि शिड्ल्ड कास्ट्स के पास जमीन नहीं है यह ख़याल गलत है, जमीन उनके पास है लेकिन अगर थोड़ी है तो वह बात दूसरी है। वह जमीन उनके पास कितनी है इस के कोई आंकड़े नहीं हैं लेकिन सेंसेज रिपोर्ट से जाहिर होता है कि ६०.९ हरिजनों के पास जमीन है जो खेती पर बसर करते हैं। अब मैं इसको जरा तफसील के साथ रखना चाहता हूं कि ४ क़िस्म के वह लोग हैं जो खेती से ताल्लुक़ रखते हैं पहले वर्ग के वे लोग हैं जिन्हें विरासत का अख्तियार है क्योंकि उनको खेती करने का हक़ हासिल होता है, दूसरा वर्ग है जो शिकमी है, तीसरा वर्ग वह है जो भूमिहीन है, खेतिहर मजदूर हैं, भूमि पर खेती तो करते हैं लेकिन जिसके पास खेती नहीं है और चौथे वह हैं जो केवल लगान पर गुजर करते हैं। तो केवल उस लगान पर गुजर करने वालों की संख्या १.०५ है। हमारे सारे सूबे में ६७.४५ वह लोग हैं जिनके पास दो क़िस्म की जमीनें हैं और अब सब के पास एक ही किस्म की जमीन होगी। अब ५.७ ऐग्रीकल्चरल लेबर हैं उनमें से एक हजार के पीछे ५२५ हरिजन या शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं जिनके पास जमीनें हैं। उनमें से हरिजनों के पास साढ़े बावन फीसदी यानी जो अपनी जमीन में काश्त करते हैं और यह जो शिकमी वगैरह हैं ८४ यानी ५२५ और ८४ कुल मिला कर ६०९ हजार के पीछे यानी ६०.९ प्रतिशत। फिर इसके बाद हिमालयन, ईस्ट प्लेन, वेस्ट प्लेन, सेन्ट्रल प्लेन इन सब के आंकड़े हैं। मुझे इन आंकड़ों को पढ़ कर एक तसल्ली हुई है क्योंकि मेरा अपना भी कुछ कुछ ऐसा ख्याल था और हमारे यहां भूमिहीन ज्यादातर अनुसूचित जाति के भाई हैं लेकिन इन आंकड़ों के बाद यह बात साफ़ पता चलती है कि ये बात उनके लिये भी नहीं है। मैं यह मानता हूं कि हमारे पूर्वी जिलों में जो छोटे छोटे काश्तकार हैं वे ज्यादातर हमारे पिछड़ी हुई जातियों के लोग हैं। फिर भी मैं अपने दोस्त की इत्तिला के लिये यह कहना चाहता हूं कि यह वर्ग विशेष की बात नहीं है जिनके पास जमीन नहीं है।

अब कितनी जमीन तकसीम के लिये मिल सकेगी अगर हम तकसीम के लिये चलते हैं तो उसके मुताल्लिक मेरा कहना है कि हमारे सूबे में सब से कम तादाद में बड़ी खेती है।

[श्री चरण सिंह]

इस के लिये भी मैं जो हमारा फाइवईयर प्लान है और प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है उसके सफे १९९ की ओर अपने माननीय मित्रों का ध्यान आकर्षित करूंगा। सफे १९९ पर जो आंकड़े हैं उनको मुख्तसरन लिये लेता हूं कि बड़ी-बड़ी होल्डिंग जो २५ एकड़ से ऊपर हैं उनकी तादाद ७ लाख ७८ हजार है और कुल रक़बा उस जमीन का १ करोड़ ८ लाख ५६ हजार है और कुल सूबे की जमीन जो है जो कल्चरेबिल है उसका वह ४१.३७ परसेंट होता है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में तीन लाख ५९ हजार बड़ी-बड़ी होल्डिंग्स हैं, २० एकड़ से बड़ी। कुल रक़बा १ करोड ७३ लाख १० हजार एकड़ और परसन्टेज टोटल ५९.४। तो कुल जमीन का ६० फीसदी के करीब मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी होल्डिंग्स में बंटा हुआ है। तो जो बात मध्य प्रदेश में सही हो सकती है वह उत्तर प्रदेश में सही नहीं है। इसी प्रकार मद्रास म २१.४ और पेप्सू में ४४.७ परसन्टेज २० एकड़ से बड़ी होल्डिंग्स का है। २७.१ उड़ीसा में और उत्तर प्रदेश में १२.९, या १३ फीसदी कहना चाहिये। तो इससे जाहिर है कि हमारे यहां बड़ी-बड़ी होल्डिंग्स बहुत कम हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपकी इजाजत से यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह १३ फीसदी रक़बा भी नहीं है। यह १३ फीसदी रकबा कब का है? यह नेशनल प्लानिंग कमीशन ने कहां से आंकड़े लिये? यह आंकड़े जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट की जिल्द दो से लिये गये थे और उसमें ये आंकड़ आये थे १३५२ फसली के। आज जो साल चल रहा है वह है १३६२ का। १० साल के अन्दर यह बड़ी होल्डिंग्स नहीं रहीं। इसमें १ लाख १४ हजार कुल होल्डिंग्स हैं। १ करोड़ २३ लाख में से जिनका कि रक़बा हमारे यहां २५ एकड़ से ज्यादा है। इसमें जिल्द दो में स्टेटमेंट १४ में दिया हुआ है। उनके पास कुल जमीन ५३ लाख एकड़ है और इस तरह से वह १३ फीसदी हुये। लेकिन हमे यह देखना है कि इस जमीन को तकसीम करने को हम कहां तक मालिक हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप उस वक्त तशरीफ नहीं रखते थे, शायद सदन में बैठे हों, आप ने सुना होगा कि जब राजनारायण जी जमीन तकसीम करने की बात कर रहे थे और यह कह रहे थे कि ३० एकड़ से ज्यादा वालों की जमींन ले लीजिये जिसमें उन्होंने वह सारी जमीन भी मिला ली जो ऊबड़-खाबड़, बंजर, झांखड़, ऊसर पड़ी हुई है, मैं तो इंतजार कर रहा था कि शायद वह पहाड़ को भी इसी में ले लेंगे.....

श्री राजनारायण--वह आप के लिये छोड़ दिया था।

श्री चरणसिंह--वह हमारे लिये छोड़ दिया या उपाध्याय जी के लिये यह तो आप जाने, लेकिन एक लाख १४ हजार होल्डिंग्स हैं और कुल रक़बा ५३ लाख एकड़ है। १ लाख १४ हजार के पास तो आप ३० एकड़ जमीन छोड़ेंगे, तो ३४ लाख एकड़ जमीन उन के लिये छोड़ दी। अब १९ लाख एकड़ जमीन हमको तकसीम करने के लिये मिली लेकिन इस एक लाख १४ हजार खातों में से साढ़े बयासी हजार खाते बड़े-बड़े काश्तकारों के हैं और ३२ हजार खाते जमींदारों के हैं। जमींदारों की सीर में जो गैरदखीलकार काश्तकार हैं, शिकमी काश्तकार हैं और जिनको हमने अधिवासी करार दिया है और कुछ को सीरदार भी करार दे दिया है वह तो बेदखल होने वाले नहीं हैं तो उनको भी ३० एकड़ जमीन दी जायगी और उसको भी जमीन दी जायगी जिसके पास कोई काश्तकार नहीं है, उसको भी आप ३० एकड़ जमीन देंगे। तो इस तरह से जो अधिवासी हैं और जिनके क़ब्जे में जमीन है वह सब इसी १९ लाख एकड़ में शामिल हैं क्योंकि उनकी बेदखली का कोई सवाल उठता नहीं, वह रकबा है १० लाख एकड़ का। मैं औसत की बिना पर कह सकता हूं कि जो आंकड़े निकले हैं उस से, अधिवासी जो आबाद हैं उनका रक़बा निकाल कर, हमारे पास कुल ९ लाख एकड़ जमीन १३५२ फसली में तकसीम के लिये बचती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि यह जो ९ लाख एकड़ का रक़बा हमारे पास बचता है यह इस आधार पर बचता है, हमें तकसीम के लिये मिलता है जब कि उसका मालिक उन होल्डिंग्स का मालिक एक ही आदमी हो क्योंकि अगर एक ही आदमी उसका मालिक है

तब तो आप उसके लिये ३० एकड़ छोड़ेंगे लेकिन अगर तीन आदमियों का नाम उस होल्डिंग पर लिखा हो तो आप को ९० एकड़ उनके लिये छोड़ना पड़ेगा। अब तक जितने हमारे कवानीन हैं, जो हमारी नीति १९३८ में रही है, जो दूसरे देश के कानूनों ने माना है वह यह कि अगर बाप जिन्दा है तो लड़के, भतीजे, पोते वगैरह चाहे कितने ही रहते हों एक ही खानदान माना जायगा। लेकिन अगर बाप मर गया और चार भाई शामिल हैं तो चाहे ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स हो, चाहे वह कोई बात हो सब में वह भाई अलग-अलग माने जायेंगे। तो यह ९ लाख एकड़ भूमि तब मिलती है अगर एक होल्डिंग का स्वामी एक आदमी माना जाय। लेकिन अगर एक होल्डिंग के कई आदमी मालिक हैं तो उनको ३० एकड़ छोडी गयी परिवार के लिये। तो फिर ९ लाख एकड़ भूमि नहीं मिलती। फिर मैंने यह अर्ज किया था कि यह तादाद तब थी आज नहीं है। वह इससे जाहिर है कि हमारे यहां जो ऐग्रीकल्चरल टैक्स लगा है, पिछले साल ५३ में मैंने सब जिलाधीशों को यह आदेश भिजवाया था कि ३० एकड़ से बड़ी बड़ी होल्डिंग्स के आंकड़े गवर्नमेंट के पास भेज दें। लिहाजा जो आंकड़े आये, उनसे साबित होता है कि अब जो होल्डिंग्स की तादाद है वह १९ हजार ३४४ है, जो ३० एकड़ से बड़ी हैं। और उसके लिये सब आंकड़े मेरे पास नहीं हैं जिन भाइयों को जरूरत हो मेरे पास आ जायं मैं लैंड रिफ़ार्म कमिश्नर के दफ्तर में से मंगा कर दिखा दूंगा। लेकिन आंकड़े जो मेरे पास हैं वे यह हैं :

३० से ४० एकड़ तक	६,१९४
४०–५० ,, ...	४,१२४
५०–७५ ,, ...	४,०८६
७५–१०० ,, ...	१,९९९
१००–१५० ,, ...	१,५४१
१५०–२०० ,, ...	६११
२००–२७५ ,, ...	३७५
२७५–३५० ,, ...	१६४
३५०–५०० ,, ...	१२८
५००–१००० ,, ...	९२
	और
१००० से ऊपर	४०

इनका कुल टोटल १९ हजार ३४४ और कुल जमीन जो उनके पास है उसका रकबा है १३ लाख ६७ हजार ७४३। यह होल्डिंग्स हैं अब जो कि एक आदमी की नहीं हैं। अगर मैं एक ही आदमी को मालिक मान लूं तो १९ हजार में ३० का जरब दे दीजिये। तो ५ लाख ७० हजार बैठता है। तो ७,८०,००० एकड़ जमीन तकसीम के लिये मिलती है बशर्ते कि एक आदमी मालिक हो जैसा कि फैक्ट नहीं है। जो ऐग्रीकल्चरल इंकम टैक्स लगा वह लगा है १४ हजार १३२ होल्डिंग्स पर। तो अब १३,६०० हैं जिन पर टैक्स लगा और कानून में यह लिखा है कि एक भाई एक दूसरे से अलग माना जाय। तो मैं यह समझता हूं कि यह जो साढ़े १९ हजार में जो टैक्स साढ़े १३ हजार पर लगा तो वह होल्डिंग्स थी जो भाइयों में तकसीम कर ली गई और ३० एकड़ से कम पड़ी। तो इस प्रकार से ३० एकड़ से बड़ी होल्डिंग्स जो एक आदमी के पास है वह साढ़े तेरह हजार हैं। उनका रकबा क्या है वह मेरे पास नहीं है। लेकिन जो १९,००० के संबंध में एक-एक आदमी के पास मानें तो ७ लाख ८० हजार एकड़ जमीन मिलेगी। अगर यह आंकड़े मान लें तो ४ लाख एकड़ जमीन मिलती है लेकिन बहस के लिये मैं ५ लाख एकड़ माने लेता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सूबे में ४ करोड़ ५२ लाख एकड़ जमीन जेरे काश्त मानी जाती है जिसमें करेंट, फैलो और बागात भी शामिल हैं। इसके बजाय अगर साढ़े चार लाख एकड़ और मिल जाय, एक प्रतिशत जमीन और मिल जाय तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों को मिल जायगी और उनकी तकलीफे कम होगी। लेकिन सारे सूबे के नक्शे में मैं जब निगाह डाल कर देखता हूं तो कहां तक समस्या का हल होगा।

[श्री चरण सिंह]

बेकारी समस्या का हल करना चाहिये। मैं नहीं कहता कि थोड़ी समस्या है। हमें समस्या को हल करना चाहिये जितनी भी समस्या हल हो जाय। लेकिन यह देखना है कि हमारी समस्या हल हो भी जायगी अगर हम भूमि वितरण का नारा लगा दें तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर हम सही आंकड़े और ऐदादोशुमार को देखें तो समस्या हल नहीं होती है।

अब तक गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में क्या किया है वह सब भाइयों पर जाहिर ही है। हमने इसी कानून यानी जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक के जरिये यह तय किया कि ३० एकड़ से आगे कोई शख्स भूमि नहीं ले सकेगा। इसी की नक़ल सब सूबों ने की है तो आगे के लिये हमने रास्ता बन्द कर दिया। दूसरी चीज हमने यह की कि दफा १९८ में हमने यह रखा कि जो जमीन हमने गांव वालों को दे दी है अगर आगे गांव के कुल रकबे से दस प्रति से ज्यादा हो और जो तकसीम की जायगी वह भूमिहीनों में ही तकसीम की जायगी। मैं जानता हूं कि अभी तक हमारी भूमि प्रबन्ध समितियां सुचारू रूप से खड़ी नहीं हो सकी हैं। उनमें बहुत कोशिश की गई है। अभी उनको रजिस्टर मिला है, अभी उनका इलेक्शन हुआ है। गांव समाज मैनुअल की तीसरी एडीशन छपने वाली है। वह लोग अनपढ़ हैं उनको समझाया जाता है उनको सरकारी कर्मचारी भी समझाते हैं लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कोशिश की है। मैंने भी इसी कमेटी के चेयरमैनों और लेखपालों को समझाया है और आप को भी तकलीफ दी है और मुझे खुशी कि धीरे-धीरे कुछ काम चलने लगा है। हमें कुछ आंकड़े इकट्ठा करने थे लेकिन पूरे आंकड़े नहीं आये हैं हमने ज्यादा जोर दिया नहीं है क्योंकि हमारे सरकारी कर्मचारी और कामों में फंसे हुये हैं। २४ जिलों से आंकड़े आये हैं। उससे मालूम हुआ कि जून तक १३,८९५ एकड़ भूमि भूमिहीनों को तक्सीम की गई। अभी कुछ जमीन और है जो तकसीम की जा सकती है और वह धीरे-धीरे हो जायगी। यह दफ़ा १९८ कहती है।

अब इसी सिलसिले में मैं अर्ज करना चाहता था कि जो हमारा भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक है उसमें, जैसा कि सब को जाहिर है अधिवासियों को हम हक़ मुस्तकिल देने जा रहे हैं। उनकी जो संख्या हमारे पास आई है वह ४४ लाख आदमियों की है। मैं मानता हूं कि एक-एक के पास कई-कई खाते हैं। यदि तीन-तीन भी खाते भी मान लें तो भी १४ लाख फेमिलीज हैं जिनके मुताल्लिक़ कोशिश की जा रही है कि बेदखल हो जायं, रिजम्पशन आफ लैंड हो यानी जमीन असली काश्तकार या भूमिधर अपनी काश्तकार के लिये लें। हमने तो यह तय कर दिया और सब को हमने दे दिया। इसके अलावा कुछ लोगों के पास, सीरदार और भूमिधर, जिनके पास बड़े खाते हैं, उनके लिये धारा २३ 'बी' और धारा २४ जो हमारे ऐक्ट में है कि अगर कोई शख्स दो साल का सीरदार होते हुये, तीन साल तक भूमिधर होते हुये, अगर काश्त नहीं पाता है उसको नोटिस दिया जायगा और सीरदारों की जमीन गवर्नमेंट ले लेगी और भूमिहीनों को बेच देगी और जो भूमिधर हैं उनकी जमीन भी गवर्नमेंट अपने जेर इन्तजाम कर लेगी। तो जिन लोगों के पास खाली जमीन पड़ी है और चाहते हैं जमीन खाली पड़ी रहे, काश्त न करे औलाद के काम में आ जायगी, न मालूम किस काम आ जाय, तो हम चाहते हैं कि उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिये और यह बिल आप के सामने आ ही चुका है।

इसके अलावा जो हमारा एग्रिकल्चरल इन्कम टैक्स बिल है जिसका मैंने कल जिक्र किया था, वह बिल सब के सामने मौजूद है कि ५८ एकड़ से जो बड़ी होल्डिंग्स हैं उनपर इतना टैक्स है कि हमारे माननीय चतुर्वेदी साहब को एतराज हो गया कि सेंट्रल टैक्स से भी ज्यादा लगा दिया। लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया जमीन परमात्मा की बनायी हुई है। अगर एक आदमी के पास अपने हिस्से से ज्यादा है तो उसका फर्ज है कि कौम के खजाने में ज्यादा हिस्सा दे। और ऐसे आदमी निकम्मे हैं जो जमीन लिये बैठे हैं तो उनके पास जमीन रही ही नहीं सकेगी। जमीन अपने आप तकसीम होगी, ३०-३० एकड़ में बंटेगी और उनके पास जायगी जिनके पास साधन है। ५-५ एकड़ में बंटेगी।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--यह जो डिस्ट्रिब्यूशन का प्रश्न है, क्या जमीन उन्हें दी जायगी जो ऐग्रीकल्चरल लेबर हैं या जो खेतिहर मजदूर हैं, जैसे कि गांव समाज को बटवारे का इंतजाम दिया गया है ? लैंड डिस्ट्रिब्यूशन का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें जो अनइकोनामिक होल्डर्स हैं उनको प्रिफ़रेंस नहीं दिया जा रहा है, बल्कि खेतिहर मजदूरों को प्रिफ़रेंस दिया जा रहा है।

श्री चरणसिंह--उसमें हम भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को ही प्रिफ़रेंस देगें जो सवा छः एकड़ तक होगी। उसके बाद अगर बच रही, जैसी कि उम्मीद नहीं है, तब अनइकोनामिक होल्डर्स को मिलेगी। जो सवाल हमारे शिवकुमार जी ने उठाया वह बड़े महत्व का है कि जिसके पास एक एकड़ या ४-५ एकड़ भूमि है उसको पहले जमीन दी जाय या उसको दी जाय जिसके पास बिल्कुल नहीं है, उसको ३ एकड़ या ५ एकड़ दी जाय। इसमें दोनों तरफ दलीलें हो सकती हैं, लेकिन जो पालिसी हम लोगों ने स्वीकार की है उसमें यही है कि हम भूमिहीनों का ही हक पहले रखते हैं, बनिस्बत अलाभकर जोत वालों के।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ताकि माननीय मंत्री जल्दी में न रहें, कि आधे घंटे तक पूरा समय दीजिये, उसके बाद गेंदा सिंह जी को समय दे दीजिये, क्योंकि हम पढ़ने की दृष्टि से बैठे हुये हैं, हमें पढ़ना है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अब तो समय हो रहा है।

श्री चरणसिंह--उनके कहने का मतलब यह है कि चरण सिंह को बोलते हुये एक घंटा हुआ, तो गेंदा सिंह जी को भी एक घंटा होना चाहिये। मुझे कोई एतराज नहीं है, डेढ़ घंटे बोलें।

तो मैं यह अर्ज करना चाहता था कि जो हमारा ऐग्रिकल्चरल इन्कम टैक्स बिल है, उसकी भी नीति यही है कि अगर किसी आदमी के पास जमीन ज्यादा है और वह उसका सदुपयोग नहीं करता है और अच्छी पैदावार नहीं करता है तो उसके लिये ऐक्ट के मातहत जो टैक्स हैं, वह एक बोझा साबित होगा। या तो वह अच्छी खेती करे, नहीं तो उसे जमीन छोड़ देनी होगी।

इसके अलावा भूमिहीन लोगों की जमीन तोड़ कर भी यह गवर्नमेंट बसाने की कोशिश कर रही है। जो हमारा कालोनाइजेशन वगैरा है, खादर में, और नैनीताल जिले में ४,४२६ एकड़ पर तो भूमि हीन लोगों को ७ १/२ फी व्यक्ति के हिसाब से बसाया जा चुका है कालोनाइजेशन एरिया में ,

श्री गेंदा सिंह--कितनी जमीन आबाद हुई ?

श्री चरण सिंह--जी, वह आप का ख्याल ग़लत है। मैं अभी उसपर आने वाला हूं। वह जो आप का खामी ब्लाक और हिम्मंतपुर ब्लाक है, वह हिस्सा अलग है इत्तफाक से उसका भी रक़बा ४,५०० एकड़ है। वह डीफारेस्ट किया गया है और उस पर कुछ लोग बस गये हैं और बाक़ी को बसाने की कोशिश है। उसमें हम ६०० किसान बसाना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा हुआ, माननीय गेंदा सिंह जी ने मेरा ध्यान उधर दिला दिया। वहां पर जहां कि हमने साढ़े चार हजार एकड़ को डीफारेस्ट किया है भूमिहीनों को बसाने के लिये, अब भूमिहीन यह कहते हैं कि पहले पानी का इंतजाम करो और मकान का इंतजाम करो और आबपाशी का इन्तजाम अलग पानी का और पीने के पानी का अलग और तीन चार चीजों के लिये उनके मतालबात हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, उनके मुतालबात को नाजायज नहीं कहता। लेकिन वह पूरे किन साधनों के जरिए से किये जायं। सारा सवाल तो यह है कि पहले तो केवल मांग यह थी कि जमीन दी जाय और एक साहब उनके लीडर हैं, दिल्ली में बैठे हुये हैं बराबर चिट्ठी लिखा करते हैं कि भूमि दी जाय, जब भूमि दी गई तो बजाय वहां

[श्री चरण सिंह]

आकर मेहनत करने के, दिन और रात परिश्रम करने के झोपड़ियों में रह कर उन पर खेती करने के, अब यह मतालबे होने लगे कि पहले ऐसा कर दिया जाय तब हम वहां जायंगे। आखिर इस सूबे के और भी किसान हैं, ७० फीसदी ऐसे किसान हैं जिनके यहां आबपाशी का आज कोई इन्तजाम नहीं है। तो अब वह इस कोशिश में हैं कि हम तो तब जायंगे जब ट्यूबवेल और लग जायगा, नालियां बन जायंगी, भवन बन जायंगे तब हम जायंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—ट्रैक्टराइजेशन का.....

श्री चरण सिंह—मैं यील्ड करने को तैयार नहीं हूं। ट्रैक्टराइजेशन वह अपने भुजाबल से कर सकते हैं। हमारे बाप दादों ने जब जंगल काट कर बसाये थे तो उस वक्त ट्रैक्टर नहीं थे। हम उनके मतालबात को ग़लत नहीं कहते हैं लेकिन सारा सवाल तो यह है कि ये सारी सहूलियतें आयें तो कहां से आयें। मतालबा करना बहुत आसान है, बहुत आसान है यह कह देना कि यह कर दिया जाय और वह कर दिया जाय मगर सारी मुश्किल तो यह है कि उसके लिये साधन कहां से आयेंगे। पहले केवल जमीन चाहते थे। जमीन नहीं थी। जमीन दी गई तो यह मांगें हुईं। खैर, उनका मतालबा भूदान समिति में पेश हुआ था और जहां तक हो सकेगा कुछ हद तक उनके मतालबे पूरे किये जायंगे लेकिन जो आप ने इंट्रप्शन किया उससे अब साबित यह हुआ कि भूमिहीनों को भूमि देने से ही बस नहीं हो जायगा, और भी साधन जुटाने पड़ेंगे आचार्य विनोबा भावे की जो सम्पत्ति दान आदि की शाखा है या और स्कीम्स हैं, उनके जरिये सोसाइटी दे बड़ी अच्छी बात है, मगर उसमें मुश्किल यह है कि गवर्नमेंट से यह आशा करना कि गवर्नमेंट यह कर दे, वह कर दे, यह जरा मुश्किल सी चीज हो जाती है। इस लिये नहीं कि इच्छा की कमी है, इरादे की कमी है, बल्कि साधनों की कमी है। मैं तो यह कह रहा था कि साढ़े चार हजार एकड़ डीफारेस्ट किया गया है और ४,४२६ एकड़ पर उनको बसाया जा चुका है। तो यह मैंने गवर्नमेंट की पालिसी जो है, उसका इरादा जो है, वह कहा है।

अब मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी यह चाहते हैं कि यह सदन दरख्वास्त करे केंद्रीय सरकार से कि बिना मुआविजे के जमीन दी जा सके ३० एकड़ से अधिक जिसके पास हो उससे ले कर। इस तरह का संशोधन संविधान में कर दिया जाय। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं जैसा माननीय अवधेश प्रताप सिंह ने बतलाया था, संविधान में संशोधन करने का यह तरीका नहीं है, यह प्रोसीजर नहीं है। वह प्रोसीजर कांस्टीट्यूशन में दिया हुआ है, उसको बरतना चाहिये। उस तरीके से, कांस्टीट्यूशनल दृष्टि से, यह एक अनटेनेबुल रिजोल्यूशन है, इमप्रापर रिजोल्यूशन है, लेकिन मैं इस टेक्निकल बात पर कोई स्टैंड नहीं लेना चाहता। मैं तो इस बात पर विचार करना चाहता हूं कि आया यह सिद्धांत की बिना मुआविजा के जायदाद या किसी का कोई हक़ ले लिया जाय, यह कहां तक उचित है? मुआविजा मुनासिब हो, माकूल हो, काबिल बरदाश्त हो, जितना पहले फायदा उठाया जा चुका है, उन सब बातों को दृष्टि में रख कर मुकर्रर किया जाय, किश्तों में दे दिया जाय, यह बात तो मेरी समझ में आती है। लेकिन यह कि बिना मुआविजा दिये लोगों का हक़ ले लिया जाय यह बात मुझको मुनासिब नहीं लगती। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अर्ज किया मैं कोई बड़े-बड़े खातेदारों का दोस्त नहीं इस नाते कि वह खाते बड़े बने और पनपें, लेकिन मैं इस बात को देश के हित में नहीं मानता कि क्योंकि केवल बड़े हैं, तो उनका हक़ बिना मुआविजे ले लिया जाय। आज तीस एकड़ से ज्यादा वाले को बड़ा माना जाता है। तीस एकड़ क्यों? मैं कोई सीक्रेट नहीं खोलता अगर यह कहूं कि मैं चाहता था कि २५ एकड़ हो। खैर ३० एकड़ हुआ। जब तीस एकड़ हुआ, तो पचीस से भी बड़ा-बड़ा माना जा सकता है, बीस एकड़ से बड़ा-बड़ा क्यों नहीं और साढ़े १२ एकड़ से बड़ा-बड़ा क्यों नहीं? बड़ा कहते किसको हैं? बड़े के मानी क्या हैं? यह सब चीज तो अपेक्षा से है। मेरी, आप की निगाह में तीन एकड़ बड़ा हो, दूसरे की निगाह में २० एकड़ बड़ा हो, आज जब हम तीस एकड़ को बड़ा कर देंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि तीस एकड़ पर

'बस' नहीं होने वाली है। एक साल में बीस एकड़ पर, दस एकड़ पर आप आयेंगे। माननीय शिवनारायण जी ने संकेत किया था कि यह सीमा रहेगी नहीं। इसके लिये मैं माननीय गेंदा सिंह जी का ८ अगस्त, के "जनता" के अंक में श्री प्रेमभसीन जी का यूगोस्लेविया के सिलसिले में जो लेख निकला है उसकी तरफ उनका ध्यान दिलाता हूं। उस लेख में यह है कि अभी कुछ दिन हुए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने तीस हैक्टर से ज्यादा रकबे की जमीन ले ली। और १९५३ में १० हैक्टर से ज्यादा वाली जमीनें ले लीं। वह सिलसिला जब जारी होगा तो रुकेगा नहीं। क्योंकि इसमें कोई ऐबसोल्युट प्रिंसिपिल नहीं है। प्रेमभसीन साहब ने जो क्लेक्टिव फार्मिग और कोआपरेटिव फार्मिग के बारे में लिखा है उससे मैं बिलकुल सहमत हूं।

(इस समय ४ बज कर ३ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता, श्री बेचन राम गुप्त पीठासीन हुये।)

यह तो रही भूमि की बात। अगर भूमि की यह बात है तो और जायदाद के मुताल्लिक़ क्यों न किया जाय। मेरे पास १५ बीघे हैं और गेंदा सिंह जी के पास ३७ हैं, तो १५ और ३७, ५२ के आधे २६, २६ क्यों न कर दिये जायं। फिर यही नहीं कि उनकी तादाद ले ली जाय, फिर यह देखना होगा कि मेरे पास कितनी औलाद हैं और श्री गेंदा सिंह जी के पास कितनी है। तो फिर जमीन पर ही क्यों रहें। गैर जरिये जायदाद पर भी क्यों न किया जाय ? भूमि तक और सम्पत्ति तक यह बात रहती तो कोई आशंका नहीं थी लेकिन मुझे डर है कि जो और स्वत्व हैं उन पर भी चोट आयेगी। अगर राइट टु प्रापर्टी कोई राइट ही नहीं है और हम लोग अपने व्हिम से, अपनी फेन्सी से किसी को बिना मुआविजा दिये हुये उसकी प्रापर्टी ले सकते हैं मुआविजा कितना दें कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दें यह दूसरी बात है लेकिन यह लेजिस्लेचर बिना मुआविजा दिये हुये किसी का अधिकार ले ले तो अधिष्ठाता महोदय यह चीज देश के लिये हित कर न होगी बल्कि बड़ी भयावह स्थिति होगी। लोगों के मनों से एक फीलिंग आफ सेक्योरिटी और सर्टेनिटी उठ जायगी। लोगों को यकीन न होगा कि जो आज चीज हमारी है वह परसों हमारी रहेगी या नहीं। इस फैक्टरी के लिये कोशिश करें या न करें, खेत में मेहनत करें या न करें। अगर यह फीलिंग हो जायगी अधिष्ठाता महोदय, तो फिर टोटेलियरिज्म हो जायगी। आदमी को फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन और ऐसोसियेशन की पावर है। इन अधिकारों की रक्षा कांस्टीट्यूशन करता है। स्पेशल पावर्स ऐक्ट ही की बात थी। उसमें कुछ मतभेद था। कांस्टीट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स दिये हुये हैं उसी के बेसिस पर सब आर्ग्युमेंट्स थे। हाई कोर्ट में एक बात गई और वहां जो तै हुआ गवर्नमेंट ने उसके आगे सर झुकाया और झुकाना चाहिये क्योंकि कांस्टीट्यूशन हरएक के ऊपर अख्तियार रखता है। राइट्स उसमें दिये हुये हैं और उन फंडामेंटल राइट्स में एक राइट है "टु होल्ड प्रापर्टी"। फिर प्रोसेस का कोई एंड नहीं होगा। प्रापर्टी का राइट कितना ही कन बना दिया जाय उससे फिर कम न होगा, वहीं कहीं फुलस्टाप हो जाय तो ज्यादा नुक्सान न होगा, ज्यादा नुक्सान तब होगा जब फुलस्टाप न होगा। जो लोग पावर में हैं उनके व्हिम और फेंसी पर वे आश्रित रहेंगे तो डिक्टेटरशिप की बुनियाद पड़ेगी और अधिष्ठाता महोदय, डिक्टेटरशिप की बुनियाद पड़ना ऐसी ही बात है जैसे काली घटा का छा जाना और वह देश के लिये भयावह स्थिति होगी। तो अधिष्ठाता महोदय, मैंने गवर्नमेंट का जो रुख था जो-जो हमारे विचार हैं इस सिलसिले में उनको मैंने बयान किया। अभी आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने २५ जुलाई को एक प्रस्ताव पास किया और उस प्रस्ताव से हमारी स्थिति में कोई अन्तर नहीं आता। वर्किंग कमेटी भी इसी तरह एक प्रस्ताव पास कर चुकी है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस कमेटी पहले से ही सीलिंग रख चुकी है और उनके यहां बिल भी आ चुका है। उसमें स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया। जहां तक उसूल का सवाल है जिसकी तरफ ए० आई० सी० सी० ने इशारा किया मुझे इंकार नहीं लेकिन जो स्थिति हमारे सूबे की है उसको देखते हुये जो प्रस्ताव श्री गेंदा सिंह जी का प्रस्तुत है

[श्री चरण सिंह]

एक तो भूमि वितरण वह चीज जो बिलकुल अलग रही उससे सिद्धान्त से मैं सहमत हूं कि बड़ी होल्डिंग्स देश के हित में नहीं हैं लेकिन बिना मुआविजे वे ले ली जायं उसका मैं सर्वथा विरोधी हूं और उसको मैं देश के लिये अहितकर चीज मानता हूं।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन इस संकल्प में यहां पर प्रस्तुत करता हूं कि संकल्प की पंक्ति ४ के शब्द "किसी" तथा शब्द "के" के बीच से शब्द "परिवार" हटा कर उसके स्थान पर शब्द "व्यक्ति" रख दिया जाय, पंक्ति ५ के अन्तिम शब्द "परिवारों" के स्थान पर शब्द "व्यक्तियों" रख दिया जाय, पंक्ति ६ में शब्द "भूमि" तथा शब्द "प्रतिकर" के बीच में से शब्द "बिना" हटा दिया जाय और उसी पंक्ति में शब्द "प्रतिकर" तथा शब्द "अर्जित" के बीच में शब्द "सहित" रख दिया जाय।

श्रीमान् जी, मेरे अपने इस संशोधन को पेश करने से मेरा यह अभिप्राय है कि जो भूमि के बटवारे की बात है, यद्यपि अभी माननीय राजस्व मंत्री ने जो भाषण दिया उसको सुन कर इतना स्पष्ट है और अधिक इस पर विवाद की आवश्यकता नहीं है, किन्तु मैंने श्री गेंदा सिंह जी से पूछा कि वह इसको वापस लेंगे या इस पर अड़े रहेंगे तो ऐसा जानकर मने यह उचित समझा कि यहां पर जो यह संकल्प है उसमें अपने संशोधन को पेश करूं और इसलिये मैंने उसकी आवश्यकता समझी। श्रीमन्, मैं सदा इस बात का ध्यान रखता हूं कि यहां पर जो भी बात मैं कहूं या यथार्थ और ठीक हो उसको मानना या न मानना माननीय सदस्यों का काम है। मैंने इस समय जो इसकी आवश्यकता समझी वह इसलिये समझी कि एक परिवार के लिये जो भूमि के बटवारे की बात कहीं गयी है वह परिवार कितने आदमियों का हो। किसी ने कहा कि ५ आदमियों का परिवार होना चाहिये लेकिन यह कैसे हो सकता है जब तक परमात्मा की ओर से यह तय न हो जाय कि इतने बच्चे होंगे। अब यदि किसी परिवार में बहुत से बच्चे हो गये और ५ से अधिक हो गये तो फिर उसका काम कैसे चलेगा? किसी मनुष्य के ७, ८ लड़के भी हो सकते हैं तो क्या जो अधिक होंगे वह परिवार से बाहर माने जायंगे अथवा उनके लिये क्या होगा यह कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। अथवा परिस्थितिवश किसी ने और विवाह कर लिया तो उससे भी बच्चे हो सकते हैं और क्या वह उस परिवार में नहीं माने जांयगे? इस प्रकार से ३० एकड़ भूमि उनके लिये निर्धारित करना कोई लाभदायक सिद्ध नहीं होगा और यह एक चिन्ता की बात हो जायगी और इससे बहुत से प्रश्न उत्पन्न हो जायेंगे। इसलिये जहां तक इस परिवार शब्द का संबंध है इसके सम्बन्ध में मैंने पहले भी भाषण सुने थे और आज भी बड़े ध्यान से माननीय सदस्यों के भाषण सुनता रहा लेकिन यह समझ में नहीं आया कि एक परिवार कितने आदमियों का माना जाय और अगर वह उस नियत संख्या से आगे बढ़ जायंगे तो फिर उनके लिये प्रतिबन्ध लगाया जायगा और अगर अधिक संतान पैदा हो फिर उसके लिये किस प्रकार से प्रबन्ध होगा जब तक इसके ऊपर निर्णय न हो जाय तब तक परिवार शब्द के लिये प्रश्न उठाना कोई हितकर नहीं होगा। जमीदारी अबालिशन ऐक्ट में यह बतलाया गया है कि एक आदमी को ३० एकड़ से अधिक भूमि नहीं मिल सकती। इस प्रकार की बात ३० एकड़ की उसमें आयी तो उसके आधार पर यह कहा जाता है कि ३० एकड़ कृषि आयकर में उचित है और भी कई जगह ३० एकड़ की बात आयी है तो उसके लिये यह कहा जाता है कि पूरे परिवार के लिये ३० एकड़ भूमि का प्रतिबन्ध लगा दिया जाय। यह इस प्रकार की बात है जिसको मैं समझ नहीं सका हूं। इसीलिये इस संशोधन को यहां पर मुझे रखने की आवश्यकता पड़ी।

मेरे संशोधन का दूसरा भाग प्रतिकर के सम्बन्ध में रखता है। प्रतिकर के लिये मैं ऐसा समझता हूं कि किसी को भी कोई वस्तु यदि ली जाय तो उसके लिये कुछ न कुछ दिया जाना आवश्यक है। ऐसी दशा में किसी की भूमि का प्रतिकर मिलना उचित ही है। मैं इसके ऊपर अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि अभी इस विषय पर माननीय राजस्व मंत्री का बहुत सुन्दर भाषण हुआ और उन्होंने बहुत विस्तार के साथ इसके ऊपर कह दिया है जिससे

अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो भाषण हुये उनमें दो एक में एक बात सुन कर मुझे बड़ी चिन्ता हुई। यह कहा गया १४ मई को भी और आज भी, कि अगर बटवारा नहीं किया जाता तो वह हो कर रहेगा, लोग कर लेंगे। मैं अपने उन माननीय साथियों का बड़ा आदर करता हूं किन्तु साथ ही साथ इस प्रकार की बातों से मुझे आशंका होती है कि उत्तेजना बढ़ेगी। ऐसी बातों से कि ऐसा तो कर ही लिया जायगा चाहे कोई कानून हो या न हो, इससे अराजकता बढ़ेगी और कोई भी शासन सफल नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कि वर्तमान शासन सत्ता ने अंग्रेजी शासन काल में बहुत सी ऐसी बातें की थीं और लोगों को तैयार किया जिससे विदेशी यहां से निकल जायं। आज जब वह चले गये तो मौजूदा शासन वालों के लिये दूसरे लोग भी ऐसी बातें कहते हैं। मुझे एक कहानी याद आ गयी। एक गडरिया था, उसने कहीं क़त्ल कर दिया। वह वकील के पास गया। वकील ने उसे तरकीब बताई कि तुमसे जब अदालत में कोई भी कुछ पूछे या कहे तो तुम 'म्यां' कह देना। उसने ऐसा ही किया और पागल समझ कर वह छोड़ दिया गया। जब वकील साहब ने उससे अपनी फीस और शुक्राना मांगा तब भी उसने 'म्यां' कर दिया, यह सोच कर कि जब क़त्ल में म्यां' से बच सकते हैं तो फ़ीस और शुक्राने से भी बच सकेंगे। तो इसलिये यह कहना कि भूमि का बटवारा हो कर रहेगा चाहे कुछ भी हो, इससे मुझे अराजकता की आशंका होती है जिसका परिणाम भंयकर होगा। और बहुत सी बुराइयां भी उत्पन्न हो सकती हैं। जैसा राजस्व मंत्री जी ने बतलाया वास्तव में खेती ही से सब काम नहीं हो सकते और न प्रत्येक व्यक्ति खेती कर सकता है। साधनों की आवश्यकता होती है। खेती की सरल रीति से लोगों को अवगत कराया जाय, पशुओं की रक्षा हो। बटवारे में यह भी आशंका है कि भूमि का लोग प्रबन्ध न कर सकेंगे। इससे हमारी खेती खत्म हो जायगी। इसके आगे भी एक बड़ा अच्छा संकल्प है, मैं चाहता हूं कि यह भी आजाय, इसलिये मैं अधिक समय नहीं लूंगा। किन्तु इस संकल्प में मेरा संशोधन आवश्यक है। अन्यथा भूमि का बंटवारा कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिये इस संकल्प की भी आवश्यकता हो। बहुत से साथी मुझे नहीं पहचानते और कह देते हैं कि यह तो ज़मींदार हैं। मगर मैं निवेदन करता हूं कि जो मुझे अच्छा लगा, जो मेरी अन्तरात्मा की पुकार हुई, वह मैंने कह दी और इसमें किसी व्यक्ति को संकोच नहीं होना चाहिये। कहा है कि "सुलभाः पुरूषा राजन्, सततं प्रिय वादिनः। अप्रियस्य च पथ्यस्य, वक्ताश्रोता च दुर्लभाः।" सच्ची बात कहनी चाहिये। मीठी बात कहने वाले तो बहुत मिल जाते हैं। परन्तु हित करने वाली भी बात तो होनी चाहिये। ऐसा कहने वाले और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं उनकी अधिक आवश्यकता होती है। इसलिये जो कुछ भी जान पड़े उसे निवेदन करना चाहिये। और मुझे भी अधिकार है कि मैं निष्पक्षरूप से निवेदन कर दूं।

इसलिये अगर यह प्रस्ताव रहता है तो उसमें परिवार के स्थान पर व्यक्ति होना चाहिये तथा मुआविजे के लिये होना चाहिये कि जमीन जो ली जाय वह प्रतिकर सहित अर्जित करके ली जाय। श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को रखता हुआ माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे इस विषय में शीघ्र निर्णय कर लें जिससे दूसरा प्रस्ताव भी यहां प्रस्तुत हो सके।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अधिष्ठाता महोदय, क्योंकि माननीय राजस्व मंत्री ने बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठा दिया है इसलिये इस पर विवाद जारी रक्खा जाय। माननीय राजस्व मंत्री ने सवा घंटे तक अपना भाषण जारी रक्खा।

अधिष्ठाता--सवा घंटा तो नहीं, हां एक घंटे से कुछ ज्यादा समय लिया था।

श्री राजनारायण--उन्होंने इतना ज्यादा समय लिया लेकिन माननीय गेंदा सिंह जी को उसका जवाब देने के लिये केवल १०,१५ मिनट ही मिलेंगे। इसके अतिरिक्त माननीय तिवारी जी के पास भी कुछ आंकड़े मौजूद हैं उसी सिलसिले में जिसमें कि माननीय राजस्व मंत्री ने आंकड़े दिये थे। एक बात और है। माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो बातें मैंने कही थीं उनका भी जवाब नहीं दिया।

श्री चरण सिंह--माननीय राजनारायण जी से बहस करना बड़ा मुश्किल होता है। उन्होंने कहा था कि हम आंकड़े दे देंगे, लेकिन वे नहीं दिये। लंच तक भी वे आंकड़े मेरे पास नहीं आये। जब मेरी तकरीर खत्म होने वाली थी तब आंकड़े आये। तकरीर खत्म होने के बाद मैंने पूछा कि क्या है तो मालूम हुआ कि उनके आंकड़े हैं। फिर वे कैसे कहते हैं कि मैंने उनका जवाब नहीं दिया जब कि उन्होंने मेरे पास आंकड़े ही न भेजे। मैं अब भी वे चाहें तो जवाब देने को तैयार हूं।

(इस अवसर पर अधिष्ठाता ने श्री गेंदा सिंह का नाम पुकारा और श्री नारायण दत्त तिवारी भी खड़े हो गये।)

अधिष्ठाता (श्री नारायण तिवारी से) आप बोलने के लिये खड़े नहीं हुए थे इसलिये मैंने माननीय गेंदा सिंह जी का नाम पुकार दिया। अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको समय मैं दिये देता हूं।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--मुझे इस पर विरोध है। अगर किसी को बोलना था तो पहले से खड़ा होना चाहिये था। जो समय पर खड़ा होता है उसी को बोलने का अधिकार होता है। दूसरा संकल्प भी हम लोगों के सामने है वह भी आज आ जाना चाहिये। अगर आप समय देना ही चाहते हैं तो असेम्बली का समय बढ़ा कर दें, ऐसा न हो कि इसी संकल्प में सारा समय खत्म हो जाय।

अधिष्ठाता--मैं तिवारी जी को नियत समय ही दूंगा।

*__श्री नारायणदत्त तिवारी__--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से बहुत ही संक्षेप में माननीय राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत विवाद में जो योग दिया गया है, उसके विषय में निवेदन करूंगा। यह स्पष्ट है कि मैं माननीय गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव तथा उसमें प्रस्तुत माननीय राजनारायण जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमान् जी, माननीय राजस्व मंत्री ने अपने सवा घंटे के विद्वतापूर्ण भाषण में भूमि वितरण के सिद्धांत को मानते हुए भी यह समझाया कि वे उसको व्यावहारिक क्यों नहीं समझते। मैंने उनके भाषण को सुना, और उसके सुनते समय मेरे पास सेंसस रिपोर्ट भी मौजूद थी। मैं उनके भाषण को सेंसेस रिपोर्ट की समरी समझता हूं। उन्होंने वही नतीजा निकाला है जो कि सेंसेस रिपोर्ट ने निकाला है तथा जो आंकड़े सेंसेस रिपोर्ट में छपे हुए हैं वही आंकड़े उन्होंने हमारे सामने रखने की कोशिश की है। लेकिन क्या माननीय राजस्वमंत्री जी उन सभी आंकड़ों को भूल गये हैं। श्रीमन्, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि जहां एक ओर माननीय राजस्व मंत्री जी यह मानते हैं कि वे आचार्य बिनोबा जी के भूदान आंदोलन तथा "सबही भूमि गोपाल की" इससे सिद्धांत के रूप में सहमत हैं और यह भी समझते हैं कि बिनोबा जी के अनुसार भूमि के बटवारे की समस्या भारत की सबसे बड़ी समस्या है वहां दूसरी ओर वे आंकड़ों के जाल में सबको भुलवाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भूमिके बटवारे की समस्या है ही नहीं। मैं उन माननीय चरण सिंह जी से यह सुनना चाहता था जिन्होंने लैंड रिफार्म्स कमेटी की मीटिंग में लगातार इकनामिक और अनइकनामिक होल्डिंग की बात सामने रखी थी, क्या वे अपनी पुरानी विचारधारा को भूल गये हैं जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि सवा ६ एकड़ लाभकर जोत यू०पी० के किसानों की है और डाक्टर स्टेनली ने २६-३० एकड़ लाभकर जोत बतलाया है, यू० पी० कांग्रेस कमेटी ने सन् ३५ की रिपोर्ट में १५-२० एकड़ लाभकर जोत बतलाया है और जमींदारी एबालिशन द्वारा १० एकड़ लाभकर जोत बतलाया गया है लेकिन माननीय चरण सिंहजी ने सब रिपोर्ट का विरोध अकेले अपना स्टैण्ड लिया और सवा ६ एकड़ को लाभकर जोत माना। अलाभकर जोत का अर्थ क्या होता है? माननीय चरण सिंह का कहना है कि हमें जापान की नकल करनी चाहिये और उसी के अनुसार अपनी समस्या को हल करना चाहिये। लेकिन आज प्रश्न यह है कि जहां हम अलाभकर जोत की पैदवार बढ़ाते की बात करते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं वहां प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर अलाभकर जोत की व्यवस्था क्या हो ? क्या इस बात की आवश्यकता नहीं है जहां तक हो सके शांतिपूर्ण तरीके से लोगों के अन्दर इस प्रकार का सामंजस्य पैदा करें जिससे अलाभकर जोत कहे जाने वाले सहयोगी खेती के जरिये एक नये समाज का ढांचा खड़ा हो ? माननीय मंत्री जी ने एक डिपार्टमेंटल एक्सपर्ट के दृष्टिकोण से खेती की समस्या को हमारे सामने रखा। उन्होंने योजना के दृष्टिकोण से या ऐग्रेरियन क्वेशचन के दृष्टिकोण से इसको हमारे सामने नहीं रखा। अगर माननीय चरण सिंह जी को मजदूरों के अन्दर रेशनालाइजेशन की बात मालूम होती, अगर उनको रिट्रेंचमेंट की कहानी मालूम होती, और देश में बढ़ती हुयी बेकारी की कहानी मालूम होती तो वे इस तरह की बात हमारे सामने नहीं रखते कि आज ज्यादा इंडस्ट्रीज खोले जाने की आवश्यकता है। क्या आप समझते हैं कि हमारे इस विरोधी दल के लोग इंडस्ट्रीज खोले जाने के बारे में और बेकारी दूर किये जाने के बारे में कम जोर देते हैं अगर माननीय चरण सिंह जी को आज तक नहीं मालूम हुआ कि हमारी पार्टी का क्या कार्यक्रम है तो मैं समझता हूं कि यह उनकी बड़ी भारी भूल है। समय-समय पर विरोधी दल की ओर से जो कार्यक्रम किये गये हैं, और जो नारे लगाये गये हैं उनके बाद भी क्या माननीय चरण सिंह नहीं जानते कि विरोधी दल क्या चाहता है ? अगर माननीय चरण सिंह पंच-वर्षीय योजना के बावजूद जो कारखाने में बेकारी बढ़ रही है उसके बावजूद और स्वयं डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी के आंकड़े के बावजूद कि पिछले ४ साल के अन्दर आधे से ज्यादा मजदूरों की छटनी हो गयी है, जो सेंसेस रिपोर्ट है उससे भी मालूम होता है कि पिछले ३० साल के अन्दर रूरल एरिया से जो अरबन एरिया में माइग्रेशन हो रहा था वह रुक करके मैं जानता हूं कि बहुतों को शहर से देहातों में वापस जाना पड़ा है क्योंकि वहां पर उनको रोजी नहीं मिल सकी। तो उत्तर प्रदेश की वास्तविक परिस्थिति को सामने रखते हुए, देहाती जनता की बढ़ती हुयी आबादी को ध्यान में रखते हुए और कांग्रेस ऐग्रेरियन कमेटी की रिपोर्ट को सामने रखते हुए और माननीय राजनारायण जी के संशोधन को माननीय चरण सिंह जी को अधिकार स्वीकार कर लेना चाहिये था। मैं परिच्छेद १२ की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जहां कि उन्होंने आंकड़े दिये वहीं स्पष्ट लिखा हुआ है कि यूनिट आफ कलटिवेशन क्या होना चाहिये और कितनी मैक्जिमम होल्डिंग होनी चाहिये। उसमें लिखा है कि--

"A family holding may be defined briefly as being equivalent, according to the local conditions and under the existing conditions of technique, either to aplough unit or to a work unit for a family of average size working with such assistance as is customary in agricultural operations. Another possible method on indicating a limit may be to propose an average level of money income which the permissible holding may be expected to yield. The limit which may be appropriate has to be determined by each State in the light of its own circumstances but, broadly speaking, following the recommendations of the Congress Agrarian Reforms Committee, about three times the family holding would appear to be a fair limit."

मैं आप के द्वारा माननीय चरण सिंह जी का ध्यान इसकी तरफ दिलाना चाहता हूं।

श्री चरण सिंह--मैं चाहता हूं कि आप मुझसे मुहब्बत कम कर दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--आप से तो मुहब्बत सारा सदन करता है मैं ही क्या। मुहब्बत की कमी नहीं है प्रोग्राम की कमी है।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि स्वयं कांग्रेस ऐग्रेरियन रिफार्म्स कमेटी की रिपोर्ट में सिद्धांत को माना गया है जिस को मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या माननीय मंत्री जी सारे पिछले इतिहास को भुलाना चाहते हैं ? वह तो किसी भी सिद्धांत को व्यवहार में लाना ही नहीं चाहते हैं। हम तो उन को बार-बार याद दिलाते रहेंगे। विरोधी दल तो अपने कर्तव्य से चूकेगा नहीं।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

अगर उन्होंने अपनी योग्यता से अपने राजस्व मंत्रित्व काल में आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिये और एक सामंजस्य की भावना लाने के लिये उन्होंने कुछ नहीं किया और कोई रूप नहीं दिया तो इससे उनको भले ही खुशी हो। उनका कहना है कि जमीन कहां से लावें। जैसे कि यह भी कोई बड़ा भारी मुल्क रूस और अमरीका जैसा है जहां करोड़ों एकड़ जमीन न हो तो उसका बटवारा नहीं हो सकता। अगर उनको बटवारे के शब्द से ही घबराहट है तो वह उस को एडजस्टमेंट कह लें उसको सामंजस्य कह लें। अगर केवल लिप सिम्पेथी है तो बात दूसरी है वर्ना वह भूमि का सामंजस्य कह लें वितरण न कहें। मैं इस विषय में खुद जमींदारी अबालिशन कमेटी के आंकड़े आप के सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर हम देखें तो मालूम होगा कि ५ एकड़ या उस से कम की जो होल्डिंग इस प्रदेश में हैं वह १ करोड़ २२ लाख ७८ हजार हैं और उनमें से १ करोड़ ६० लाख २४ हजार एकड़ जमीन में ९९ लाख २३ हजार ऐसे हैं जो पांच एकड़ से कम हैं। अगर यह देखते हुए संशोधन को मान लिया जाय तो २३ लाख होल्डिंग को २ करोड़ ५३ लाख जमीन का उपयोग हो सकता है और वह एडजस्टमेंट में आ सकती है और यह सब लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा या कानून के द्वारा हो सकता है। वह मालूम होता है कि माननीय राज नारायण सिंह जी के आंकड़ों से घबड़ा गये। अगर वह जमींदारी अबालिशन ऐक्ट को या उसकी रिपोर्ट को देखें और प्लानिंग कमेटी की रिपोर्ट जो इस प्रदेश की है उसको देखें तो उसके अनुसार भी ९० लाख एकड़ जमीन खेती के लायक है। २८ लाख एकड़ जंगल छोड़ दिया गया और ८२ लाख एकड़ पहाड़, नाला, नदी छोड़ दिया गया। अगर इस ३ या साढ़े ३ करोड़ एकड़ जमीन को सामंजस्य के ही नाम से सही अगर बांटा जाय या सहयोगी होल्डिंग ही बनायी जाय, गांव समाज के द्वारा ही अगर यह किया जाय तो हम सब से बड़ा काम यह कर सकेंगे कि इस तरह से काम यहा खेतिहर अर्थतंत्र से उत्पादकता बढ़ा सकेंगे।

ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है, माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार संसार में सब से बड़ा खेतिहर प्रदेश है सबसे अधिक ऐसा प्रदेश है जहां की जनता खेती पर निर्भर करती है। लेकिन मैं निवेदन करूं कि यूरागुये ऐसा देश है जहां उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा लोग खेती पर निर्भर करते हैं। रूमानिया, उत्तर प्रदेश और यूरागुये ऐसे स्थान है जहां सबसे अधिक खेतिहर अर्थतंत्र पर लोग निर्भर करते हैं लेकिन यह बात सही है कि जिस प्रकार से एक मुआहिदा साउथ ईस्टर्न यूरोप, बल्गारिया, रूमानिया, यूगोस्लेविया और ग्रीस इन तमाम को जमीन का रिऐडजस्टमेंट करना पड़ा, जिस प्रकार चीन को दोबारा ऐडजस्टमेंट करना, जापान को दोबारा ऐडजस्टमेंट करना पड़ा इसी प्रकार यह ऐतिहासिक आर्थिक सामाजिक आवश्यकता है कि भारत में और उत्तर प्रदेश में भी आपको जमीन का दोबारा सामन्जस्य करना पड़ेगा।

श्री गेंदा सिंह---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जहां तक माननीय राजस्व मंत्री को समझने की कोशिश करता हूं उनको कुछ ऐसी चिन्ताओं में घिरे हुये देखता हूं जिससे मैं समझता हूं कि उनको उस चिन्ता से मुक्त करना चाहिये। मुझे उनकी सिन्सियारिटी में, उनके गरीबों की सेवा करने की प्रवृत्ति में मुझे कोई शुबहा नहीं है, लेकिन आज मुझे यह जरूर मालूम हुआ कि कहीं न कहीं ऐसी भ्रांति उनके दिमाग में है कि जिस भ्रांति का दूर करना उनके मित्रों का धर्म होता है और मैं समझता हूं कि वह भ्रांति और किसी प्रकार से दूर हो सके तो वह न सिर्फ उत्तर प्रदेश के किसानों की और शहरों में बसने वाले पढ़े लिखे लोगों की सेवा कर सकेंगे, बल्कि सारे भारतवर्ष के उस नक़्शे को बनाने में सफल होंगे जिस नक़्शे की कल्पना करके आज हम सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते हैं। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि यह उत्पत्ति और साधन जो खुदाई देन है इस उत्पत्ति और साधन में जो लोग भी कमा सकें, पैदा कर सकें उनका अधिकार होना चाहिये। मैंने जहां तक उनको सुना है उन्होंने कहीं इस बात से इंकार नहीं किया है लेकिन मालूम नहीं यह बात कहां से आ गई और उसने उनको जबरदस्ती पकड़ लिया कि अपने मुल्क में, अपने सूबे में जमीन के बंटने से कोई समस्या हल नहीं होगी। यह जरूर उन्होंने कहा कि जमीन बटने से समस्या हल नहीं होने वाली है और उसी के साथ-साथ एक डर भी उन्होंने बतलाया कि

अगर हम अपने सूबे की सारी आबादी को खेतिहर बना देंगे तो वह दरिद्रता का शिकार हो जायेगा। मैं भी यह मानता हूं कि कोई भी जो आज के जमाने में सारे संसार के नक़शे को एक बार देखेगा तो मुझसे इस बात को मान लेना पड़ेगा कि जहां कहीं भी जो मुल्क खेती पर अपने को ज्यादा निर्भर करता है वह दरिद्रता के रोग में फंसा है बल्कि ऐसी जगह से मैं आता हूं जो इस सूबे में सबसे अधिक दरिद्रता में फंसा हुआ है। उसकी प्रतिक्रिया हमारे माथे में होती है और वह हमारे मुंह से निकालते हैं लेकिन आखिर इसका इलाज क्या है इलाज तो होना चाहिये। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के लोग ज्यादातर उद्योग में जायं लेकिन अगर किसी उद्योग में जायं तो उद्योग में जाने के लिये फिर अरबों की पूंजी की जरूरत है। आज हमारे सूबे में १८ या २० करोड़ रुपये की पूंजी से ६० या ६५ शुगर फैक्टिरियां काम कर रही हैं। १८ या २० करोड़ रुपये की पूंजी से जो फैक्ट्रियां काम कर रही हैं उनमें कितने मजदूर, कितने लोग आज काम कर रहे हैं और अगर उसी अनुपात से माननीय राजस्व मंत्री हिसाब लगायें या कानपुर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ही ले लें और उसी अनुपात से हिसाब लगायें तो मैं समझता हूं कि अरबों रुपया खर्च करके भी वह शायद इस खेतिहर वर्ग को काम दिलाने में सफल हो पायेंगे इसमें मुझे संदेह है। तो फिर वह पूंजी कहां से आयेगी? इस पूंजी के लिये उन्हें रास्ता खोजना पड़ेगा या नहीं? अगर वह पूंजी नहीं आ सकती तो फिर हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह अपने मुल्क के लोगों को अगर एक टुकड़ा रोटी ही मिल सकती है तो वह दिलायें। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को फिर से याद दिलाना चाहता हूं संभव है कि उनकी निगाह से ओझल हो गया हो कि, आज हमारे सूबे की जो खेत जोतने वाली जनसंख्या है उसमें कितनी श्रेणी के लोग हैं। आप जमींदारी उन्मूलन समिति की रिपोर्ट में ही देखेंगे कि हमारे सूबे में एक एकड़ से कम वाले ३७·८ प्रतिशत किसान हैं, उनकी तादाद ४६ लाख ३७ हजार ३ सौ २१ है। अगर हम इससे भी नीचे जाते हैं और आधे एकड़ वाले किसानों को लेते हैं तो उनकी तादाद २० लाख ४५ हजार है। इनके कब्जे में कुल ९ लाख २५ हजार एकड़ जमीन है। और फिर आधे और एक एकड़ के बीच में १९ लाख ९६ हजार किसान हैं जिनके कब्जे में १५ लाख ५५ हजार एकड़ जमीन है।

श्री चरण सिंह--अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। माननीय गेंदा सिंह जी जो आंकड़े पढ़ कर सुना रहे हैं वह खातों के आंकड़ें हैं और एक आदमी के पास कई-कई खाते भी होते हैं।

श्री गेंदा सिंह--मैं माननीय राजस्व मंत्री को इस जानकारी कराने के लिये बहुत धन्यवाद देता हूं लेकिन उन्होंने अपने बयान में उन परिवारों का जिक्र नहीं किया और मैं मान लेता हूं कि थोड़ी देर के लिये कि कुछ खाते कम हो जायेंगे लेकिन फिर भी जब उन्होंने कई बार और कई तरह से यह सिद्ध किया कि हमारे प्रदेश में ३ एकड़ से कम के खाते ६७ या ६८ फीसदी हैं और अगर यह ३ एकड़ से कम के खाते ६७ या ६८ फीसदी हैं तो कुछ परिवारों में घट बढ़ होकर यह मान लेना पड़ेगा कि हमारे सूबे के जो खाते हैं या परिवार के पास जो जमीन है वह अनार्थिक है। अधिष्ठाता, महोदय उनको केवल अनार्थिक कह देना यह अन्याय है। मैं तो यह कहता हूं कि जो माननीय राजस्व मंत्री जी ने यह संख्या बताई कि हमारे प्रदेश में केवल ५ प्रतिशत लोग भूमिहीन मजदूर हैं वह भी कुछ ठीक नहीं मालूम पड़ता। यह आधे एकड़ वाले और यह एक एकड़ वाले और मैं तो यह भी कहूं कि दो एकड़ से नीचे वाले मजदूरी करते हैं। उनको हम भूमिहीन कहें या न कहें लेकिन मजदूर जरूर कहेंगे। तो फिर मेरे कहने का मतलब यह था कि चाहे वह पुरानी हुकूमत को ले लें या अपनी इस कल्याणकारी हुकूमत को ले लें सब की तरफ से आवाज है कि साइज आफ होल्डिंग्ज जो है वह हमारे सूबे की बहुत छोटी है और इस साइज आफ होल्डिंग को किस तरह से इकोनोमिक होल्डिंग में बदलना चाहिये। तो मैं जानना चाहूंगा कि राजस्व मंत्री से अगर इस अनइकोनोमिक होल्डिंग को एकोनोमिक होल्डिंग की शक्ल में बदलना है तो इसके लिये कौन सा चारा है, कोई रास्ता नहीं बताते। उनकी इच्छा यही मालूम होती है कि अनइकोनोमिक होल्डिंग बनी रहे। इंडस्ट्री

[श्री गेंदासिंह]

की तरक्की हम देश में न करें। कानपुर जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर है हमारे सूबे का वहां रोज रिट्रेंचमेंट हो और वहां से लोग निकल कर गांव में बोझ बढ़ाते चले जायं। फिर मुझे अगर वह समझाने की मेहरबानी करते कि हमारे मुल्क में किस तरह से इन गांव वालों को उठाकर हम इंडस्ट्रियल सेंटर पर भेजें वह क्या काम करें, वह किस तरह से औद्योगिक केन्द्र में अपने को एडजेस्ट कर पायें, अगर यह रास्ता निकालें तो मैं सोचता हूं कि ऐसे लोगों में से न होता कि खामख्वाह आध एकड़ एक एकड़ में जितनी मुसीबत होती है काश्तकारों को अपनी जमीन जोतने में मैं उसी में उलझाये रहता, मैं नहीं चाहता लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि यह अनइकोनोमिक होल्डिंग जो हैं उनको किस तरह से माननीय राजस्व मंत्री इकोनोमिक होल्डिंग में बदलेंगे। क्या वह चाहते हैं कि आध एकड़ से भी कम रखने वाले किसान परिवार इतनी बड़ी लम्बी तादाद में जो हैं, उसको उसी आध एकड़ में लपटाये रहे। मगर जब वह चाहते हैं कि उसकी माली हालत दुरुस्त हो, वह कम से कम साल में खाने को तो हासिल कर सकें, दोनो वक्त खा सके तो फिर मैं समझता हूं कि जो उनकी राय है कि उसको इंडस्ट्रियल सेंटर में जाना होगा, उसके लिये कोई दूसरा तरीका नौकरी दिलाने का कराना होगा, यह मैं मानता हूं। और अगर सरकार ऐसा प्रबन्ध कर दे कि जो रोजी छोड़ कर गांव में जा रहा है उस आधे एकड़ को भी छुड़ाने के लिये अगर सरकार कानून बनाती है तो उसका ये कर्तव्य हो जाता है कि वह उसकी रोजी का बन्दोबस्त करे। जो गांव में जिस अवस्था में था उससे अच्छी हालत में रहने के लिये अगर बन्दोबस्त किया जा सके तो फिर मैं समझता हूं कि किसी भले आदमी को कोई एतराज नहीं हो सकता। और मैं कम से कम कहता हूं कि जो इस तरफ के बैठने वाले प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोग हैं उनको कोई आपत्ति नहीं होगी। फिर इस जमीन को लेना पड़ेगा। इस आधे एकड़ से कम वाली जमीन को लेना पड़ेगा और इसको लेकर आप चाहे जिसको दीजिये। अनइकोनोमिक होल्डिंग्स वाले को दीजिये, मैं इसको पसंद करूंगा और आप फिर उसको इकोनोमिक होल्डिंग्स बनाइये। अधिष्ठाता महोदय, राजस्व मंत्री जी ने इतने सवाल रखे हैं, इसलिये मेरे लिये ज्यादा समय रखा जाय।

अधिष्ठाता—मैं समय देने के लिये तैयार हूं लेकिन साथ ही दूसरा प्रस्ताव सदन के सामने नहीं आ सकता है।

श्री राजनारायण—अधिष्ठाता महोदय, इस संबंध में मुझे कुछ निवेदन करना है। जब आप नहीं थे उस समय तय हो चुका था जब कि राजस्व मंत्री जी ने यह कहा था कि हमें बोलने के लिये अधिक मौका दिया जाय और वह सवा घंटे बोले थे। उसी समय यह कहा था कि श्री गेंदा सिंह जी एक घंटा बोलें हमें कोई ऐतराज नहीं है।

अधिष्ठाता—माननीय गेंदा सिंह जी कैसे एक घंटा बोल सकते हैं जब तक कि सदन का समय न बढ़े।

श्री राजनारायण—अधिष्ठाता महोदय, यदि आप कहें तो मैं समय बढ़ाने के लिये प्रस्ताव रख दूं। अभी चलने दीजिये। जब एक आध मिनट रह जायगा तो समय बढ़ाने के लिये प्रस्ताव कर दिया जायगा।

श्री गेंदा सिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने प्रदेश की अनइकोनोमिक होल्डिंग्स के सिलसिले में राजस्व मंत्री जी का ध्यान दिला रहा था। मैं समझता हूं कि यह इतनी बड़ी समस्या है कि अनइकोनोमिक होल्डिंग्स इकानमिक होल्डिंग्स में बदला जाय, चकबन्दी या दूसरी योजनाओं से मुल्क के खेतिहर की तरक्की हम ला नहीं सकते हैं। गांव वालों की तरक्की को अगर लाना है तो लाभकर जोतों को लाभकर जोतों में बदलना है। इसके बदलने में इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई मामूली बात नहीं है जब राजस्व मंत्री उस बात को मानते नहीं है २५ एकड़ से ऊपर वाली जमीनों को ले लें, ३० एकड़ से ऊपर वाली जमीनों को ले लें, उनके आंकड़े में मान लेता हूं कि केवल २० लाख एकड़ जमीन मिल सकती है और ३० एकड़ से उनको भी मुहब्बत है और

हमें भी है। हम सोचते हैं कि इसकी सीलिंग रहे। लेकिन अगर इकोनोमिक होल्डिंग्स को बनाने के लिये कोई ऐसी योजना आये जिसमें ३० एकड़ से कम करने पर काम चल सकता हो तो हमें उसके मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये और मैं समझता हूं कि जो श्री राज नारायण जी का संशोधन है उसके भी करीब-करीब वही अर्थ हैं कि हम इससे नीचे उतरना चाहते हैं लेकिन ३० एकड़ हम नहीं रखना चाहते हैं। अगर राजस्व मंत्री सुलह करने के लिये तैयार हैं तो मेहरबानी करके ३० एकड़ वाली बात से नीचे उतरें और मुल्क की समस्या हल हो सकती है। इस पर विचार किया जाय कि कम किया जा सकता है और मैं समझता हूं कि भले ही यह बात हो कि एक धारणा जो है कि १० एकड़ के खाते इकोनोमिक हो सकते हैं। यह स्वप्न हमारा अवश्य पूरा न हो लेकिन संभव है कि जो राजस्व मंत्री जी की धारणा है कि वह सवा छ एकड़ वाले खाते इकोनोमिक है, उनका स्वप्न पूरा हो, भले ही हमारा स्वप्न पूरा न हो। अगर उनका स्वप्न पूरा हो जाय, उनकी कल्पना पूरी हो जाय और सवा छै एकड़ के खाते सूबे में हो जायं, इससे नीचे के न हों तो बड़ी खुशी होगी।

अब रही बात यह कि जमीन कहां से आये जमीन के लिये मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैंने अभी कहा कि ३० एकड़ वाली यह चीज हम नहीं करेंगे, बल्कि सरकार को इस नतीजे पर पहुंचना चाहिये कि क्या सारी अलाभकर जो जोत हैं उनको लाभकर बनाने की चेष्टा करने को सरकार तैयार है, अगर तैयार हैं तो हम भी अपनी ३० एकड़ वाली बात से उतर कर नीचे की बात सोचें। लेकिन अगर वह तैयार नहीं है तो चाहें मूथम इंक्वायरी, १९३६ की रिपोर्ट, चाहे कांग्रेस की अग्रेरियन कमेटी की रिपोर्ट को लेलें, जिसके सदस्य हमारे माननीय मंत्रियों में से कई थे। पंत जी भी थे, सम्पूर्णानन्द जी भी थे और पुरुषोत्तमदास टंडन जी भी थे और दूसरे महानुभाव भी थे और उनकी इच्छा यह थी कि यह सारी होल्डिंग्ज जो अनइकोनामिक हैं उनको इकोनामिक में बदलना चाहिये। फिर उसके बाद जब हम जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट देखते हैं तो बार-बार इस बात पर जोर दिया गया कि यह जो फ्रैगमेंटेशन आफ होल्डिंग्स को रोकने का इरादा यह हुआ कि यह साइज आफ होल्डिंग्स जो छोटा होता जा रहा है, वह न हो, फिर यह बड़े खातों से जमीन लेनी पड़ेगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है यह भले ही माननीय राजस्व मंत्री जी कहें कि उनकी संख्या कम हो गयी है, लेकिन मैं उन से एक बात पूछना चाहता हूं, जरा गौर करें। उन्होंने एक आंकड़ा हमको दिया कि २५ एकड़ से ऊपर वालों की संख्या जो थी १३५२ फसली में जिसका जिक्र जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट में है कि १,१५,००० थी, उनकी संख्या पिछले वर्ष १९,००० हो गयी। मैं जानना चाहूंगा कि १,१५,००० और १९,००० की संख्या जो माननीय राजस्व मंत्री जी को मालूम हुई है वह कृषि आय-कर लगने के सिलसिले में मालूम हुई है। हमारे मुल्क में कर, टैक्स, बचाने की प्रवृत्ति थोड़ी नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह जरा इन आंकड़ों पर फिर एक बार गौर करें और अगर उनको जरूरत से ज्यादा भरोसा अपने अधिकारियों पर हो तो मैं उनको बचा नहीं सकता। वह किनारे हैं और किनारे पर भी नीचे से जमीन खिसकी जा रही है।

श्री चरण सिंह--मुबारक हो आपके लिए।

श्री गेंदा सिंह--मैं ऐसी मुबारकबादी कमजोर दुश्मन से लेना नहीं चाहता। जमीन आपके नीचे से न खिसके और तब भी हम जीतें, तभी बहादुरी है।

मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी जरा उन आंकड़ों पर फिर से नजर डालें। वह यह कि १,१५,००० आदमी १३५२ फसली में २५ एकड़ से ज्यादा के किसान थे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १५ मिनट बढ़ा दिया जाय।

श्री चरण सिंह--मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अधिष्ठाता--क्या सदन की अनुमति है कि समय ५ बजे के बाद १५ मिनट के लिये बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता--माननीय गेंदा सिंह अपना भाषण जारी रखें।

श्री गेंदा सिंह--अधिष्ठाता महोदय, १,१५,००० के आंकड़ों की बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में अधिक भूमि मिल सकती है कि जितनी भूमि में हम गांव में गुजर करने वाले लोग दूसरी जगह न जाकर गांव में परमानेंटली रहें। लेकिन उनके मुंह में टुकड़े डाले जाते हैं। फिर मैं एक बात और कहूं कि जिस परिवार के पास आज दो एकड़ है, एक आधा एकड़ है या कुछ भी नहीं है तो अगर उस परिवार को हम एक एकड़, दो एकड़ ज्यादा दे सकें तो उसकी माली हालत में कुछ तबदीली नहीं होगी? यह मानना पड़ेगा कि उसकी माली हालत में कुछ तबदीली होगी। और फिर एक बात और है। माननीय राजस्व मंत्री से मैं यह कहूंगा कि यह भूमि जो है वह क्या एक ही अनुपात से सारे प्रदेश में फैली हुई है। कोई-कोई लोकैलिटी है, कोई-कोई जगह है जहां कि यह जमीन है, ऐसी बात हो सकती है कि तराई में इतनी जमीन हो कि जहां पर वहां के लोगों के अलावा और भी दूसरी जगह के लोगों को लाकर के बसाने की आवश्यकता पड़े, लेकिन ऐसी जगहें भी तो हो सकती हैं कि जहां पर वहां की जमीन से वहीं की अनइकोनामिक होल्डिंग्स को और वहीं के भूमिहीनों की जरूरत को हल किया जा सके। फिर क्या माननीय राजस्व मंत्री जी का यह बोझ हलका नहीं होगा कि जहां पर वह औद्योगिक केन्द्रों में उस जनसंख्या को भेजना चाहते हैं, वह जनसंख्या उन औद्योगिक केन्द्रों में न जाय और उन जगहों से ही जनसंख्या उन औद्योगिक केन्द्रों में जाय जहां कि ऐसी जमीन मिल नहीं सकती जिसका कि बटवारा किया जा सके, इस पर सोचना चाहिये।

श्री चरण सिंह--मैं एक बात जरा सी कहना चाहता हूं। मैंने कभी यह नहीं कहा कि गांवों के लोगों को औद्योगिक केन्द्रों में ले जाकर बड़े-बड़े शहर बसाये जायं। मैंने जो बात कही थी, उसमें मैंने यह कभी नहीं कहा। मेरे दिमाग में जो बात थी वह स्माल और काटेज इंडस्ट्रीज की बात थी।

श्री गेंदा सिंह--मुझे कोई आपत्ति नहीं। माननीय अधिष्ठाता महोदय काटेज इंडस्ट्रीज ही सही। लेकिन इस समय पर चूंकि कोई और दूसरे माननीय मंत्री यहां है नहीं, अकेले वही हैं, न इंडस्ट्रीज के हैं, न काटेज इंडस्ट्रीज के हैं, कोई साहब नहीं हैं, इसलिये मैं उनको चिढ़ाना नहीं चाहता, वह नाराज हो जायेंगे, थोड़ी सी बात अगर मैं कह दूं तो.....

अधिष्ठाता--अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री गेंदा सिंह--अब अधिष्ठाता महोदय, मैं क्या कहूं उस वक्त माननीय राजस्व मंत्री जी बोल रहे थे तो हमने कोशिश की थी और कुछ तय इस तरह का हुआ था कि एक घंटा तो समय हमको देंगे.....

अधिष्ठाता--आपको काफी समय मिल चुका है। अब माननीय मंत्री जी भी कुछ जवाब में कहेंगे। इसलिये उनके लिये भी कुछ समय चाहिये।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--वह तो काफी बोल चुके हैं।

अधिष्ठाता—लेकिन बोलने का राइट तो उनका है। माननीय राजस्व मंत्री, क्या आप बोलना चाहेंगे ?

श्री चरण सिंह—जी मैं जरूर थोड़ा सा बोलना चाहता हूं पर चाहे आप अगर राजी हों तो ५ मिनट और दे दीजिये उनको मेरे समय में से। मैं ५ मिनट में ही अपना काम कर लूंगा।

श्री गेंदा सिंह—अब मैं भी अधिष्ठाता महोदय, डर गया और जल्दी से जल्दी जो कह पाऊंगा वही कहूंगा। असल में गांव का आदमी जरा सब बातें सिस्टेमेटिक कह नहीं पाता है और मैं इधर उधर हो जाता हूं। लेकिन याद जो पड़ती हैं माननीय राजस्व मंत्री जी की बातें, उनका जवाब देने की कोशिश जरूर करता हूं। मैं चाहता हूं कि किसी तरह भी उनको मना पाऊं।

काटेज इंडस्ट्रीज का तो गला घोंट देने के लिये यह सरकार तैयार है। कम से कम गुड़ वाले मामले में तो उसने जो काम किये हैं, उन कामों को देखने के बाद यही कहा जायगा पश्चिमी जिलों के भाई इसके गवाह हैं, कि वह इस मामले में वाकई उनका गला घोटने के लिये तैयार है। पांच लाख आदमी उस पर गुजारा करते हैं। मगर कभी रेलवे द्वारा गुड़ भेजना बन्द करा कर और कभी कुछ कर के इस गुड़ की इंडस्ट्री को बरबाद किया जा रहा है। यह हो सकता है कि इसमें यह सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो। मगर यह साफ है कि इस तरह की काटेज इंडस्ट्रीज़ को बरबाद किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री जी कैबिनेट के अन्दर लड़ें इस बात के ऊपर कि क्यों इन काटेज इंडस्ट्रीज को बरबाद किया जा रहा है। कितना रुपया सरकार देगी कोल्हू के लिये जरा हम देखें तो सही कि कितना प्रोत्साहन सरकार काटेज इंडस्ट्रीज़ को देना चाहती है मगर वह कोल्हू के लिये रुपया नहीं देगी। मैं जानता हूं कि क्या कारण है, उसके लिये पर मैं कहूंगा तो वह नाराज हो जायेंगे।

एक दो बात और मैं निवेदन करूंगा कि जो और सूबों का उन्होंने जिक्र किया तो पहली बात तो यह कि १,१५,००० और १९ हजार के फर्क पर जरा वह विचार करें। यह टैक्स से बचने वालों का काम है। ३० एकड़ की गोद में वह कुछ बचना चाहते हैं और फिर एक बात और उनसे कहना चाहूंगा कि मैंने बार-बार उनको टोका भी, मगर अपनी ही बात आदमी सोचता है। जब मैंने टोका तो उन्होंने अपनी ही बात कही। मैं यह कहना चाहता था कि तराई में जो जमीन बड़े-बड़े लोगों को दी गई है, यह हो सकता है कि उनके राजस्व मंत्रित्व काल में न दिया गया हो। लेकिन १९४६ के बाद दिया गया है। १०० एकड़, २०० एकड़, ५०० एकड़ ३ हजार एकड़ तक एक आदमी को दिया गया है। कांग्रेस प्लानिंग कमेटी, ऐग्रेरियन कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी को क्यों नहीं फालो किया गया। जहां जमीन नहीं है वहां खुली छूट है कि हम तीस एकड़ का बंधन लगाएंगे। जहां जमीन है, जहां हमारे लाखों हजारों आदमी बसाये जा सकते हैं वहां खुली छूट है कि वहां २०० एकड़, ५०० एकड़ के फार्म बनाये जा सकते हैं। मैं सरकार से कहता हूं कि कम से कम सरकार इन मामलों में फेअर रहे। वह ६ हजार एकड़ भूमिहीन लोगों को वहां देना चाहती है जहां पर मलेरिया और तरह-तरह की बीमारियों की परेशानी है। मैं डरता नहीं मलेरिया से। लेकिन क्या यह राजस्व मंत्री जी का कर्तव्य नहीं है कि जहां जमीन है वहां १००, २००, ५०० एकड़ जमीन लोगों को दी जा रही है, वह इस ढंग को बन्द करे और भूमिहीन लोगों को भूमि देने की बात सोची जाय। वहां एकोनामिक होल्डिंग बन ही नहीं सकती। वहां भूमिहीन ही बस सकते हैं। मैं जरा यह अर्ज कर दूं कि उन्होंने यह जरूर कहा कि हमारे सूबे में बड़े खाते वाले कम हैं तो मैं उनसे यह निवेदन कर दूं कि जरा उस तरफ भी तो सोचें कि छोटे खाते वाले क्या कम हैं ? मैं उनके सामने जे० सी० कुमारप्पा की ऐग्रेरियन रिफार्म्स कमेटी के कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। हमारे सूबे में दो एकड़ से कम वालों की तादाद ५५.८ है। ढाई एकड़ तक वालों की

[श्री गेंदा सिंह]

तादाद २५.४ है और ५ से १० एकड़ वालों की संख्या १२.८ है, १० से ऊपर वालों की संख्या ६ प्रतिशत है। उसी प्रकार आसाम में दो एकड़ से कम वालों की संख्या ३८.९ है, ढाई एकड़ तक वालों की संख्या २७.४ और ५ से १० एकड़ तक वालों की संख्या २१.१ तथा १० से ऊपर वालों की संख्या १२.६ है। बम्बई में दो एकड़ से कम वालों की संख्या २७.५,२ से ५ एकड़ तक वालों की संख्या २५.७ और ५ से १० एकड़ वालों की संख्या २२.३ और १० से ऊपर वालों की संख्या २४.५ है। और बम्बई के दक्षिण क्षेत्र में यही संख्या ४४.७ और कर्नाटक क्षेत्र में ४६.९ है। बड़े लोगों की संख्या वहां ज्यादा है। लेकिन ऐवरेज होल्डिंग की तरफ अगर माननीय राजस्व मंत्री ध्यान दें तो यह देखेंगे कि हमारे यहां जो अनएकोनामिक होल्डिंग्ज वाले हैं उनसे कहीं बड़ी संख्या पड़ी हुई है और उनके पास अनुपात में जमीन कहीं ज्यादा है। फिर इन सारे आंकड़ों को देने के बाद यह जरूरी हो जाता है कि हमारे सूबे के और सारे देश के आंकड़ों को देखें।

अधिष्ठाता--अब आप का समय हो गया।

श्री गेंदा सिंह--एक मिनट में मैं मुआविजे की बात कह कर खत्म कर दूंगा। क्योंकि हमारे प्रस्ताव में मुआविजे की बात है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मुआविजे की बात यों उठी कि हम कांस्टीटयूशन में तब्दीली चाहते हैं। इस मुल्क में अगर जनता की ख्वाहिशों को पूरा करने में सरकार असमर्थ रही तो फिर उसका नतीजा क्या होगा--हम सभी जो यहां बैठे हुए हैं, कोई हमारी बुद्धि से काम नहीं लेता है, उनके पास बुद्धि है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह मुआविजे की बात को लेकर उन्होंने लुई फिशर से कहा था मुआविजा देना फिजिकली इम्पासिबिल है। फिजिकली इम्पासिबिल है मुआविजा देना। जो मुआविजा देने वाले लोग हैं उनसे पूछिये कि क्या उनकी दुर्गति हो रही है? कहा जाता है कि मुआविजा देने से एक सेक्योरिटी मिलती है मैं समझता हूं कि मुआविजा देना उनके दिल में एक इनसेक्योरिटी पैदा करता है, एक गलत भरोसा पैदा करता है हमारी एक्नामिक कंडीशन बदलती जा रही है, खेतिहर लोगों की हालत बदलती जा रही है। आगे के जमाने में जब-तक खेती करने वाले आदमियों की आमदनी नहीं बढ़ेगी तब-तक मुआविजा नहीं दे पायेंगे। अनएम्पलायमेंट, इनसेक्योरिटी की भावना आप पैदा करने जा रहे हैं। इसलिये मुआविजा देना इतना आवश्यक नहीं है कि जिसके पास २५ एकड़ जोत है, १० एकड़ है उसी पर उनके बालबच्चे डिपेंड करें और उस खेती को तरक्की देकर, उसमें डेवलपमेंट करके उनकी तरक्की कराई जाय ताकि वे उस जमीन से ज्यादा से ज्यादा पैदावार करें और सारे मुल्क की तरक्की करें।

श्री रणंजय सिंह--मैं प्रस्ताव करता हूं कि १५ मिनट का समय और बढ़ा दिया जाय।

बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी की प्रबन्ध कारिणी समिति, हरकोर्ट बटलर इंस्टीट्यूट कानपुर की परामर्श दात्री समिति और रीजनल एम्पलायमेंट कमेटी के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये प्राप्त नामांकन पत्रों के सम्बन्ध में सूचना

अधिष्ठाता--मैं एक सूचना देना चाहता हूं। बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी की प्रबन्धकारिणी समिति के लिये एक नामांकन पत्र श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी का आया है। वह बिल्कुल ठीक है।

हरकोर्ट बटलर इंस्टीटयूट, कानपुर की परामर्शदात्री समिति के लिये श्री गोपीनाथ दीक्षित का नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है। यह भी बिल्कुल ठीक है।

रीजनल एम्प्लायमेंट कमेटी के लिये काजी मुहम्मद अदील अब्बासी और श्री देवनन्दन शुक्ल के नाम नामांकन पत्र प्राप्त हुये हैं। अगर इनमें से किसी ने ३१ तारीख तक नाम वापस नहीं लिया तो चुनाव की व्यवस्था की जायगी।

भूमि के उचित बटवारे के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)

श्री चरण सिंह--अधिष्ठाता महोदय, माननीय गेंदा सिंह ने अपनी तकरीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा अलाभकर जोतों पर ही सीमित रक्खा कि अलाभकर जोतें ज्यादा हैं, उनको कम किया जाय। यह बात मुझे तसलीम है कि अलाभकर जोतें हमारे यहां ज्यादा हैं लेकिन गेंदा सिंह जी को साबित करना है कि अगर उनका प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो अलाभकर जोतों का प्रश्न हल हो जायगा। लेकिन उन्होंने उसका कोई हल नहीं बतलाया। मैं तो मानता हूं कि अनएक्नामिक होल्डिंग्स हैं और उनका कोई हल नहीं है सिवा इसके कि स्माल और काटेज इंडस्ट्रीज गांवों में कायम की जायं और जो वक्त उन्हें अपने खेत पर काम करने से बचे उसको वह उन उद्योग धंधों में लगावें। इसके अतिरिक्त कोई हल इसका नहीं है। इस प्रस्ताव के पास होने पर कैसे इसका हल होता है यह उन्होंने बतलाया नहीं और सूबे में बड़ी होल्डिंग्स हैं वह उन्होंने माना। यह भी मैं मानता हूं कि औसतन ५४ फीसदी के पास जमीन है जब कि यहां साढ़े ६७ फीसदी के पास जमीन है जो कि पहले से तकसीम शुदा है और तकसीम होते होते अलाभकर हो गई। तो मैं यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि ये जो होल्डिंग्स हैं २० हजार अगर उनका एक ही होल्डर मान लिया जाय तो उनको कैसे तसलीम किया जायगा। १ लाख १४ हजार होल्डिंग्स २० एकड़ से बड़ी थीं और उनका प्रस्ताव तो ३० एकड़ से बड़ी का है। २५ एकड़ से ही हिसाब लगाया जाय तो करीब ३५ हजार होल्डिंग्स के होती हैं। कुल मिला कर ८० हजार के होती हैं जिनको तकसीम होते-होते दस साल हो गये और इस तरह से २० हजार हो गई। हो सकता है कि एक आध की गल्ती हो तो २२ हजार मान लिया जाय। अगर एक आदमी को ३० एकड़ जमीन मिले या १५, १६ एकड़ मिले या कितना ही मान लिया जाय तो वह ढाई लाख के करीब आता है। बहस के लिये ५ लाख एकड़ मान लिया जाय और उसको तकसीम किया जाय तो कितनी अलाभकर जोतें हो जाती हैं। बात मेरी समझ में नहीं आती। गेंदा सिंह जी न सीधी लें न उल्टी लें। मुआविजा देने की बात पर कहते हैं कि फीलिंग आफ इंसेक्योरिटी पैदा होगी। मुआविजा देने से लोगों में बेइत्मीनानी होगी और मुआविजा न देने से इत्मीनान बढ़ेगा यह कौन मार्क्स की थ्योरी होगी। मेरी समझ में तो यह बात नहीं आयी या सोशलिज्म की थ्योरी होगी। मुआविजा दे रहे हैं बांड भी लोगों को मिल गये हैं। लोगों ने २, २ साल के ले लिये हैं २ लाख ५४ हजार लोगों ने दरख्वास्त दी और उसमें से २ लाख ४५ हजार को मिल चुका है। जिन्होंने दरख्वास्त दी है उनको मिल चुका है। आप कहते हैं कि उन लोगों के दिमाग में इन्सेक्योरिटी है। इन शब्दों के साथ मैं श्री गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव का जिसमें उन्होंने कहा है कि बिना कम्पन्सेशन के जमीन ले ली जाय, विरोध करता हूं।

श्री रणंजय सिंह--मेरे प्रस्ताव को श्रीमन् ले लीजिये कि जिसमें मैंने यह कहा है कि सदन का समय १५ मिनट के लिये और बढ़ा दिया जाय।

अधिष्ठाता---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि श्री रणंजय सिंह ने जो प्रस्ताव पेश किया है कि सदन का समय १५ मिनट और बढ़ा दिया जाय उसके विषय में आपकी क्या राय है ?

श्री चरण सिंह---तो क्या यह प्रस्ताव अगले असरकारी दिन के लिये नहीं आ सकते ?

अधिष्ठाता---मेरा ख्याल है कि अगले में नहीं आ सकते हैं।

श्री चरण सिंह---तो ५ मिनट का समय बढ़ा दिया जाय।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि सदन का समय ५ मिनट और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने यह कहा कि श्री गेंदा सिंह के प्रस्ताव के मुआविजे के हिस्से से तो मैं असहमत हूं और जमीन का जो डिस्ट्रिब्यूशन वाला हिस्सा है उसको उन्होंने मान लिया है और उससे वह सहमत हैं। अगर ऐसी बात है तो हम उसकी भाषा को संशोधित कर सकते हैं यदि वह इसको सर्वसम्मति से मान लें।

अधिष्ठाता---ऐसी बात नहीं है।

(कुछ ठहर कर)

मैं अब श्रीगेंदा सिंह जी के प्रस्ताव को आपके सामने वोट के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करती है कि वह भूमि के लिये बंटवारे को उचित रूप से करने के लिये भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए संसद में नियमानुसार ऐसा विधेयक प्रस्तुत करे कि किसी परिवार के पास तीस एकड़ से अधिक भूमि न रह सके और इससे अधिक भूमि रखने वाले परिवारों से अतिरिक्त भूमि बिना प्रतिकर अर्जित करके ऐसे व्यक्तियों को दी जा सके जिनके पास जीविका के अन्य साधन नहीं है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राजनारायण---श्रीमन्, आपने यह संशोधन नहीं लिये जो इससे सम्बन्धित थे।

अधिष्ठाता---जब मूल प्रस्ताव ही गिर गया और फिर उनकी आवश्यकता नहीं थी।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, यह हो सकता था कि उनमें से कोई भी गेंदासिंह जी स्वीकार कर लेते।

अधिष्ठाता---अब तो वह नहीं हो सकता।

प्रदेश से बेकारी दूर करने के हेतु गृहोद्योगों के पुनस्संगठन के सम्बन्ध में संकल्प

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके सन्मुख निम्न संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेशीय विधान सभा के इस सदन का यह निश्चित मत है कि इस प्रदेश में बढ़ती हुई बेकारी को दूर करने के लिये गृह-उद्योगों को पुनः संगठित किया जाय और उनके लिये निम्न ग्यारह सूत्री कार्य-क्रम अपनाया जाय --

(१) गृह-उद्योगों पर से सेल्स टैक्स हटा दिया जाय।

(२) गृह उद्योगों के लिये सस्ती बिजली उपलब्ध की जाय और उस पर से लगने वाले सरचार्ज को हटा दिया जाय।

(३) गृह-उद्योगों को संरक्षण देने के लिये बड़े उद्योगों पर चार्ज (levy) लगाई जाय और उससे जो धन प्राप्त हो वह गृह उद्योगों के संरक्षण में लगाया जाय।

(४) गृह-उद्योगों के लिये उचित मूल्य पर कच्चा माल उपलब्ध किया जाय और उसे कारीगरों को बिना मध्यवर्गीय लाभ के दिये जाने की व्यवस्था की जाय।

(५) गृह-उद्योगों से उत्पादित माल के वितरण और विक्रय के लिये मार्केटिंग बोर्ड बनाया जाय और उसके लिये भीतरी और बाहरी बाजारों को संगठित किया जाय।

(६) विदेशों में गृह उद्योगों की वस्तुओं के प्रचार और मांग को संगठित किया जाय और केवल अच्छी क्वालिटी के माल को भेजा जाय जिससे वहां इनकी खपत और ख्याति बढ़े।

(७) गृह-उद्योगों के लिये छोटी-छोटी मशीनें तथा कच्चा माल कम ब्याज की किस्तों पर दिया जाय।

(८) विदेशों के मुख्य मुख्य शहरों में गृह उद्योगों की चीजों के लिये प्रदर्शनालय (show rooms) खोले जायं।

(९) मुख्य-मुख्य गृह उद्योगों के केन्द्रों में तत्सम्बन्धी शिक्षणालय खोले जायं जहां नवयुवकों को उस कार्य की व्यावहारिक शिक्षा दी जाय।

(१०) गृह-उद्योगों के माल तथा डिजाइन को सुधारने के लिये प्रयत्न किये जायं और उसके लिये प्रयोगशालायें खोली जायें।

(११) सरकारी आवश्यकताओं की पूर्ति जहां तक सम्भव हो गृह उद्योगों की चीजें खरीद कर ही की जायं।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २० मिनट पर सोमवार ३० अगस्त, १९५४ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२७ अगस्त, १९५४।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१७ पर)

कागजात माल की दुरुस्ती का आन्दोलन

राज्य सरकार की आज्ञा से उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों को छोड़ कर बाकी सारे जिलों में भूमि सम्बन्धी अभिलेखों की ग़लतियों को सुधारने का काम १५ अगस्त से जारी है। नई भूमि-व्यवस्था में खतौनी का इन्दराज ही बुनियादी इन्दराज माना जाता है।

कुछ दिन हुये बरेली के जिलाधीश ने अपने जिले में भूमि के लेखों को ठीक करने का आन्दोलन चलाया था। उसके फलस्वरूप लेखपाल के काग़जों में बड़ी संख्या में ग़लत इन्दराज पाये गये थे। बरेली के अनुभव से यह जरूरी हो गया कि जल्द से जल्द सभी जिलों में माल के अभिलेख और कागजों की अच्छी तरह से जांच कराई जाय और जो गलतियां पाई जायं उन्हें दुरुस्त किया जाय। इसलिये सभी जिलाधीशों को आदेश दिया गया है कि खरीफ की पड़ताल के साथ ही खतौनी के इन्दराजों की सावधानी से तसदीक की जाय और लेखपालों, कानूनगोआन तथा माल के सभी कर्मचारियों को कड़ी हिदायत की जाय कि वे भूलों को सुधारने के काम में जी जान से जुट जायं। जिलाधीशों से कहा गया है कि यह काम जिले के सभी गांवों में हो और यदि इस काम के लिये खरीफ की पड़ताल के समय को बढ़ाने की आवश्यकता हो तो वे उसे १५ दिन तक बढ़ा सकते हैं।

एक लेखपाल के हल्के के गांवों की औसत संख्या लगभग ५ होती है। लेखपालों को रोज सबेरे खेत-खेत की पड़ताल करनी चाहिये और तीसरे पहर खतौनी की तसदीक जांच का काम करना चाहिये। तीसरे पहर वह भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष की सलाह से समिति के कार्यालय में या चौपाल में या किसी दूसरी मुनासिब जगह पर बैठ कर काम कर सकता है वहां उसे खतौनी के दोनों भाग, भाग १ तथा २ किसानों को पढ़ कर सुनाने चाहिए और यह मालूम करना चाहिये कि कोई आदमी किसी इन्दराज पर एतराज या आक्षेप तो नहीं करता है। लेखपालों को चाहिये कि वह तसदीक की कार्रवाई के समय प्रत्येक भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष और ज्यादा से ज्यादा खातेदारों को वहां मौजूद होने के लिये बुलावे। किसी गांव में बहुत से नगले, पूरवें व मजरे शामिल हों तो वहां के खातेदारों की हाजिरी के लिये खास तौर से इन्तजाम करना चाहिये। गांव में तसदीक का काम उस समय तक हर रोज करना चाहिये जब तक पूरी खतौनी पढ़ कर सुना न दी जाय और सभी भूल या गलती और झगड़ों को लिख न लिया जाय। जिन गलतियों और झगड़ों का पता लगे उन्हें नीचे दिये हुए फार्म में दर्ज करना चाहिये।

१३६२ फसली की खतौनी की तसदीक की विशेष कार्यवाही के दौरान में मालूम की गयी भूलों व गलतियों की सूची

गांव परगना तहसील

क्रम	खतौनी खातों की संख्या	उस इन्दराज का सारांश जिसके बारे में झगड़ा है। यदि कुल खाते से संबंध न हो तो उन विशेष खेतों का उल्लेख किया जाय जिनके बारे में झगड़ा है	यदि कोई विवादी हो तो उसका नाम और भूल की किस्म	प्रस्तावित इन्दराज	भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष के दस्तखत	सुपरवाइजर कानूनगो का फ़ैसला	हाकिम परगना तहसील दार या नायब के हुक्म	हुक्म देने वाले अधिकारी के दस्तखत	खतौनी में अमल करने के प्रमाण स्वरूप लेखपाल के दस्तखत	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११

उत्तर प्रदेश विधान सभा

इस विशेष पड़ताल के दौरान में नीचे दिये मामलों के बारे में कोई फैसला नहीं किया जायगा बल्कि वह ऊंचे अधिकारियों के पास भेज दिये जायेंगे जो स्वयं उनका नोटिस लेकर अदालती जाब्ते के अनुसार कार्रवाई करेंगे।

(१) मालगुजारी या दर्ज शुदा लगान में तब्दीली

(२) खातेदारों की दर्ज शुदा किस्मों में तब्दीली

(३) मुद्दत काश्त में तब्दीली

(४) खाते का बटवारा

यह सूची या फेहरिस्त हर एक गांव के लिये दो भागों में तैयार की जायगी जिनमें से एक का संबंध उन उत्तराधिकारों से होगा जिनके बारे में कोई विवाद नहीं है, दूसरे का संबंध और तरह की तब्दीलियों से होगा। उन गांवों के सबंध में भी सूची तैयार की जानी चाहिये जिनमें कोई तब्दीली न पाई जाय। लेखपाल को अपने हल्के के हर गांव की इन सूचियों को जैसे-जैसे और जब-जब वे तैयार होती जायं, अपने सुपरवाइजर कानूनगो को देते रहना चाहिये उसे गांवों की सूचियों के तैयार हो जाने का इन्तजार नहीं करना चाहिये।

ऊपर दिये गये फार्म में भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष के दस्तखत के लिये भी एक कालम या खाना है। अगर अध्यक्ष हाजिर न हो सके तो समिति के किसी दूसरे सदस्य से या उस स्थान के किसी अन्य प्रभावशाली व्यक्ति से इस काम में सहयोग देने और लेखपाल की रिपोर्ट की तस्दीक करने के लिये निवेदन करना चाहिये। संभव है कि विवाद या भूल किसी ऐसी भूमि के संबंध में हो जो खाते के रूप में दर्ज न हो। ऐसे मामलों को छोड़ न देना चाहिये बल्कि उन्हें भी आवश्यक ब्योरों के साथ सूचियों में लिख देना चाहिये।

लेखपालों द्वारा की गई इस तस्दीक की सफलता उस बात पर निर्भर होगी कि गिरदावर कानूनगो लेखपालों के काम की जांच किस तरह करते हैं। इसलिये इस संबंध में कानूनगोओं द्वारा किये जाने वाले काम का विशेष महत्व है और इस पर जितना ही जोर दिया जाय उतना ही कम है। उनको इस बात की हिदायत की गई है कि वे अपना कार्य क्रम इस ढंग से बनाये कि वे अपने हल्कों के सभी गांवों की खतौनियों की तसदीक कर सकें। अपने दौरों में वे इस बात की जांच करेंगे कि लेखपाल वास्तव में कैसा काम करते हैं। वे लेखपालों को काम करने के बारे में हिदायतें देंगे और उनका पथ-प्रदर्शन भी करेंगे। उन्हें चाहिये कि यदि वे जरूरत समझें तो उन तब्दीलियों या झगड़ों की अलग से सूचियां तैयार करें जिन्हें लेखपाल मालूम न कर सका हो और उन्हें लेखपालों की सूचियों के संबंध में अपनी रिपोर्ट के साथ अधिकारियों की आज्ञा प्राप्त करने के लिये पेश करें। उन्हें भली भांति यह भी देख लेना चाहिये कि मई सन् १९५३ के आदेश के अनुसार खतौनी खातों का एकीयकरण हो गया है या नहीं।

सुपरवाइजर कानूनगों को अपने दौरे के कार्यक्रम में उस स्थान के अलावा जहां कि यह गांव में बैठ कर काम करेगा। यह भी साफ-साफ लिखना चाहिये कि वह वहां किस समय से किस समय तक मौजूद रहेगा और रात को किस गांव में ठहरेगा। उसे अपने दौरे के कार्यक्रम की मंजूरी हाकिम परगना से कराकर उसकी नकलें (१) कलेक्टर, (२) परगना अधिकारी, (३) सदर कानूनगो, (४) तहसीलदार, (५) नायब तहसीलदार, (६) भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष, और (७) लेखपाल को भेजना चाहिये। भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्षों को कार्यक्रम की नकल देने के साथ ही उनसे लिखित निवेदन भी करना चाहिये कि वे तसदीक करने के समय उपस्थित हों और वे इस काम में जरूरी सहायता भी करें।

तसदीक करने के दौरान में गिरदावर कानूनगो को एक पखवारे में एक दिन से ज्यादा समय के लिये अपने हेडक्वार्टर पर लौटने की अनुमति न होगी। गिरदावर कानूनगो की इस अवधि में और कोई काम नहीं सौंपा जायगा। गिरदावर कानूनगो के कार्यक्रम में कोई

हेर फेर होगा तो उसकी सूचना लेखपाल और भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष को काफी पहले से दी जायगी।

गिरदावर कानूनगो किसी गांव की खतौनी की तसदीक का काम पूरा कर लेने के बाद जल्द ही लेखपाल द्वारा तैयार की गई सूचियों को और उन सूचियों को जिन्हें उसने स्वयं तैयार किया हो हाकिम परगना, तहसीलदार या नायब तहसीलदार के पास उनकी आज्ञा प्राप्त करने के लिये भेज देगा। इसके साथ ही सुपरवाइजर कानूनगो खतौनी के मुख पृष्ठ पर उक्त तसदीक के बारे में एक टिप्पणी लिखेगा जिसमें हर एक सूची में दर्ज तब्दीलियों की संख्या दी जायगी। तसदीक संबंधी टिप्पणी पर सुपरवाइजर कानूनगो अपने दस्तखत करेगा और तारीख डालेगा।

प्रत्येक तहसील में लेखपालों के हल्कों का विभाजन खरीफ की पड़ताल शुरू करने से काफी पहिले कर लिया गया है। उसके अनुसार हाकिम परगना तहसीलदार और नायब तहसीलदार के अलग-अलग हल्के नियत कर दिये गये हैं। ये अधिकारी स्वयं ही अपने अपने दौरों का कार्यक्रम हाकिम परगना से आशा की जाती है कि वह कुछ ऐसे गांवों का भी दौरा करेंगे जिसकी जांच तहसीलदार और नायब तहसीलदार कर चुके हों जिससे कि इस बात का निश्चय हो सके कि उक्त अधिकारियों ने भलीभांति अपने कर्त्तव्यों का पालन किया है। दौरा करने वाले अधिकारी नीचे दी हुई बातों की जांच करेंगे।

(१) गिरदावर कानूनगो और लेखपालों ने कार्यक्रम के अनुसार काम किया है या नहीं।

(२) उन्होंने पूरी तरह से तसदीक का काम किया है या नहीं और सभी ऐसे इन्दराजों का पता लगा लिया गया है जो खतौनी में दर्ज नहीं किये गये थे।

(३) नियत सूचियां ठीक-ठीक तैयार की गईं और फौरन ही मुनासिब कार्यवाई के लिये पेश की गयी है या नहीं।

(४) भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष नियमित रूप से उपस्थित होते हैं और सूचियों की तसदीक करते हैं या नहीं।

उच्च अधिकारीगण अपने दौरों को खरीफ की पड़ताल के बाद भी नवम्बर तक जारी रख सकेंगे। आशा की जाती है कि अधिकांश मामलों में अधिकारी तब्दीलियों की सूचियों पर मौके पर ही हुक्म दे सकेंगे। इस बात को सावधानी से समझ लेना चाहिये कि नायब तहसीलदार के पद से नीचे का कोई भी अधिकारी सूची के कालम ८ में कोई हुक्म नहीं कर सकता। कुछ मामले ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें सरकारी तौर पर तुरन्त या मौके पर हुक्म देना संभव न हो और उनके विवाद का फैसला नियमित कार्यवाहियों के द्वारा करना आवश्यक हो। तहसीलदार और नायब तहसीलदार ऐसे मामलों को जिनका फैसला करने का अधिकार उन्हें नहीं है, हाकिम परगना अधिकारी के पास भेज देंगे।

इस विशेष पड़ताल के दौरान में दी गई किसी आज्ञा से असन्तुष्ट किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह किसी समर्थ न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देकर एक नया फैसला प्राप्त कर ले। लेखपालों तथा अन्य अधिकारियों को चाहिये कि वे यह बात एकत्रित खातेदारों को अच्छी तरह से समझा दें। उन तब्दीलियों के बारे में, जिनके संबंध में अंतिम आज्ञा हाकिम परगना, तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार द्वारा दी जाय, अधिकारियों को यह भली भांति देख लेना होगा कि उन सभी खातेदारों को, जिन पर उनकी आज्ञा का असर पड़ सकता है, सूचना दे दी गई है और उन्हें सारी बातें समझा दी गई हैं या नहीं।

लेखपाल के तहसील में हाजिर होने पर वे सभी सूचियां, जिनके बारे में हाकिम परगना, तहसीलदार या नायब तहसीलदार ने आज्ञायें दी हैं, खसीनी के कालम ७ तथा ८ में उन आज्ञाओं को दर्ज कराने के लिये रजिस्ट्रार कानूनगो के पास भेज दी जायंगी। रजिस्ट्रार

कानूनगो खतौनी में दर्ज की गई आज्ञा को प्रमाणित करने के लिये उस पर अपने दस्तखत करते समय लेखपाल से भी अमलदरामद (अनुपालन) के प्रमाण स्वरूप सूची के कालम १० में दस्तखत करायेगा। ऐसी सूचियां, जिनमें अंतिम आज्ञायें लिखी गयी होंगी, किसी भी दशा में लेखपालों को वापस न दी जायंगी। खतौनी के कालम २ में हर्गिज कोई तब्दीली न की जाय। इस कालम में आवश्यक तब्दीली अगले वर्ष की खतौनी को तैयार करते समय ही की जा सकेगी। निर्विवाद उत्तराधिकारियों की सूचियों के बारे में दी गई आज्ञाएं दाखिल-खारिज के रजिस्टर का एक भाग होगी। ऐसे मामले जिनमें अंतिम रूप से आज्ञा देना संभव न होगा और जो नियमित कार्यवाही के द्वारा निपटाये जाने वाले होंगे, उपयुक्त मिसलबन्द रजिस्टर में दर्ज किये जायेंगे। रजिस्ट्रार कानूनगो का यह भी कर्त्तव्य होगा कि वह वासिल-बाकी नवीस को उन सभी तब्दीलियों के बारे में जो मालगुजारी की जमाबन्दी में दर्ज करने आवश्यक हों, सूचना दे। वासिल बाकी नवीस सभी तब्दीलियों को उस काम के लिये नियत रजिस्टरों में दर्ज करेंगे।

निर्धारित सूचियों पर दिये गये हुक्म के बिना खतौनी के कालम ७ और ८ में कोई भी अमलदरामद नहीं किया जायगा। सभी आज्ञायें, जो दी जायंगी, बिल्कुल स्पष्ट होंगी, ताकि उनसे साफ-साफ जाहिर हो जाय कि मौजूदा इन्दराजों में क्या-क्या तब्दीली की जायंगी। उनका क्या आशय होगा या उनका क्या असर पड़ेगा। इन बातों को लेखपाल पर न छोड़ा जायगा।

अफ़सरान समय-समय पर अपने काम की रिपोर्ट जिलाधीश के पास भेजेंगे। जिलाधीश नवम्बर के पहले हफ्ते में अपने जिले की प्रत्येक तहसील का विवरण-पत्र भूमि व्यवस्था कमिश्नर के पास भेजेंगे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२४ पर)

सन् १९५३–५४ के वित्तीय वर्ष में हरिजनों के बीच प्रचार करने के लिये विभिन्न जिलों को दी गई धनराशि का विवरण

जिला	धन
	रु०
देहरादून	१५००
रामपुर	१५००
लखनऊ	३०००
बाकी जिलों में से प्रत्येक को	२०००
कुल	१,०२,००० रु०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३१ पर)

जिला फर्रुखाबाद में सन् १९५३ में होने वाले कत्लों की सूची

क्र० सं०	थाने का नाम		रिपोर्ट की गई	चालान किया गया	सजा मिली
१	फर्रुखाबाद	..	३	२	..
२	फतेहगढ़	..	१	१	..
३	कन्नौज	..	१	..	..
४	गुरसहायगंज	..	३	३	..
५	छिबरामऊ	..	३	३	१
६	कमालगंज	..	३	२	१
७	सौरीख	..	३	३	१
८	इन्द्रगढ़	..	२	२	..
९	थथीया	..	१	१	..
१०	कायमगंज	..	६	५	२
११	कैमपिल	..	२	..	..
१२	शमशाबाद	..	४	२	..
१३	नवाबगंज	..	३	१	..
१४	राजपुर	..	..	..	..
१५	मुहम्मदाबाद	..	२	१	..

जिला फर्रुखाबाद में १-१-५४ से ३०-४-१९ तक होने वाले कत्लों की सूची

क्र०सं०	थाने का नाम		रिपोर्ट की गई	चालान किया गया	सजा मिली
१	फर्रुखाबाद	..	१	१	..
२	फतेहगढ़	..	१	१	..
३	कन्नौज	..	..	..	..
४	गुरसहायगंज	..	..	..	..
५	छिबरामऊ	..	३	३	..
६	कमालगंज	..	१	१	..
७	सौरीख	..	१	१	..
८	इन्द्रगढ़	..	१	१	१
९	थथीया	..	२	२	..
१०	कायमगंज	..	३	२	..
११	कैमपिल	..	२	२	१
१२	शमशाबाद	..	२	२	..
१३	नवाबगंज	..	१	१	..
१४	राजपुर	..	१	..	..
१५	मुहम्मदाबाद	..	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिला फर्रुखाबाद में सन् १९५३ में होने वाली डकैतियों की सूची

क्र०सं०	थाने का नाम	रिपोर्ट की गई	चालान किया गया	सजा मिली
१	फर्रुखाबाद	..	..	..
२	फतेहगढ़	..	१	१	..
३	कन्नौज	..	२	२	..
४	गुरसहायगंज	..	१	१	..
५	छिबरामऊ	..	१	१	..
६	कमालगंज	..	२	२	१
७	सौरीख	..	..	..	..
८	इन्द्रगढ़	..	४	४	..
९	थथीया	..	..	..	..
१०	कायमगंज	..	१	१	..
११	कैमपिल	..	४	३	..
१२	शमशाबाद	..	३	२	१
१३	नवाबगंज	..	२	२	..
१४	राजपुर	..	..	..	..
१५	मुहम्मदाबाद	..	१	१	..

जिला फर्रुखाबाद में १-१-५४ से ३०-४-५४ तक होने वाली डकैतियों की सूची

क्र०सं०	थाने का नाम	रिपोर्ट की गई	चालान किया गया	सजा मिली
१	फर्रुखाबाद	..	..	..	..
२	फतेहगढ़	..	..	..	..
३	कन्नौज	..	१	१	..
४	गुरसहाय	..	..	..	..
५	छिबरा मऊ	..	२	२	..
६	कमालगंज	..	२	२	..
७	सौरीख	..	..	..	..
८	इन्द्रगढ़	..	..	..	..
९	थथीया	..	१	१	..
१०	कायमगंज	..	१	..	..
११	कैमपिल	..	..	..	..
१२	शमशाबाद	..	..	..	..
१३	नवाबगंज	..	..	..	..
१४	राजपुर	..	४	४	..
१५	मुहम्मदाबाद	..	१	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिला फर्रुखाबाद में सन १९५३ में होने वाली राहजनियों की सूची

क्र० सं०	थाने का नाम		रिपोर्ट की गई	चालान किया गया	सजा मिली
१	फर्रुखाबाद	..	—	—	—
२	फतेहगढ़	..	—	—	—
४	कन्नौज	..	३	३	२
४	गुरुसहाय गंज	..	१	—	—
५	छिबरामऊ	..	१	—	—
६	कमाल गंज	..	३	१	—
७	सौरीख	..	१	—	—
८	इन्द्रगढ़	..	—	—	—
९	थथीया	..	१	१	—
१०	कायमगंज	..	—	—	—
११	कैमपिल	..	—	—	—
१२	शमशाबाद	..	२	२	२
१३	नवाबगंज	..	१	—	—
१४	राजपुर	..	१	—	—
१५	मुहम्मदाबाद	..	२	१	१

जिला फर्रुखाबाद में १-१-५४ से ३०-४-५४ तक होने वाली राहजनियों की सूची

क्र० सं०	थाने का नाम		रिपोर्ट की गई	चालान किया गया	सजा मिली
१	फर्रुखाबाद	..	१	१	—
२	फतेहगढ़	..	१	१	—
३	कन्नौज	..	१	१	—
४	गुरसहाय गंज	..	—	—	—
५	छिबरा मऊ	..	१	१	१
६	कमालगंज	..	—	—	—
७	सौरीख	..	—	—	—
८	इन्द्रगढ़	..	—	—	—
९	थथीया	..	१	१	—
१०	कायमगंज	..	१	१	—
११	कैमपिल	..	—	—	—
१२	शमशाबाद	..	१	१	—
१३	नवाबगंज	..	—	—	—
१४	राजपुर	..	—	—	—
१५	मुहम्मदाबाद	..	१	१	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिला फर्रुखाबाद में सन् १९५३ में होने वाली चोरियों की सूची

क्र० सं०	थाने का नाम		रिपोर्ट की गई	चालान किया गया	सजा मिली
१	फर्रुखाबाद	..	१७	७	४
२	फतेहगढ़	..	१९	११	३
३	कन्नौज	..	४४	१७	१२
४	गुरसहायगंज	..	२१	८	२
५	छिबरामऊ	..	२७	७	७
६	कमालगंज	..	६	१	३
७	सौरीख	..	१५	८	३
८	इन्द्रगढ़	..	१७	६	३
९	थथीया	..	७	३	१
१०	कायमगंज	..	४१	१५	६
११	कैमपिल	..	१२	४	१
१२	शमशाबाद	..	८	३	२
१३	नवाबगंज	..	१७	८७	२
१४	राजपुर	..	९	७	६
१५	मुहम्मदाबाद	..	१४	२	२

जिला फर्रुखाबाद में १-१-५४ से ३०-४-५४ तक होने वाली चोरियों की सूची।

क्र०-सं०	थाने का नाम		रिपोर्ट की गई	चालान किया गया	सजा मिली
१	फर्रुखाबाद	..	१३	६	—
२	फतेहगढ़	..	१७	३	१
३	कन्नौज	..	१४	३	—
४	गुरसहाय गंज	..	८	४	—
५	छिबरामऊ	..	११	४	१
६	कमालगंज	..	४	—	—
७	सौरीख	..	३	२	—
८	इन्द्रगढ़	..	५	१	१
९	थथीया	..	—	—	—
१०	कायमगंज	..	४	—	—
११	कैमपिल	..	३	—	—
१२	शमशाबाद	..	१	१	—
१३	नवाबगंज	..	६	३	—
१४	राजपुर	..	६	—	—
१५	मुहम्मदाबाद	..	१७	२	—

अवध पत्रकार संघ

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३३ पर)

(तालिका)

क्र० सं०	चीनी मिल का नाम	मकानों की संख्या	
		एक खंड वाले मकान	दो खंड वाले मकान
१	२	३	४
१	विष्णु प्रताप शुगर मिल्स, खड्डा, देवरिया	—	१२
२	देवरिया शुगर मिल्स, देवरिया . .	२०	—
३	श्री सीताराम शुगर कं० बैतालपुर, देवरिया	२४	—
४	यू० पी० शुगर कं०, सेवराही, देवरिया	—	१४
५	महेश्वरी खेतान शुगर मिल्स, रामकोला, देवरिया	१९	—
६	ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स, लक्ष्मीगंज, देवरिया	६	३
७	रामकोला शुगर मिल्स, रामकोला, देवरिया	१२	८
८	लक्ष्मीदेवी शुगर मिल्स, छितौनी, देवरिया	—	१४
९	शंकर शुगर मिल्स, कप्तानगंज, देवरिया	—	१२
१०	कानपुर शुगर वर्क्स, गौरीबाजार, देवरिया	२०	—
११	प्रताप शुगर फैक्ट्री, मेरवा, देवरिया	२४	—
१२	जगदीश शुगर मिल्स, कठकुइयां, देवरिया	१०	४
१३	पडरौना राज कृष्ण शुगर मिल्स, पडरौना, देवरिया	—	२५
	योग	१३५	९२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३४ पर)

जौनपुर की संस्कृत पाठशालाएं तथा उन्हें दी गई आर्थिक सहायता की सूची

क्र० सं०	नाम पाठशाला	आवर्तक अनुदान	अनावर्तक अनुदान	पुस्तकालय अनुदान
१	संस्कृत पाठशाला, शाहगंज	७६८	..	..
२	भोलागंज संस्कृत पाठशाला, उकनी, पो०आ० मधुपुर	९७२	..	..
३	रामजानकी संस्कृत पाठशाला, तियरा	६६०	..	५०
४	हनुमत संस्कृत पाठशाला, उदयचन्द्रपुर, केराकत	९००	..	५०
५	कृष्ण संस्कृत पाठशाला, जैगोपालगंज, केराकत	९००	..	५०
६	संस्कृत पाठशाला, पट्टी, नरेन्द्रपुर	१२३६	..	..
७	अम्बिकादत्त संस्कृत पाठशाला, रुदौली, सुरेठां कलां	१३६८	..	..
८	राष्ट्रीय संस्कृत पाठशाला, डोर्मी, चन्दुर्वक	६४८	..	..
९	गौरीशंकर संस्कृत पाठशाला, सुजानगंज	६८४	..	..
१०	सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला, रक्षाश्रम, राजापुर, पो० आ० गौरा, बादशाहपुर ..	५८८	..	..
११	हनुमत संस्कृत महाविद्यालय, धर्मराजगंज, सिकरारा	७९२	..	५०
१२	अल्पेश्वरनाथ संस्कृत पाठशाला, जनेवरा, फतेहगंज	९९६	..	..
१३	रामस्वरूप गुप्त संस्कृत कालेज, चंडी मंदिर, राजाबाजार ..	७६८	..	..
१४	सरस्वती विद्यालय, सारनाथ महादेव, शम्भूगंज, जौनपुर ..	५८८	..	५०
१५	संस्कृत पाठशाला, उदयभान पुर, शंकरगंज, जौनपुर ..	११६४	..	५०
१६	भारती विद्यालय, खेता सराय, जौनपुर	१३०८	..	..
१७	वासुदेव संस्कृत पाठशाला, गुतवन ..	२९२८	..	५०
१८	श्री विद्या धर्मवर्द्धिनी संस्कृत पाठशाला, प्रेम का पुरा	२८०८	..	५०
१९	सनातनधर्म संस्कृत पाठशाला, जौनपुर	२५६८	..	५०
२०	विद्या धर्मवर्द्धिनी संस्कृत पाठशाला, क्रोइरीपुर, जौनपुर ..	..	३००	..
२१	जयहिन्द संस्कृत पाठशाला, तेजीबाजार, जौनपुर ..	..	३००	..
२२	लक्ष्मीनारायण संस्कृत पाठशाला, मोकलपुर, जौनपुर ..	..	३००	..

नोट :—गत वर्ष किसी पाठशाला को भवन निर्माणार्थ कोई अनुदान नहीं दिया गया।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १८ एल० ए०—१९५४—८५०।